भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

परिणामी बजट

2011-2012

विषय–वस्तु तालिका

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	कार्यकारी सारांश	1-3
2.	अध्याय । :प्रस्तावना	5-8
3.	अध्याय ॥ :वित्तीय परिव्यय ,अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित बजट परिणाम के ब्यौरे	9-30
4.	अध्याय ॥। :मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहल का प्रभाव	31-33
5.	अध्याय ।V 10-2009 :और 11-2010 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा	34-78
6.	अध्याय V :वित्तीय समीक्षा	79-84
7.	अध्याय V। : मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	85-143

कार्यकारी सारांश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

केन्द्र सरकार मुख्यत :राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं ,यद्यपि ये कुल सड़क नेटवर्क का मात्र %1.7 हैं किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग %40 यातायात होता है । यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य मुख्यत :एजेंसी प्रणाली के आधार पर करता है। राज्य सरकारों के अलावा ,सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है ,केन्द्र सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं । मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है ,जो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है तथा इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 54,500 कि0मी 0से अधिक मुख्य मार्गों का सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की परिकल्पना है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों के विकास का मुख्य उद्देश्य बेहतर सड़क सतह ,बेहतर सड़क ज्यामिति ,बेहतर यातायात प्रबंधन और दृश्य संकेत ,विभाजित मार्ग और सर्विस रोड ,ग्रेड सेपरेटर ,उपरि पुल और भूमिगत मार्ग ,बाइपास और मार्गस्थ सुविधाओं सहित बेहतर सुरक्षा विशेषताओं से युक्त यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए सुविधाएं स्थापित करना है ।

वित्त वर्ष 12-2011 के दौरान 19,600 करोड़ रु 0की अनुमानित लागत से 130 पुलों और 10बाइपासों के निर्माण/मरम्मत के साथ-साथ लगभग 5,926 कि0मी 0राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाना है । बजटीय सहायता के अलावा ,विदेशी ऋणों के माध्यम से आंतरिक अतिरिक्त बजट संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा ।

इस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 88 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा जाना सुनिश्चित करते हुए तीन चरणों में 10,141 कि0मी 0राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। वर्ष 12-2011 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 1600 करोड़ रु 0का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

सरकार ने देश के आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश ,बिहार ,झारखंड ,छत्तीसगढ़ ,मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र ,उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए आदिवासी उप-योजना सहित एक विशेष कार्यक्रम ,फरवरी 2009 ,में अनुमोदित किया है । इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 1126 किमी लंबाई और राज्यीय सड़कों की 4,351 किमी .लंबाई सहित कुल मिलाकर 5,477 किमी .सड़कों को 7,300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो लेन मानक में विकसित किए जाने की परिकल्पना है । सरकार ने नवंबर 2010 ,में 1200 करोड़ रुपए की लागत से विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर के

अंतर्गत उड़ीसा में राज्यीय सड़कों की 600 किमी .लंबाई के सुधार के लिए अनुमोदन प्रदान किया है । इस सड़क खंड को 7 पैकेजों में बांटा गया है । वर्ष 12-2011 के दौरान इस कॉरीडोर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । यह मंत्रालय ,राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सड़क निधि से ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत अन्य सड़कों के विकास के लिए भी धनराशि प्रदान कर रहा है।

रूकावटों को दूर करने के लिए कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाती है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित भूमि अधिग्रहण ,सुविधाओं के स्थानांतरण ,वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृतियों और आर ओ बी के निर्माण आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार/रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है ।

जहां तक सड़क क्षेत्र में निजी निवेश लाने का संबंध है ,सरकार ने व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए परियोजना लागत के %40 तक पूंजी अनुदान 20 ,वर्षों में से किन्हीं लगातार 10 वर्षों में %100कर छूट प्रदान करने की नीतिगत पहल की है । निर्माण ,प्रचालन और हस्तांतरण)बी.ओ.टी (.परियोजना उद्यमियों को चुनिंदा खंडों पर पथकर राशि वसूल करने और अपने पास रखने की अनुमति भी दी गई है ।

मंत्रालय से संबंधित समस्त सार्वजनिक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सभी आवेदनों का निपटान शीघ्रता से किया जाता है । राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों से संबंधित स्कीमों और चालू कार्यों की प्रगति तथा प्रमुख कार्यों की सभी निविदाओं की सूचना भी वेबसाइट पर दी गई हैं । तथापि ,राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में जनता को सही समय पर सूचना प्रदान करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है ।

<u>सड़क परिवहन</u>

मंत्रालय का सड़क परिवहन प्रभाग पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने का काम करता है । देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाना ,सड़क सुरक्षा प्रभाग के अति महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है । मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम/नियमावलियां, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीतियां निहित हैं, का संचालन किया जाता है

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989

- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, /1865सड़क द्वारा वहन अधिनियम 2007 ,

सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने के अतिरिक्त ,यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की कतिपय योजनाओं के संचालन के लिए भी जिम्मेदार है । ये योजनाएं मानव संसाधन विकास से संबंधित हैं जिसमें राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ,असंगठित क्षेत्र में भारी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण ,सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान ,राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण जांच उपस्कर उपलब्ध कराना ,राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना ,सड़क परिवहन क्षेत्र में राष्ट्रीय डाटाबेस/कंप्यूटरीकरण ,सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना , निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों की और आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करना , राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड का सृजन शामिल हैं ।

यह प्रभाग ,सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियों आदि के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता देने ,सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने सहित इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रचार/जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है । यह प्रभाग ,दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा उपस्कर ,प्रदूषण जांच उपस्कर ,क्रेन और एंबुलेंस भी उपलब्ध कराता आ रहा है । इस मंत्रालय का ध्यान परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देने जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी है । इस समय मंत्रालय ,देश में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यापक निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित एजेंसी के सृजन के प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है ।

अध्याय ।

प्रस्तावना

<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>

केन्द्र सरकार का एक शीर्षस्थ संगठन जिसे अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संगठनों और व्यक्तियों के परामर्श से सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियां तैयार करने और इनको लागू करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि देश में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और दक्षता में वृद्धि हो सके ।

इस मंत्रालय के मुखिया कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं । मंत्रालय में दो राज्य मंत्री भी हैं ।

सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की सहायता के लिए महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव (परिवहन और सामान्य), संयुक्त सचिव (राजमार्ग), संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण तथा समन्वय) तथा संयुक्त सचिव (स्थापना) के साथ-साथ कई मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं सहित निदेशक, उप-सचिव स्तर के अधिकारी और अन्य अनुसचिवीय तथा तकनीकी अधिकारी हैं ।

मंत्रालय के वित्त पक्ष की अगुवाई अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार द्वारा की जाती है, जो वित्तीय प्रभाव वाली सभी नीतियों और अन्य प्रस्तावों को तैयार करने और इनको प्रोसेस करने में सहायता करते हैं । अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार की सहायता के लिए एक निदेशक (वित्त), एक सहायक वित्त सलाहकार तथा एक अवर सचिव (बजट) और अन्य अनुसचिवीय अधिकारी एवं कर्मचारी हैं ।

मंत्रालय के लेखा पक्ष की अगुवाई प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा रोकड़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

सलाहकार (परिवहन अनुसंधान), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, नीति नियोजन, परिवहन समन्वय के लिए मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को आवश्यक आंकडे उपलब्ध कराते हैं ।

इसके अलावा, मंत्रालय में सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष के रूप में दो पक्ष कार्य करते हैं ।

<u>सड़क पक्ष</u>

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 70,934 कि.मी. लंबाई में से 35,979 कि.मी. राज्य लोक निर्माण विभागों के पास, 28,126 किमी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास तथा 3,565 किमी. लंबाई सीमा सड़क संगठन के पास है । शेष 3,264 किमी. लंबाई अभी निष्पादन एजेंसियों को सौंपी जानी है । महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव सड़क पक्ष के प्रमुख हैं और वे मुख्यतः (i) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सभी सामान्य नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देने (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और अनुरक्षण (iii) संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास और अनुरक्षण (iv) ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के संबंध में केंद्रीय सड़क निधि के प्रशासन (v) सड़कों और पुलों के मानकों के मूल्यांकन और विनिर्देशन तथा (vi) सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

सड़क पक्ष निम्नलिखित अधिनियमों का भी प्रशासन कर रहा है :-

i) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988

iii) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 और

iv) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है । इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत एकल लेन की सड़कों को दो लेन बनाने और दो लेन सड़कों को चार लेन बनाने, पुलों के निर्माण/मरम्मत, बाइपासों के निर्माण, सड़क गुणता सुधार के कार्य किए जाते हैं । सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राजमार्ग परियोजनाओं को सात चरणों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है । चरण-III और उसके बाद के चरणों को सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से कार्यान्वित किया जाएगा ।

सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत, बाढ़ क्षति मरम्मत आदि जैसी विभिन्न अनुरक्षण और मरम्मत स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के त्वरित और एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है । केंद्रीय सड़क निधि संग्रह (कॉरपस) की स्थापना की गई है और इसे जारी रखा जा रहा है ।

अनुसंधान और विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य बल एक टिकाऊ सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम सड़क अवसंरचना से की जा सके । इस रणनीति के विभिन्न घटकों में (i) सड़क डिजाइन में सुधार, (ii) निर्माण तकनीकों का आधुनिकीकरण, (iii) नवीनतम प्रवृत्तियों के अनुरूप बेहतर सामग्री का प्रयोग, (iv) नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए बेहतर और उपयुक्त विशिष्टियों का विकास आदि शामिल हैं । कार्यनीति के इन घटकों का प्रचार-प्रसार नए दिशा निर्देशों, प्रथा संहिताओं, अनुदेशों/परिपत्रों के प्रकाशन, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन तथा सेमिनार/प्रस्तुतीकरण आदि के जरिए किया जाता है । मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जिनके पूरे हो जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकेंगे । इन क्षेत्रों में सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन तकनीक आदि आते हैं । अनुसंधान और विकास स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए यह मंत्रालय विभिन्न अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की सहायता लेता है ।

सड़क परिवहन

सड़क परिवहन, मालभाड़े और यात्रियों - दोनों के परिवहन के लिए एक किफायती और पसंदीदा साधन माना जाता है। यह अनुमान है कि सड़क द्वारा यात्रियों के आवागमन का हिस्सा 85% से अधिक और माल यातायात का हिस्सा कुल माल परिवहन का लगभग 60% है । आसान उपलब्धता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलता, लागत में बचत आदि जैसे कुछ कारकों से सड़क परिवहन जनप्रिय बन गया है । रेलवे, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन एक पूरक सेवा के रूप में भी कार्य करता है ।

यह मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

यह मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम रखने की दृष्टि से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नीतियां तैयार करता है और गतिविधियां चलाता है । मंत्रालय के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार और प्रबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना आदि शामिल हैं ।

सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने की दृष्टि से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाने संबंधी नियम पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं । राज्य सरकारें इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में हैं ।

अध्याय -।।

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित बजट परिणाम के ब्योरे

<u>सड़क क्षेत्र</u>

सड़क क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग, सड़कों के लिए परिव्यय उपलब्ध कराता है । 11वीं योजना में योजना आयोग ने 1,06,659.00 करोड़ रु0 का परिव्यय प्रदान किया है जिसमें सकल बजटीय सहायता 71,830.00 करोड़ रु0 और आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) 34,829.00 करोड़ रु0 है ।

योजना आयोग ने सड़क क्षेत्र में विकास के लिए 2011-12 के लिए 27,100.00 करोड़ रु0 का वार्षिक परिव्यय उपलब्ध कराया है । विवरण इस प्रकार हैं :-

मद	धनराशि (करोड़ रु0)
क) सकल बजट सहायता (जिसमें ई ए पी 500.00 करोड़ रु0 है)	19,600.00
ख) आंतरिक और अतिरिक्त बजट संसाधन (आईईबीआर)	7,500.00
ग) कुल परिव्यय (क + ख)	27,100.00

सड़क क्षेत्र के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु0 में)

क्र.स.	मद	2011-2012
1.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 'निवेश '	8250.00
2.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण - जम्मू और कश्मीर पैकेज के लिए निधि	320.01
3.	ई ए पी (सड़क पक्ष)	80.00
4.	ई ए पी (समकक्ष)	20.00
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य (एनएचओ,घरेलु यात्रा और मशीनरी सहित)	4641.33

6.	दांडी हेरिटेज रूट (रारा-228)	10.00
7.	मुंगेर, बिहार में गंगानदी पर रेल सह सड़क पुल	180.00
8.	बीआरडीबी के तहत कार्य- राष्ट्रीय राजमार्ग	700.00
9.	बीआरडीबी के तहत सामरिक सड़कें	105.00
10.	विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (इसमें कलादान बहुविध (मल्टी-मॉडल) परिवहन परियोजना के लिए आबंटन शामिल हैं।)	1,600.00
11.	अन्य प्रभार और सूचना प्रौधोगिकी का विकास, अनुसंधान और विकास योजना अध्ययन तथा व्यावसायिक सेवाओं सहित प्रशिक्षण, प्रभारित व्यय	18.00
12.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें-केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ई एंड आई	249.75
13.	सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय सड़कें (आदिवासी उप-आयोजना के लिए 375.00 करोड़ रु. सहित))	1,200.00
14.	विजयवाड़ा-रॉची सड़क के लिए विशेष कार्यक्रम	100.00
15.	उड़ीसा में पासको परियोजना -हरीचंदनपुर-नारानपुर राज्य सड़क	33.02
16.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथकर प्राप्तियों का प्रेषण	2092.89
	कुल	**19,600**

* वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तय किए गए 9411.87 करोड़ रुपए के कुल निश्चित उपकर में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निवेश' के अंतर्गत 8250 करोड़ रुपए निश्चित किया जाना प्रस्तावित है और वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा-संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 1161.87 करोड़ रुपए की शेष राशि शामिल की जानी प्रस्तावित है ।

<u>सड़क पक्ष</u>

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार की मुख्य एजेंसियां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन हैं । पूरक बाह्य बजटीय संसाधन (बी ओ टी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र का हिस्सा) सहित वित्तीय परिव्यय और राज्य लोक निर्माण विभाग, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के संबंध में वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित भौतिक निर्गम के ब्योरे क्रमश: **अनुलग्नक-I, II और III** में दिए गए हैं ।

अनुमानित परिणाम

देश के औद्योगिकीकरण से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों पर यातायात में प्रतिवर्ष 8 से 10% की वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में भी इस वृद्धि के जारी रहने की उम्मीद है । राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों में चौड़ीकरण, ग्रेड-सेपरेशन, बाइपासों, पुलों और एक्सप्रैस मार्गों आदि के निर्माण के तौर पर क्षमता विस्तार की आवश्यकता है । बड़ी संख्या में रेल/रोड लेवल क्रासिंग जहां बार-बार गेट बंद होने के कारण सड़क यातायात को रूकना पड़ता है, के कारण भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के आवागमन में बाधा आती है । इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क निधि का एक हिस्सा विशेषत: रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है । विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार से माल (कार्गो) के तेजी से आवागमन, वाहन प्रचालन लागत में कमी और ईंधन खपत में कमी के अलावा, देश के सभी भागों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा सकेगा ।

प्रक्रिया/समय सीमा

इस मंत्रालय ने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के ठेके सौंपे जाने में तथा उन्नत प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप परियोजना पूरी करने की अवधि में अनुचित विलंब से बचने के लिए ठेके सौंपे जाने और कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सारणी तैयार की है:-

(क)	**कार्य के लिए ठेके सौंपना**	
	(i) 1.00 करोड़ रु0 से कम लागत वाली परियोजनाएं	स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 6 माह के अंदर
	(iii) 1.00 करोड़ रु0 और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं	स्वीकृति की तारीख से अधिकतम एक वर्ष
(ख)	**कार्य पूरा करना**	
	(i) 1.00 करोड़ रु0 से कम लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम ढाई वर्ष
	(ii) 1.00 करोड़ रु0 से 10 करोड़ रु0 के बीच की लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम ढाई वर्ष

	(iii) 10 करोड़ रु0 से अधिक लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपे जाने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष । जहां अत्याधुनिक निर्माण मशीनें उपलब्ध होने की संभावना है, इस वर्ग की परियोजनाओं की निर्माण अवधि के संदर्भ में स्वीकृति पत्र में उपयुक्ततः कमी की जा सकती है ।

अनुलग्नक-I

परिणामी बजट 2011-12 दर्शाने वाला विवरण

(2011-12 के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य)

राज्यों के लोक निर्माण विभाग

शीर्ष	क्र.सं.	श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु0)
योजना कार्य	1.	एकल/मध्यवर्ती लेन को दो लेन का बनाना (किमी.)	870.00	1,280.00
	2.	दो लेन के कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (उत्थापन) (किमी.)	1,055.00	1,000.00
	3.	सड़क गुणता सुधार (किमी.)	1,650.00	750.00
	4.	बाइपासों का निर्माण (सं.)	5	80.00
	5.	आरओबी सहित पुलों का निर्माण/मरम्मत (सं.)	110	600.00
	6.	चार और अधिक लेन चौड़ीकरण (किमी.)	100.00	350.00
	7.	अन्य		40.00
		कुल		**4,100.00**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

<u>वित्तीय परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण : 2011-12 (तिमाही और मासिक)</u>

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	व्यय (अनुमानित व्यय) – 2010-11 (करोड़ रूपये में)													लक्ष्य/ वास्तविक	परिमाणात्मक सुपुर्दगी योग्य (कि.मी. में)				
			तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही 3			तिमाही 4			योग		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	योग
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च							
1	राराविप चरण -I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ीकरण)	लक्ष्य	260.99			235.19			200.81			150.54			847.53	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य					
			65.25	91.35	104.40	94.08	70.56		70.28	70.28	60.24	45.16	45.16	60.22	847.53						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	पूर्ण करने के लिए वास्तविक					
2	राराविप चरण -II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ीकरण)	लक्ष्य	1195.17			902.38			882.84			725.59			3705.99	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य					

			298.79	418.31	478.07	360.95	270.71	270.71	308.99	308.99	264.85	217.68	217.68	290.24	3705.98	पूर्ण करने के लिए वास्तविक					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपने हेतु लक्ष्य					
																सौंपने हेतु वास्तविक					
3	रारांविप चरण -III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ीकरण)	**लक्ष्य**	6717.77			6510.91			7069.16			7170.62			27468.46	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य					
			1679.44	2351.22	2687.11	2604.36	1953.27	1953.27	2474.21	2474.21	2120.75	2151.19	2151.19	2868.25	27468.46	पूर्ण करने के लिए वास्तविक					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपने हेतु लक्ष्य					
																सौंपने हेतु वास्तविक					
4	रारांविप चरण -IV (सुदृढ़ीकरण सहित पेव्ड शोल्डर के साथ 2लेन में चौड़ीकरण)	**लक्ष्य**	1195.50			1489.00			1410.50			1577.00			5672.00	सौंपने हेतु लक्ष्य					
			298.88	418.43	478.20	595.60	446.70	446.70	493.68	493.68	423.15	473.10	473.10	630.80	5672.00	सौंपने हेतु वास्तविक					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						

5	रारांविप चरण V (स्व.च. और अन्य पर चुनिन्दा खंडों को 6 लेन का बनाना)	**लक्ष्य**	2095.98			1716.74			2452.73			2831.54			9096.99	6 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य					
			524.00	733.59	838.39	686.70	515.02	515.02	858.46	858.46	735.82	849.46	849.46	1132.62	9096.99	पूर्ण करने के लिए वास्तविक					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपने हेतु लक्ष्य					
																सौंपने हेतु वास्तविक					
6	रारांविप चरण -VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास करना)	**लक्ष्य**	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपने हेतु लक्ष्य					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
																सौंपने हेतु वास्तविक					
7	रारांविप चरण -VII (रिंग रोड़ो बाईपासो, ग्रेड सेपरेटरो, सर्विस रोड़ो आदि)	**लक्ष्य**	90.48			104.98			120.47			148.07			464.00	सौंपने हेतु लक्ष्य					
			22.62	31.67	36.19	41.99	31.49	31.49	42.16	42.16	36.14	44.42	44.42	59.23	464.00						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
																सौंपने हेतु वास्तविक					

8	एसएआरडीपी-एनई	**लक्ष्य**	326.00			438.00			416.00			336.00			1516.00							
			81.50	114.10	130.40	175.20	131.40	131.40	145.60	145.60	124.80	100.80	100.80	134.40	1516.00							
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00							
9	ऋणों/उधारों की अदायगी और उस पर ब्याज तथा वार्षिकियों के भुगतान संबंधी देयताएँ	**लक्ष्य**	984.82			984.82			984.83			984.83			3939.30	**लक्ष्य**						
			246.21	344.69	393.93	393.93	295.45	295.45	344.69	344.69	295.45	295.45	295.45	393.93	3939.30							
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00							
																वास्तविक						
योग		**लक्ष्य**	**12866.71**			**12382.02**			**13537.34**			**13924.19**			**52710.26**	**लक्ष्य (पूरा करने के लिए)**						
		वास्तविक														**वास्तविक**						

अनुलग्नक-III

परिणामी बजट 2011-12 दर्शाने वाला विवरण

(2011-12 के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य)

बी आर डी बी

शीर्ष	क्र.सं.	श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु0)
योजना कार्य	1.	एकल/मध्यम लेन को दो लेन का बनाना (किमी0)	200.00	574.50
	2.	दो लेन के कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (उत्थापन) (किमी.)	25.00	30.00
	3.	चार और अधिक लेन बनाना (किमी0)	4.10	18.00
	4.	बाइपास का निर्माण (सं0)	2	10.00
	5.	आरओबी के निर्माण सहित पुलों का निर्माण/मरम्मत (सं0)	19	40.00
	6.	सड़क गुणता सुधार (किमी.)	22.30	17.50
	7.	अन्य		10.00
		कुल		**700.00**

सड़क सुरक्षा

(लाख रु0 में)

बजट प्राक्कलन 2010-11	संशोधित प्राक्कलन 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-12
18,000.00	8,100.00	22,500.00

इस योजना के अंतर्गत कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं -

1.1 प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान

1.1.1 नागरिकों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के सबसे अच्छे साधनों में से एक साधन है - प्रचार अभियान चलाना । इन अभियानों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है । ये अभियान इस मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से चलाए जा रहे हैं :-

(i) सड़क सुरक्षा संदेशों के साथ कलेंडरों का मुद्रण ।

(ii) रेडियो झलकियों का प्रसारण ।

(iii) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य चैनलों पर सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो झलकियों का टीवी पर प्रसारण ।

(iv) पैम्फलेट, पोस्टर, अभ्यास-पुस्तिकाओं आदि जैसी सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री सभी सड़क प्रयोक्ताओं में वितरण के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्कूलों/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन आयुक्तों/सचिवों, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात) को उपलब्ध कराना ।

(v) स्कूली छात्रों के लिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, और

(vi) सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना ।

1.2 असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

1.2.1 चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण : इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 2010-11 के दौरान, एसआईएएम और एआईएमटीसी और चालक प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से 40,000 चालकों को प्रशिक्षित किए

जाने की आशा है । इस पर 3.50 करोड़ रुपए की धनराशि का व्यय निहित है ।

1.2.2 मानव संसाधन विकास : इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के अधिकारियों को सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सड़क परिवहन के क्षेत्र में होने वाले विकासात्मक कार्यों से अवगत रह सकें ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम, आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए निधियां संस्वीकृत की गई हैं । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वाहन प्रदूषण, वाहन मूल्यांकन, वैकल्पिक ईंधन, सड़क सुरक्षा प्रबंधन और सड़क परिवहन विनियमन एवं प्रशासन, सड़क दुर्घटना अन्वेषण और परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों को कवर किया जाएगा ।

1.2.3 इस शीर्ष के तहत बजट प्रावधान में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की बकाया देयताओं को पूरा करने के प्रावधान शामिल हैं । वर्ष 2009-10 के दौरान इस धनराशि में से 2.63 करोड़ रुपए पिछले संस्वीकृत स्कूलों के संबंध में किस्तों की मद में जारी किए गए । "भारत में अनुसंधान एवं चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" नामक संशोधित योजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । इसलिए, नई योजना के अनुसार नए स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान करने के लिए निधियां की आवश्यकता होगी । इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2010-11 के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है ।

1.3. राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना

1.3.1 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय राजमार्गों से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए 1993-94 में राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना प्रारंभ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

1.3.2 तथापि, कुछ मामलों में उपस्करों की खरीद में विलंब तथा वित्तीय सहायता के उपयोग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नकद अनुदान

दिए जाने की बजाए उनको उपस्कर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 2000-01 में इस योजना के स्वरूप में संशोधन किया गया । इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया । वर्ष 2010-11 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को 10 टन वाली 40 क्रेन और छोटी/मध्यम आकार की 36 क्रेन प्रदान किए जाने की प्रत्याशा है । अभिघात केन्द्रों के उन्नयन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित अस्पतालों/अभिघात केन्द्रों के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान 70 एंबुलेंस प्रदान किए जाने की प्रत्याशा है ।

1.4 सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण परीक्षण व नियंत्रण उपस्कर

1.4.1 सड़क सुरक्षा उपस्कर - इस शीर्ष के अंतर्गत राज्यों को, सड़क सुरक्षा उपस्करों जैसे ब्रेथ एनालाइजर, बहुद्देश्यीय यातायात विनियमन वाहन आदि देकर सहायता प्रदान की जाती है ।

1.4.2 प्रदूषण परीक्षण उपस्कर - वाहन उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बन गया है । मोटर यान अधिनियम/नियमावली में इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं । वाहन उत्सर्जन के मानकों को शासित करने वाले प्रावधान 1.7.1992 से लागू किए गए थे तथा विगत वर्षों में इन्हें उत्तरोत्तर कठोर बनाया गया है । 13 महानगरों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, कानुपर, पुणे, सूरत, आगरा, लखनऊ और शोलापुर में चार पहिए वाले वाहनों के लिए भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानक लागू कर दिए गए हैं । शेष भारत में भारत स्टेज-III उत्सर्जन मानक अब लागू हैं । पी यू सी मानकों को 1.10.2004 से कठोर बना दिया गया है।

1.4.3 मंत्रालय ने पीयूसी मानकों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2006-07 से प्रदूषण परीक्षण उपस्कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया । वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने के लिए 139 स्मोक मीटर और 139 गैस एनालाइजर के लिए कार्यादेश जारी किए गए । वर्ष 2011-12 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की कुल लागत के प्रदूषण परीक्षण उपस्कर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है ।

2. राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क

(लाख रु में.)

विवरण	बजट प्राक्कलन 2010-11	संशोधित प्राक्कलन 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-12
कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस	2500.00	1000.00	4000.00
डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास	500.00	500.00	1000.00

2.1 कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस

देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण दस्तावेजों में एकरूपता लाने के लिए एक परियोजना तैयार की गई, जो 2001 से लागू है । इस योजना का उद्देश्य सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का समावेश करना है । बैक-एंड कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंसों, पंजीकरण प्रमाण पत्रों तथा परमिट के ब्योरों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्तर पर एक मानकीकृत समान साफ्टवेयर में शामिल करना है जो अनिवार्य रूप से राज्य स्तर पर और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा होगा । फ्रंट-एंड प्रचालन में, परिवहन अनुप्रयोग विनिर्देश के लिए साझा स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली के आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है ।

2.1.1 केन्द्रीय स्तर पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र दोनों के लिए 31.8.2004 को एन आई सी में 'सिमैट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर' की स्थापना की गई । वाहन (पंजीकरण प्रमाण पत्र) और सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) की पायलट परियोजनाएं सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही लागू कर दी गई हैं । इनमें से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडू और कर्नाटक ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है । सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टरों के सृजन के लिए 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक परियोजना को वर्ष 2008 में अनुमोदित किया । 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और लगभग 93% क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो गया है । इसके अलावा, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेटवर्क संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । 890 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (लगभग 91 प्रतिशत) में नेटवर्क संपर्क स्थापित कर लिया गया है ।

2.2 डाटा संग्रहण, अनुसंधान और विकास

2.2.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष नीति नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी जैसे उद्देश्यों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को डाटा इनपुट और आर्थिक विश्लेषण के रूप में सहायता प्रदान करता है । परिवहन अनुसंधान पक्ष राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों, सड़क परिवहन, पत्तनों (समुद्री कार्गो की मात्रा और संघटन, कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के

क्षमता संकेतक और पत्तन वित्त आदि), नौवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे क्षेत्रों से संबंधित डाटा और सूचना के संग्रहण, संकलन और वितरण के लिए नोडल एजेंसी है । सड़कों, पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित परिवहन डाटा के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन के अलावा यह पक्ष विभिन्न प्राथमिक/द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त डाटा की सुसंगति और तुलनीयता के लिए इनकी जांच और प्रमाणन का काम भी करता है ।

2.2.2 सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्रों के लिए परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा किसी योजना अथवा गैर-योजनागत स्कीम को लागू नहीं किया जाता है । सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्रों को शामिल करते हुए परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं :-

(i) आधारभूत सड़क सांख्यिकी (बीआरएस) जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण सड़कों और परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क संबंधी आंकड़े/सूचना दी जाती है । लगभग 280 स्रोत एजेंसियां आंकड़े उपलब्ध कराती हैं जिनका उपयोग आधारभूत सड़क सांख्यिकी के लिए किया जाता है । आधारभूत सड़क सांख्यिकी का नवीनतम अंक जुलाई, 2010 में प्रकाशित किया गया जिसमें मार्च, 2008 की समाप्ति तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं ।

(ii) सड़क परिवहन वार्षिकी जिसमें वाहन वर्गीकरण की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल पंजीकृत मोटर वाहनों; बसों के सरकारी और निजी स्वामित्व; सड़क दुर्घटनाओं; मोटर वाहन कराधान एवं किराया ढ़ांचा; वाहन करों, शुल्क से प्राप्त राजस्व आदि से संबंधित ब्योरा दिया गया है । नवीनतम अंक (सड़क परिवहन वार्षिकी 2006-07) में मार्च, 2006 में समाप्त वर्ष के और कुछ पहलुओं के संदर्भ मार्च 2007 तक के आंकड़े शामिल हैं । मार्च, 2007, मार्च, 2008 और मार्च 2009 में समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में अगला अंक जिसमें पंजीकृत वाहनों का डाटा शामिल है, प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है ।

(iii) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा : यह प्रकाशन व्यापक संगठनात्मक वर्गीकरण (राज्य सड़क परिवहन निगम, कंपनियों [कंपनी अधिनियम के तहत निगमित], नगर पालिका उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों) के संदर्भ में प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्य निष्पादन प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न अभिनिर्धारित मानदंडों के संदर्भ में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण भी दिया जाता है । विद्यमान 52 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से लगभग 35 से 37 राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, अपेक्षित फार्मेट में नियमित आधार पर आंकड़े दे रहे हैं । नवीनतम अंक में, वित्त वर्ष

2008-09 से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं ।

(iv) भारत में सड़क दुर्घटनाएं नामक प्रकाशन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, सड़क दुर्घटना संबंधी विभिन्न पहलुओं/मानदंडों को शामिल किया जाता है जिनमें दुर्घटनाओं के कारण भी शामिल हैं । मार्च, 2010 में परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं : 2008' नामक नवीनतम अंक प्रकाशित किया गया जिसमें वर्ष 2008 के सड़क दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है । 'भारत में सड़क दुर्घटनाए – 2009' नामक आगामी अंक जिसमें कैलेंडर वर्ष 2009 के आंकड़े शामिल हैं, के प्रकाशन पर कार्य चल रहा है । ये आंकड़े, एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (एपीआरएडी) - भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आईआरएडी) से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रायोजित परियोजना के 19 मदों वाले फार्मेट में एकत्र किए जाते हैं ।

3. 11वीं योजना की नई स्कीमें

3.1 निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना

(लाख रु.)

बजट प्राक्कलन 2010-11	संशोधित प्राक्कलन 2010-11	बजट प्राक्कलन (2011-2012)
5400.00	2000.00	8400.00

3.1.1 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के पास अलग-अलग श्रेणियों के मोटर वाहनों की आयु निर्धारित करने का अधिकार है । तथापि, अभी तक इस धारा का प्रयोग नहीं किया गया है । केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 82 और 88 के अंतर्गत, केवल पर्यटक परमिट और राष्ट्रीय परमिट के उद्देश्य हेतु वाहनों की कतिपय श्रेणियों की 'आयु' निर्धारित की गई है । इस मंत्रालय का विचार यह रहा है कि बेहतर रूप से अनुरक्षित पुराना वाहन भी बदतर रूप से अनुरक्षित अपेक्षाकृत नए वाहन से कम प्रदूषणकारी हो सकता है । कोई भी वाहन सड़क पर तब तक चल सकता है जब तक वह मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की सुरक्षा, उत्सर्जन और फिटनेस (उपयुक्तता) मानकों से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करता है । देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी वाहन की आयु निर्धारित करना उचित नहीं होगा ।

3.1.2 प्रत्येक परिवहन वाहन को प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष

उपयुक्तता जांच करानी होती है । गैर परिवहन वाहन को एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद 15 वर्ष तक उपयुक्तता जांच की आवश्यकता नहीं है । अत: मंत्रालय का यह सुविचारित मत है कि उत्सर्जन तथा सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए निरीक्षण एवं अनुरक्षण की समुचित प्रणाली को अवश्य लागू किया जाना चाहिए । सार्वजनिक निजी भागीदारी से विभिन्न राज्यों में ऐसे निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी । मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 10 आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना की एक योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं । अन्य राज्यों को अपने प्रस्ताव भेजने के लिए फिर से कहा गया है । वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 84.00 करोड़ रु. आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

3.2 जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

(लाख रुपए में)

बजट प्राक्कलन 2010-11	संशोधित प्राक्कलन 2010-2011	बजट प्राक्कलन 2011-2012
3500.00	**2400.00**	**4000.00**

3.2.1 विगत वर्षों में सार्वजनिक परिवहन में आई कमी, हमारे परिवहन नियोजन की विफलताओं में से एक है । वाहनों के कुल बेड़े में बसों का हिस्सा वर्ष 1951 के 11% से अधिक की तुलना में घटकर वर्ष 2006 में 1.1% रह गया है । इससे निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भीड़-भाड़ ,प्रदूषण और दुर्घटनाओं जैसे प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं । इसके अलावा ,इस स्थिति से विषमता भी पैदा होती है क्योंकि गरीब व्यक्ति परिवहन सेवाओं से वंचित हो जाते हैं । इस स्थिति को बदले जाने की आवश्यकता है । 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली प्रणाली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्रीय स्तर पर प्रावधान किए गए हैं । तथापि, ऐसी वित्तीय सहायता उन्हीं राज्यों को दी जाएगी जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए तत्पर होंगे । यह योजना सरकार द्वारा

मार्च 2010 , में अनुमोदित की गई थी और इसे 15.3.2010 से लागू किया गया था । वर्ष 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक सरकार ने कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है । वर्ष 2011-12 के दौरान इस उद्देश्य हेतु 40 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

3.3 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन

(लाख रुपए में)

बजट प्राक्कलन 2010-11	संशोधित प्राक्कलन 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-2012
100.00	**0.00**	**100.00**

3.3.1 सरकार ने देश में सड़क सुरक्षा कार्यों की निगरानी के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए लोक सभा में 4.5.2010 को एक विधेयक प्रस्तुत किया है । इस विधेयक को विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था जिसने 21.7.2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस विधेयक में कतिपय संशोधन सम्मिलित किए जाने के लिए मंत्रालय में समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है । आशा की जाती है कि अगले वित्त वर्ष में बोर्ड का गठन किया जाएगा । तदनुसार, बोर्ड के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए प्रारंभिक स्तर पर बजट प्राक्कलन 2011-12 के लिए 1.00 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य परिव्यय/परिणाम बजट अनुलग्नक में दिया गया है ।

<u>निगरानी तंत्र</u>

सड़क परिवहन क्षेत्र की योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक अंतरर्निहित तंत्र विद्यमान है । की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत भुगतान राशि जारी की जाती है । केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान को आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के काम की निगरानी, पर्यवेक्षण करने और तकनीकी सहायता देने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । संस्थान की रिपोर्टों के आधार पर ही दूसरी और उसके बाद की किश्तें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संगठनों को जारी की जाती हैं ।

अनुलग्नक –II

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2011-12 (प्रस्तावित)	परिमाणात्मक लक्ष्य/भौतिक निर्गम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	**सड़क सुरक्षा**						
	(i)असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास।	गैर सरकारी संगठनों/ संस्थानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के भारी मोटर वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	120.00	प्रशिक्षित किए जाने वाले चालकों की संख्या और राज्य परिवहन विभाग /मंत्रालय के अधिकारियों के लिए संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	80000 चालकों को प्रशिक्षित किया जाना है, 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं। 7 आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान की जानी है ।	वार्षिक	यह, संगठनों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त होने पर निर्भर करता है ।
	(ii) प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान द्वारा सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।	45.00	टीवी/रेडियो पर प्रसारित की जाने वाली वीडियो/रेडियो झलकियों की संख्या	300 वीडियो झलकियां तथा 300 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी हैं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने हैं ।	वार्षिक	यह, डीएवीपी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है ।

	(iii) सड़क सुरक्षा उपस्कर और प्रदूषण जांच व नियंत्रण	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इंटरसेप्टर और प्रदूषण जांच उपस्कर जैसे सड़क सुरक्षा उपस्कर प्रदान करना ।	10.00	बहुद्देश्यीय यातायात वाहन (एमटीवी) प्रदान करने की योजना बंद कर दी गई है और इसके स्थान पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विभिन्न यातायात प्रवर्तन उपस्करों जैसे कि स्पीड डिटेक्शन रडार और ब्रेथ एनालाइजर आदि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।	200 स्मोक मीटर और 200 गैस एनालाइजर अर्थात् प्रदूषण जांच उपस्करों को संस्वीकृत किया जाना है ।	वार्षिक	समीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रापण किया जाएगा ।
	(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	राज्य सरकारों/ गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान करना । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उचित समय सीमा के अंदर चिकित्सा सहायता प्रदान करना है ताकि समय की अधिक बर्बादी न हो और यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना स्थल को साफ किया जा सके ।	50.00	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जाने वाली क्रेनों/एंबुलेंसों की संख्या	30 क्रेन, छोटी/मध्यम आकार की 20 क्रेन और 30 एंबुलेंस प्रदान की जाएंगी।	वार्षिक	राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं ।

2.	**राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क**						
	(i) कंप्यूटर प्रणाली और राष्ट्रीय डाटा बेस	मोटर वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के बारे में मानकीकृत अद्यतन सूचना तैयार करना और सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नेटवर्किंग	40.00	परिमाणात्मक लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते ।	लागू नहीं ।	-	राज्य सरकारों की तत्परता चाहिए ।
	(ii) समस्त इंजीनियरी समाधान सहित डाटा संगहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित अध्ययन कार्य/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू किया जाना/सौंपना	10.00	शुरू किए जाने वाले अध्ययन कार्यों/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	4 अध्ययन कार्य/ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी	वार्षिक	निविदादाताओं से प्रतिक्रिया
3	**11वीं योजना की नई स्कीमें**						
	निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना	सार्वजनिक निजी भागीदारी से निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना करना ।	84.00	संस्वीकृत किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या	5 केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं।	वार्षिक	राज्यों/अन्य संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं ।
	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली प्रणाली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ।	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ।	40.00		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10 प्रस्ताव संस्वीकृत किए जाने हैं ।	वार्षिक	केन्द्र/राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं । राज्यों द्वारा सुधार किए जाने हैं ।
	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करना	1.00	इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता	मात्रा नहीं बताई जा सकती ।		संसद का अनुमोदन अपेक्षित है ।
			400.00				

अध्याय-III

मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहल का प्रभाव

सड़क पक्ष

10वीं योजना के निष्पादन की व्यापक समीक्षा से पता चलता है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि में कमी रही है; यह कमी, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृतियों, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृतियों, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं, पुनर्वास तथा बंदोबस्त संबंधी मुद्दों के कारण हुए विलंब और कुछ मामले में ठेकेदार के अल्प कार्य निष्पादन के कारण आई है । सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भूमि अधिग्रहण

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो विभिन्न मुद्दों जिनमें राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर प्रभावी समन्वय स्थापित करना अपेक्षित है, के बारे में समन्वय करते हैं । इसके अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में तेजी लाकर और कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं को कम करके कार्य की प्रगति तीव्रतर की जाए । इस विभाग को विधि मंत्रालय से परामर्श किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचनाएं जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ।

पर्यावरणीय और वन संबंधित स्वीकृति

पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है जिनमें यह प्रस्ताव किया गया कि आर ओ डब्ल्यू के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली 60 मीटर तक की चौड़ाई की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत की जानी है, के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित न हो । इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बारे में एकरूप नीतिगत दिशानिर्देश सुझाए गए हैं ।

आर ओ बी स्वीकृति

- रेलवे से आर ओ बी/आर यू बी की शीघ्र स्वीकृति हेतु, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित रेलवे मंडल द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं ।
- जोनल स्तर पर विभिन्न लंबित स्वीकृतियों की समीक्षा के लिए समय समय पर बैठकें की जाती हैं ।
- आर ओ बी निर्माण के लिए स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की भी समय समय पर बैठकें की जाती हैं ।
- आर ओ बी के निर्माण में तेजी लाए जाने के लिए रेलवे बोर्ड के सुझाव पर, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागत जमा आधार पर आर ओ बी के निर्माण के लिए इरकॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

- रेलवे बोर्ड द्वारा इरकॉन को जनरल एरेंजमेंट ड्राइंग को छोड़कर निर्माण के विभिन्न स्तरों पर डिजाइनों को अनुमोदित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

ठेकेदारों द्वारा अल्प कार्य निष्पादन

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्य निष्पादित न करने वाले (नॉन पर्फोर्मिंग) ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर कुछ ठेकेदारों के ठेके रद्द किए हैं ।

एन एच डी पी के तीव्र कार्यान्वयन के लिए 2010-11 के दौरान (31 दिसंबर, 2010 तक) सरकार द्वारा उठाए गए नवीनतम कदम:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से स्पष्ट प्रभाव लाने के लिए मंत्रालय ने प्रक्रियागत मुद्दों जो अवसरंचना की वाछिंत प्रगति में अवरोधक और बड़ी बाधाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं, को दूर करने के लिए इन पर निशाना साधा है ।
2. गत वर्ष किए गए नीतिगत प्रयासों के अलावा इस वर्ष (2010-11), 9 अप्रैल, 2010 के का.ज्ञा. संख्या एनएच-37015/1/2009-एच के तहत आदर्श निविदा दस्तावेजों- निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी)/डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) परियोजनाओं के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में अप्रैल, 2010 में संशोधन किए गए थे । इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ निविदादाताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को इरादतन एकत्र कर लेने और इस प्रकार अपनी क्षमता से अधिक कार्य स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकेगा क्योंकि ऐसी अवस्था में उन्हें वित्त व्यवस्था कर पाने में संभावित कठिनाई का सामना करना पड़ता था ।
3. 15628 किमी. लंबाई की 119 परियोजनाओं हेतु 2010-11 की कार्य योजना-।। को अनुमोदन प्रदान किया गया ।
4. चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान अभी तक, 4001.244 किमी. की कार्य योजना-। और ।। में से 42 परियोजनाएं सुपुर्दगी की भिन्न-भिन्न पद्धतियों के अंतर्गत 36,243.82 करोड़ रुपए की लागत पर सौंप दी गई हैं ।
5. 631 किमी. लंबाई की लगभग 5,790 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 परियोजनाओं के लिए निविदाएं भी प्राप्त हो गई हैं ।

6. इनके अलावा, 808 किमी. लंबाई की लगभग 6,388 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं ।

7. इसके अतिरिक्त, 1,003 किमी. लंबाई वाली 10 परियोजनाएं जिनके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं ।

8. 14960 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं के प्रस्तावों को यथास्थिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति/स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विवाद निपटान तंत्र, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण तथा कर संबंधी अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार को चतुर्वेदी समिति की दूसरी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है और इसे कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

10. उद्योग जगत और सरकार के बीच सतत् संवाद के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करने हेतु मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय उद्योग संघ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त कार्यबल की 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) 2 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान और उद्योग क्षेत्र की चिंताओं के निपटान पर चर्चा हुई । ।

<u>नई राष्ट्रीय परमिट योजना का कार्यान्वयन</u>

सरकार ने 8 मई, 2010 से माल वाहनों के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली की शुरूआत की है । नई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय परमिट, समेकित शुल्क के रूप में 15,000/-रुपए प्रतिवर्ष प्रति ट्रक का भुगतान करने पर गृह राज्य द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसमें परमिट धारक को संपूर्ण देश में प्रचालन के लिए अधिकृत किया जाता है । वर्तमान में, ट्रांसपोर्टर यह धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की पदनामित शाखा में जमा कर सकता है । सरकार ने नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक विधि से एक वेब-पोर्टल जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है, के माध्यम से 01.09.2010 से लागू करने के लिए आवश्यक उपाय भी किए हैं । 15,000/-रुपए का समेकित शुल्क, संपूर्ण भारत में भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है । नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राज्यों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श करके विकसित की गई है । इस नई प्रणाली का, राज्यों और ट्रांसपोर्टरों, दोनों ही ने व्यापक रूप से स्वागत किया है और इसे वाहनों का संपूर्ण देश में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है ।

अध्याय-IV

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा

सड़क पक्ष

योजना-वार भौतिक कार्य निष्पादन

राष्ट्रीय राजमार्ग :-

(करोड़ रु.)

2009-10 (योजना)		2010-11		2011-12 (योजना)
ब.प्रा.	**सं.प्रा.**	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	ब.प्रा.
*20,198.00	*18,632.75	*25,155.00	*25,465.00	*27,100.00

*इसमें आई ई बी आर की राशि भी शामिल है

इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की कुल लंबाई 70,934 कि.मी. है । यह भारतीय सड़क नेटवर्क का मात्र 1.7% है लेकिन इस पर कुल यातायात का 40% यातायात होता है । वर्ष 2010-11 के दौरान जारी कार्यों और नए कार्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास के लिए संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान 25,465.00 करोड़ रु. है । इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निवेश के रूप में दी गई धनराशि भी शामिल है ।

राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग

एन एच डी पी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के अलावा, लगभग 42,808 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको बजट धनराशि में से उपलब्ध निधियों से विकसित/अनुरक्षित किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें सड़क गुणता सुधार, चार और छह लेन बनाने का कार्य, सुदृढ़ीकरण, बाइपासों का निर्माण और पुलों का पुनर्निर्माण/निर्माण आदि कार्य शामिल हैं । वर्ष 2010-11 के दौरान, दिसंबर, 2010 तक कुल 1584 करोड़ रु. की लागत के नए प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं । दिसंबर, 2010 तक कुल 763 कि.मी. एकल लेन वाली सड़कों को दो लेन का बनाया गया है, 687 कि.मी. के सुदृढ़ीकरण कार्यों और 66 पुलों के पुनर्निर्माण/निर्माण के कार्यों को पूरा कर लिया गया है । प्रमुख परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

क. 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन के अंतर्गत 20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली प्रमुख चालू परियोजनाएं:-

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिए कार्यान्वित करवाई जा रही 20 करोड़ रु. या इससे अधिक की लागत वाली कुल 84 परियोजनाएं (गैर-एनएचडीपी) हैं जिनकी कुल लागत 3,755.54 करोड़ रु. है । परियोजनाओं की लागत, प्राप्त परिणाम, प्रगति की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाएं तथा लक्ष्यों के ब्योरे **अनुलग्नक-क** में दिए गए हैं ।

ख. अनुरक्षण और मरम्मत :-

(करोड़ रु.में)

2009-10				2010-11				2011-12
ब.प्रा.		**सं.प्रा.**		**ब.प्रा.**		**सं.प्रा.**		**ब.प्रा.**
योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	गैर योजना
-	1036.44	-	1035.10	-	1032.86	-	1989.46	983.25

इस शीर्ष के अंतर्गत पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संरक्षण और उचित रख-रखाव के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । विगत 6 दशकों के दौरान भारतीय सड़कों पर यातायात की मात्रा में असाधारण वृद्धि हुई है; 1950-51 और 2002-03 के बीच, मालभाड़ा यातायात में 101 गुना वृद्धि हुई है जबकि यात्री यातायात में 132 गुना वृद्धि हुई है । इस अवधि के दौरान, कुल मालभाड़ा यातायात में सड़क क्षेत्र का हिस्सा 12% से बढ़कर 65% हो गया है जबकि यात्री यातायात में यह 25% से बढ़कर 85% हो गया है । तथापि, सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के व्यापक होने के साथ-साथ गुणता और क्षमता के बारे में गंभीर समस्याएं भी आ खड़ी हुई हैं । हाल के वर्षों में मजदूरी में वृद्धि, सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों जैसी सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत लागत में भी वृद्धि आई है । इन कठिनाइयों के बावजूद, आवश्यकता की तुलना में निधियों की उपलब्धता लगभग 40% रही है ।

ग. आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत सड़कों सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क का सुधार और विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर का विकास

अभी तक, 4880 किमी. लंबी सड़कों की 180 परियोजनाओं के लिए 5951 करोड़ रुपए की लागत के विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए हैं । इनमें से 3331 किमी. लंबी सड़कों की 3866 करोड़ रुपए लागत की 122 परियोजनाएं सौंप दी गई हैं । इसके अलावा, 1306 किमी. लंबी सड़कों के 2066 करोड़ रुपए लागत के 44 कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है तथा इन कार्यों को शीघ्र ही सौंपे जाने की भी संभावना है । संपूर्ण कार्यक्रम को जून, 2011 तक सौंपे जाने की संभावना है । संपूर्ण

कार्यक्रम को मार्च, 2014 तक पूरा किए जाने की योजना है ।

विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर के विकास के अंतर्गत अभी तक उड़ीसा सरकार से 199 किमी. लंबाई के 336 करोड़ रुपए की लागत के तीन पैकेजों के लिए प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर संस्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई है । विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर के अंतर्गत कार्यों को भी जून, 2011 तक सौंपे जाने का प्रस्ताव है ताकि ये कार्य, मार्च, 2014 तक पूरे हो सकें ।

3. केन्द्रीय सड़क निधि

दिसंबर, 2000 में केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम को अधिनियमित करके इस निधि को सांविधिक दर्जा दिया गया है । डीजल और पेट्रोल की बिक्री से वसूली गई उपकर राशि को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों में वितरित किया जाता है :-

उपकर [पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 2.00 रु.] का वितरण

(क) 1.50 रुपए प्रति लीटर उपकर का वितरण:-

(i) हाई स्पीड डीजल पर वसूले गए उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निश्चित किया गया है, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

(ii) हाई स्पीड डीजल पर उपकर का 50% और पेट्रोल पर वसूले गए संपूर्ण उपकर का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता है :

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए;
- 12.5% के बराबर की धनराशि सड़क के उपरि/अधो पुलों का निर्माण तथा रेलवे कर्मचारी रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा कार्य के लिए; और
- 30% के बराबर धनराशि राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए । इस धनराशि में से 10% धनराशि, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाती है ।

ख) 0.50 रुपए प्रति लीटर उपकर का वितरण:-

वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा यथा-संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार, 1.4.2005 और उसके बाद से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए 0.50 रु0 के अतिरिक्त उपकर की धनराशि विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपयोग की जाती है ।

- राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए वर्ष 2010-11 में दिसंबर, 2010 तक केन्द्रीय सड़क निधि से 1121.40 करोड़ रु. की लागत के 125 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं । जबकि वर्ष 2000

में केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम की शुरुआत से लेकर दिसंबर, 2010 तक 20756.80 करोड़ रु. धनराशि के कुल 6590 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और उनके ब्योरे **अनुलग्नक-ख** में दिए गए हैं ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़क :-

भारत सरकार ने 27 दिसंबर, 2000 को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 को अधिनियमित करते हुए डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगा कर यह निर्णय लिया कि राज्यीय सड़कों के लिए सी आर एफ का 10% हिस्सा मंत्रालय की अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के विकास संबंधी स्कीम के अधीन सड़कों के विकास के लिए अभिनिर्धारित किया जाए । संशोधित केंद्रीय सड़क निधि के लागू हो जाने के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की सड़क/पुल परियोजनाएं पूर्णतया वित्तपोषित होंगी और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं 50% तक वित्तपोषित की जाएंगी । मोटे तौर पर, इस स्कीम के अधीन सड़क/पुल परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियां सहायता अनुदान हेतु पात्र हैं :-

i. यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुल ।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कें/पुल ।
iii. आर्थिक संवृद्धि के नए क्षेत्रों, जहां निकट भविष्य में रेलवे सुविधाएं मुहैया नहीं की जा सकती हैं, को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल ।
iv. ऐसी सड़कें/पुल जो पहाड़ी क्षेत्रों और खनिज संपन्न क्षेत्रों के तेजी से विकास में सहायक हों ।

इन स्कीमों के अधीन राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदित परियोजनाओं के वर्ष-वार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड रू0 में)

वर्ष	**आर्थिक महत्व**		**अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क**	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**केन्द्र का हिस्सा (50%)**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित**
2001-02	23	53.92	52	220.98
2003-04	28	46.26	18	67.31
2004-05	30	101.13	46	232.94
2005-06	16	60.99	29	187.06
2006-07	14	51.66	41	239.87
2007-08	20	74.22	31	342.78
2008-09	20	81.19	27	303.20
2009-10	6	59.36	30	421.73
2010-2011*	3	29.80	27	144.61
जोड़	**160**	**558.53**	**301**	**2160.48**

*दिसंबर, 2010 तक

अभी तक आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अधीन सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य वार ब्योरे **अनुलग्नक-ग** में दिए गए हैं ।

वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 282.77 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिसमें, उड़ीसा में दुबूरी-ब्रह्मणीपाल-नरनपुर-क्योंझर सड़क परियोजना के लिए 33.02 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	रारा-214 के किमी. 105/500 में गोदावरी नदी की वैनतेया शाखा पर पहुँचमार्गों सहित बडे पुल का निर्माण	49.63 (मू.) 70.43 (सं.)	01 अप्रैल 2007	02 अप्रैल 2010	2 अप्रैल 2010 25 अक्टूबर 2011	49.3%	28.47	विलंब के मुख्य कारण हैं- जनसुविधाओं का स्थानांतरण, नदी में बाढ़ और भूमि अधिग्रहण ।
2	आंध्र प्रदेश	रारा-202 के किमी. 124/000 से 130/600 तक सड़क गुणता सुधार सहित चार लेन बनाए जाना	24.39 (मू.)	08 सितम्बर 2010	08 सितम्बर 2012	08 सितम्बर 2012	5%	0.00	कार्य प्रगति पर है ।
3	असम	रारा-31 पर मिलने वाली सड़कों के सुधार तथा पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित किमी. 816/012 से 829/000 तक सुदृढ़ीकरण	20.71 (मू.)	24 मई 2010	07 जून 2011	07 जून 2011	14%	1.91	कार्य प्रगति पर है ।
4	असम	रारा-31 बी के किमी. 0/000 से 19/659 तक सुदृढ़ीकरण और पेव्ड शोल्डर का निर्माण	28.57(मू.)	–	–	–	0%	0.00	आबंटन के निकट ।
5	असम	ह्यूम पाईप कल्वर्ट के निर्माण(16.151 किमी) और पेव्ड शोल्डर सहित रारा-36 के किमी. 39/500 से 55/760 तक सुदृढ़ीकरण	21.79 (मू.) 24.26 (सं.)	19 सितम्बर 2009	31 मार्च 2011	31 मार्च 2011	95%	19.54	कार्य प्रगति पर है ।
6	असम	रारा-36 के किमी. 62/000 से 64/260, 68/000 से 69/000 और किमी. 69/760 से 90/760 तक पेव्ड शोल्डर सहित सुदृढ़ीकरण	26.76 (मू.) 29.79 (सं.)	18 सितम्बर 2009	31 मार्च 2011	31 मार्च 2011	96%	28.21	कार्य प्रगति पर है ।
7	असम	रारा-37 के एल.जी.बी.आई एयरपोर्ट जंक्शन पर फ्लाईओवर के निर्माण सहित किमी 134/000 से 140/000 (6.00 किमी) तक 4 लेन बनाया जाना	46.16 (मू.)	29 मई 2009	12 जून 2011	12 जून 2011	73%	13.11	कार्य प्रगति पर है ।
8	असम	रारा-37 के किमी. 140/000 से 146/300 तक 4 लेन के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बाइपास का निर्माण	47.38 (मू.)	20 मार्च 2010	31 मार्च 2012	31 मार्च 2012	15%	10.35	कार्य प्रगति पर है ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	असम	रारा-37 पर मिलने वाली सड़कों के सुधार तथा पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित किमी.100/000 से 115/000 तक सुदृढ़ीकरण	23.38 (मू.) 26.26 (सं.)	14 जुलाई 2010	29 जुलाई 2012	29 जुलाई 2012	35%	6.36	कार्य प्रगति पर है ।
10	असम	रारा-37 के किमी 6/160 से 32/000 तक पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण	32.93 (मू.)	31 दिसम्बर 2010	15 जनवरी 2013	15 जनवरी 2013	0%	0.00	कार्य हाल ही में सौंपा गया ।
11	असम	रारा-39 के किमी 61/000 से 69/000 और 96/000 से 103/000 तक पेव्ड शोल्डर सहित सुदृढ़ीकरण	23.60 (मू.)	20 मार्च 2010	31 मार्च 2012	31 मार्च 2012	16%	1.98	कार्य प्रगति पर है ।
12	असम	रारा-52 के किमी 316/000 से 338/924 तक पेव्ड शोल्डर और 5 स्थानों पर स्पॉट राइडिंग के निर्माण सहित सुदृढ़ीकरण	32.92 (मू.)	22 मार्च 2010	31 मार्च 2012	31 मार्च 2012	24%	8.80	कार्य प्रगति पर है ।
13	असम	रारा-54 ई के किमी. 244/000 से 275/000 (दितचेरस - बालचेरा) तक आर-पार नालियों के निर्माण सहित 2 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	43.79 (मू.) 51.61 (सं.)	23 नवम्बर 2010	07 अप्रैल 2011	07 अप्रैल 2011	20%	8.01	कार्य प्रगति पर है ।
14	असम	रारा-44 के किमी 175/900 से 191/000 में पेव्ड शोल्डर के साथ सुदृढ़ीकरण	35.58 (मू.)	20 मार्च 2010	05 अक्तूबर 2011	05 अक्तूबर 2011	22%	8.06	कार्य प्रगति पर है ।
15	बिहार	रारा-101 के किमी. 0/000 से 14/500 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	20.99 (मू.)	02 मार्च 2009	01 मार्च 2011	01 मार्च 2011	95%	20.64	सड़क कार्य लगभग पूरा हो चुका है । पुल निर्माण कार्य प्रगति में है ।

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	बिहार	रारा-104 के किमी 194/000 -195/000 में 15 X 24 मी (प्रभावी स्पान) उच्च स्तर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भुतही बालन पुल का निर्माण	24.66 (मू.) 28.93 (सं.)	_	_	_	0%	0.00	मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.12.2010 को निविदा आधार पर 28.92 करोड रूपए का संशोधित प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया । कार्य आदेश जारी किया गया ।
17	बिहार	रारा-28 के किमी 547/000 से 564/000 तक सुदृढ़ीकरण	23.87 (मू.)	05 मई 2010	27 जून 2010	27 जून 2010	70%	13.80	बी.एम. पूर्ण । 1.5 किमी में डी.बी.एम. । 8 किमी बीसी पूर्ण ।
18	बिहार	रारा- 28 के 576/000 से 601/000 तक सुदृढ़ीकरण	32.26 (मू.)	03 मई 2010	02 नवम्बर 2011	02 नवम्बर 2011	85%	16.66	बी.एम. पूर्ण । 12 किमी में डीबीएम, 8 किमी बी.सी. पूर्ण। 3 किमी में चौड़ीकरण कार्य पूर्ण ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	छत्तीसगढ़	रारा-78 के किमी.287/000 से 314/000 (कटनी-अम्बिकापुर-जसपुर-गुमिया खंड) में सिंगल इंटरमिडिएट लेन पेवमेंट को दो लेन का बनाया जाना और सुधार	21.45 (मू.)	13 अगस्त 2010	13 मई 2012	13 मई 2012	18%	3.91	13.08.2010 को कार्य सौंपा गया (वर्षा सहित 20 महीने की समय अवधि) ।
20	दिल्ली	रारा- 10 के किमी. 12/300 से 24/000 तक 6 लेन से 8 लेन तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	52.87 (मू.)	14 अप्रैल 2010	13 अप्रैल 2011	13 अप्रैल 2011	69%	21.00	कार्य प्रगति पर है ।
21	गुजरात	रारा-8सी के इस्कॉन जंक्शन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	25.27 (मू.)	31 अगस्त 2009	30 जनवरी 2011	30 जनवरी 2011	85%	21.41	कार्य प्रगति पर है ।
22	गुजरात	रारा-89 और 8ई विस्तार के जंक्शन पर रेल उपरि पुल सह फ्लाईओवर और रारा-8ई विस्तार में पोरबंदर के निकट रेलवे क्रासिंग का निर्माण	49.58 (मू.)	28 दिसम्बर 2010	27 अप्रैल 2012	27 अप्रैल 2012	0%	8.88	कार्य प्रगति पर है ।
23	गुजरात	रारा-8ए के किमी. 14/600 से 22/600 तक विद्यमान 4 लेन को 6 लेन तक का बनाया जाना	49.45 (मू.)	09 अप्रैल 2010	08 अक्तूबर 2011	08 अक्तूबर 2011	40%	10.05	कार्य प्रगति पर है ।
24	गुजरात	रारा-8ए के किमी. 0/000 से 6/720 तक विद्यमान 4 लेन को 6 लेन तक का बनाया जाना	24.36 (मू.)	24 जून 2010	23 मार्च 2011	23 मार्च 2011	50%	4.86	कार्य प्रगति पर है ।
25	गुजरात	रारा-8ई के किमी. 150/000 से 161/000, 167/150 से 187/780 और किमी 192/000 से 208/000 तक सुदृढ़ीकरण	39.79 (मू.)	15 सितम्बर 2010	29 सितम्बर 2011	29 सितम्बर 2011	10%	0.00	कार्य प्रगति पर है ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	गुजरात	रारा 8 ई विस्तार के किमी. 310/050 से 349/200 और किमी 364/500 से 366/500 तक पेव्ड शोल्डर का निर्माण	40.58 (मू.)	17 सितम्बर 2010	01 अक्तूबर 2011	01 अक्तूबर 2011	25%	1.26	कार्य प्रगति पर है ।
27	गुजरात	रारा 8 सी के किमी 30/650 पर 6 लेन के फ्लाईओवर पुल का निर्माण	28.03 (मू.)	21 अक्तूबर 2010	20 जनवरी 2012	20 जनवरी 2012	10%	4.91	29.9.2010 को संस्वीकृत ।
28	हरियाणा	रारा-10 के किमी. 255/850 में रेवाड़ी-भटिंडा रेलवे लाईन पर रेलवे क्रासिंग सं. 4/43 पर रेल उपरि पुल का निर्माण	34.22 (मू.) (मंत्रालय का हिस्सा 17.83 करोड़ रूपए)	07 नवम्बर 2008	28 जून 2010	28 जून 2010	99%	23.88	भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब ।
29	हरियाणा	रारा-65 (नया रारा-52) के किमी 153/000 से 159/300, 160/375 से 181/000, 183/000 से 188/000 और 193/850 से 197/000 में नवीकरण कार्य	22.70 (मू.)	30.12.2010 को संस्वीकृत ।					
30	हिमाचल प्रदेश	रारा-88 के किमी.140/800 से 145/800 तक हमीरपुर बाइपास का निर्माण	27.51 (मू.)	12 मार्च 2010	11 मार्च 2013	11 मार्च 2013	12%	3.31	हाल ही में प्रारंभ ।
31	हिमाचल प्रदेश	रारा-21ए के किमी. 49/000 से 66/275 तक पिंजौर- बद्दी -नफागढ़ - स्वारघाट सड़क के सुधार सहित चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण	22.73 (मू.)	9 अगस्त 2010	23 अगस्त 2013	23 अगस्त 2013	8%	0.70	हाल ही में प्रारंभ ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	झारखंड	रारा-33 पर नामकुम में सुबर्नरेखा नदी पर फ्लाई ओवर सह सड़क उपरि पुल का निर्माण और पहुँचमार्गों सहित उच्चस्तर पुल का निर्माण	26.30 (मू.) 45.22 (पहला सं.) 49.76 (दूसरा सं.) (मंत्रालय का हिस्सा 18.69 करोड़ रूपए)	16 अक्तूबर 2008	15 अक्तूबर 2010	31 मार्च 2011	50%	12.00	कार्य प्रगति पर है ।
33	कर्नाटक	रारा-218 के किमी. 92/000 से 115/000 तक चौड़ीकरण	23.15 (मू.)27.39 (सं.)	5 मई 2009	22 जनवरी 2012	22 जनवरी 2012	67%	18.19	बीएम और एसडीबीसी के साथ किमी 15.38 में चौड़ीकरण पूर्ण । शेष कार्य प्रगति में है ।
34	कर्नाटक	रारा-207 के किमी.30/000 से 57/300 तक सड़क गुणता सुधार	21.13 (मू.)	4 जनवरी 2010	3 जनवरी 2012	3 जनवरी 2012	32%	2.51	2 सीडी, 4250 मी आरसीसी नाली तथा 12.4 किमी बीएम पूर्ण । शेष कार्य प्रगति में है ।

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	कर्नाटक	रारा-206 के किमी.91/000 से 103/000 और किमी. 106/000 से 118/000 तक 2 लेन बनाया जाना	22.23 (मू.)	6 मार्च 2010	5 मार्च 2012	5 मार्च 2012	5%	2.11	9 सीडी, 150 मी. सीसी नाली जीएसबी, तथा 8 किमी में डब्ल्यूबीएम पूर्ण । शेष कार्य प्रगति में है ।
36	कर्नाटक	रारा-206 के किमी 212/000 से 227/000 तक दो लेन में चौड़ीकरण	22.33 (मू.)	9 दिसम्बर 2009	8 दिसम्बर 2011	8 दिसम्बर 11	29%	6.62	20 सीडी, 3.5 किमी बीएम तथा 6 किमी सीसी नाली पूर्ण । शेष कार्य प्रगति में है ।
37	कर्नाटक	रारा-212 के किमी.240/500 में कबीनी नदी पर बड़े पुल का निर्माण	36.56 (मू.) 39.83 (सं.)	12 अगस्त 2010	11 फरवरी 2013	11 फरवरी 2013	0%	4.80	पीयर-10, 12 के लिए कोफ्फर बांध और पीयर का निष्पादन कार्य प्रगति में है ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	कर्नाटक	रारा-48 के किमी. 237/000 से 264/000 (27.0 किमी.) तक सड़क गुणता सुधार	14.21 (मू.) 21.99 (सं.)	3 जनवरी 2008	2 मई 2009	2 मई 2009	96%	17.96	24.0 किमी डीबीएम एवं बीसी, 17 सीडी कार्य तथा 4800 मी. सीसी नाली पूर्ण । इंटरलॉकिंग पेवमेंट आंशिक रूप से पूर्ण। निविदा मध्यस्थता प्रगति पर है । तथापि, समयपूर्व कार्य समापन का प्रस्ताव इस कार्यालय के दिनांक 30.3.2010 के पत्र द्वारा मंत्रालय को भेजा गया ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	केरल	रारा-17 के एक ओर 280.80 मीटर लंबे वायाडक्ट सहित किमी. 436/380 (चै. 1875) के बीच किमी. 437/375 में ऐडापल्ली में सड़क उपरि पुल के आरंभिक पहुंचमार्गों का निर्माण और किमी. 434/000 से 438/827 तक पुनर्संरेखण	14.25 (मू.)17.29 (पहला संशोधन)24.16 (दूसरा संशोधन) 36.13 (तीसरा संशोधन)	25 अगस्त 2005(22 अगस्त 2010 को तीसरे संशोधित प्राक्कलन आधार पर शेष कार्य प्रारंभ)	21 सितम्बर 2011	21 सितम्बर 2011	50%	13.54	शेष कार्य दिनांक 14.9.2010 को ठेकेदार को सौंपा गया तथा कार्य प्रगति पर है ।
40	केरल	रारा-17 के 5100 मीटर से 11960 मीटर तक कालीकट बाइपास फेज-।। का निर्माण	32.62 (मू.) 35.64 (सं.)	30 मार्च 2009	29 सितम्बर 2011	29 सितम्बर 2011	50%	15.03	कार्य प्रगति पर है ।
41	केरल	रारा-17 के कोडुंगलूर बाइपास (चंदापुरा से कोट्टापुरम) का निर्माण	19.80 (मू.) 28.74 (सं.)	08 अक्तूबर 2010	07 जनवरी 2012	07 जनवरी 2012	0%	2.54	कार्य 29.9.2010 को सौंपा गया और सामग्री जुटाने के लिए अग्रिम राशि जारी की गई ।
42	केरल	रारा-17 के किमी. 90/695 पर पदनाक्कड सड़क उपरि पुल के पहुँचमार्गों का निर्माण	14.68 (मू.) 29.94 (सं.) 36.36 (दूसरा सं.)	17 जनवरी 2009	16 जनवरी 2011	16 जनवरी 2011	65%	21.51	कार्य प्रगति पर है ।
43	केरल	रारा-17 के कोडुंगलूर बाइपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	56.73 (मू.) 78.28 (सं.)	_	_	_	99%	70.28	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	मध्य प्रदेश	रारा-86 (सागर-कानपुर रोड़) के किमी. 38/000 से 92/000 तक 2 लेन बनाया जाना और सुदृढ़ीकरण	21.02 (मू.) 21.18 (सं.)	25 दिसम्बर 2010	01 जनवरी 2011	01 जुलाई 2011	33%	4.42	कार्य प्रगति पर है ।
45	महाराष्ट्र	रारा-17 के किमी. 0/000 से 21/508 (21.508 किमी.) (4 लेन बनाया जाना) तक पनवेल - महाड- पणजी सड़क के जारप से पतरादेवी तक मिसिंग लिंक का निर्माण	99.85 (मू.) 183.43 (सं.)	23 मार्च 2006	25 अक्तूबर 2010	28 अप्रैल 2011	70%	156.18	कार्य प्रगति पर है ।
46	महाराष्ट्र	रारा-50 के नासिक-सिनैर खंड में किमी. 185/550 से 201/350 तक भूमि अधिग्रहण	24.89 (मू.)	_	_	_	0%	0.13	3ए में संशोधन को मंत्रालय में 11.6.2010 को प्रस्तुत किया गया ।
47	मणिपुर	रारा -39 के 366/000 से 387/500 तक इम्फाल-मोनेह खंड का सुदृढ़ीकरण	19.98 (मू.)25.82 (सं.)	24 मार्च 2010	23 मार्च 2012	23 मार्च 2012	35%	5.04	कार्य प्रगति पर है ।
48	मणिपुर	रारा 39 के किमी 235/000 से 263/000 तक मारम - इम्फाल खंड का सुदृढ़ीकरण	39.25 (मू.)	03 अप्रैल 2010	02 अप्रैल 2013	01 मार्च 2012	5%	0.00	5 पुलियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा दीवार का निर्माण प्रगति में है ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	मणिपुर	रारा 39 के किमी 400/000 से 430/900 तक इम्फाल - मोनेह खंड का सुदृढ़ीकरण	34.49 (मू.)	_	_	_	0%	0.32	निविदा को अंतिम रूप दिया गया । निविदा दरों पर आधारित संशोधित प्राक्कलन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है ।
50	मेघालय	रारा-51 के किमी. 55/000 से 64/000 तक एकल लेन को 2 लेन का बनाए जाने सहित ज्यामितीय सुधार	22.65 (मू.)	20 जुलाई 2009	20 नवम्बर 2011	20 नवम्बर 2011	40%	11.06	कार्य प्रगति पर है ।
51	मेघालय	रारा-62 के किमी.20/000 से 91/000 तक पेवमेंट का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण	39.86 (मू.) 46.24 (सं.)	11 मार्च 2010	10 मार्च 2012	10 मार्च 2012	50%	6.15	कार्य प्रगति पर है ।
52	मेघालय	रारा-40 के किमी. 131/000 से 154/000 तक एकल लेन को 2 लेन का बनाए जाने सहित ज्यामितीय सुधार	36.75 (मू.) 42.33 (सं.)	10 मार्च 2010	09 मार्च 2012	09 मार्च 2012	30%	8.12	कार्य प्रगति पर है ।
53	मेघालय	रारा-40 के किमी. 161/000 पर दवकी पुल का निर्माण	23.12 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर ।
54	मिजोरम	रारा-154 के किमी. 28/000 से 42/000 तक के खंड का मध्यम लेन कैरिजवे से 2 लेन कैरिजवे में चौड़ीकरण	14.77 (मू.) 21.32 (सं.)	04 अगस्त 2010	04 फरवरी 2012	04 फरवरी 2012	60%	9.88	पहला ठेका समाप्त किया गया । शेष कार्य दूसरे ठेकेदार को सौंपा गया ।
55	नगालैंड	रारा-61 के किमी. 220/000 से 240/000 तक ज्यामितीय सुधार सहित 2 लेन बनाया जाना	29.63 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	कार्य हाल ही में सौंपा गया ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	नगालैंड	रारा-61 के किमी. 40/000 से 72/400 तक 2 लेन बनाया जाना	93.68 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	कार्य हाल ही में सौंपा गया ।
57	ओडिशा	रारा-23 के बुद्धापार्क और तलचेर रेलवे स्टेशन के बीच चै. 490/600 में विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर चेनपाल के निकट किमी 5/287 पर सड़क उपरि पुल तक पहुँचमार्गों का निर्माण	23.10 (मू.) (मंत्रालय का हिस्सा 11.55 करोड़ रू.) 28.18 (सं.) (मंत्रालय का हिस्सा 14.049 करोड़ रू.)	06 अगस्त 2010	05 फरवरी 2012	05 फरवरी 2012	0%	0.00	निविदा प्रीमियम के कारण प्राक्कलन में संशोधन ।
58	पंजाब	हरियाणा - पंजाब सीमा से मलौट शहर में रारा-10 (नया रारा-9) के विद्यमान कैरिजवे पर पेव्ड शोल्डर की व्यवस्था करके तथा सुदृढ़ीकरण करके किमी 315/500 से 348/550 तक खंड में तथा अबोहर बाइपास के किमी 1/000 से 15/530 तक सुधार	51.43 (मू.)	2.12.2010 को संस्वीकृत ।					
59	राजस्थान	रारा- 112 के किमी 235/000 से 236/000 तक चार लेन बनाए जाने के साथ किमी. 193/000 से 217/000, 248/000 से 259/000 और 255/000 से 269/000 तक विद्यमान इंटरमिडिएट लेन को दो लेन कैरिजवे का बनाए जाने हेतु ज्यामितीय सुधार और सुदृढ़ीकरण	34.41 (मू.)	5 सितम्बर 2010	4 दिसम्बर 2011	4 दिसम्बर 2011	ईडब्ल्यू - 7 किमी ओएसबी - 4 किमी डब्ल्यूएमएम - 4 किमी 4 सीडी पूर्ण ।4 सीडी प्रगति में है ।	2.37	कार्य प्रगति पर है ।
60	राजस्थान	रारा-112 के बार-बिलारा-जोधपुर सड़क पर 6.25 किमी लंबे बाइपास का निर्माण	27.38 (मू.)	1 नवम्बर 2010	31 जनवरी 2012	31 जनवरी 2012	ईडब्ल्यू - 1.5 किमी	0.00	कार्य आदेश जारी ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	राजस्थान	रारा-15 के 218/000 से 220/000 और किमी 221/000 से 259/000 तक विद्यमान दो लेन कैरिजवे का सुदृढ़ीकरण	22.15 (मू.)	22 अगस्त 2010	21 नवम्बर 2011	21 नवम्बर 2011	डीबीएम+बीसी - 1.5 किमी.	4.56	कार्य प्रगति पर है ।
62	तमिलनाडु	रारा-67 के (किमी.277/400) करूर से (किमी. 332/600) कोयम्बतूर तक दोनों ओर पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित विद्यमान 2 लेन का सुधार	178.00 (मू.)	21 अगस्त 2006	10-01-1900	अगस्त - 2009 दिसंबर - 2009 अप्रैल, 2010 दिसंबर, 2010 मार्च, 2011	99%	130.80	भूमि अधिग्रहण और जनसुविधाओं के स्थानांतरण के कारण विलंब ।
63	तमिलनाडु	रारा-4, 45 और 205 के 4 ग्रेड सेपरेटरों के निर्माण सहित चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुँच मार्ग का सुधार	196.00 (मू.) 489.34 (सं.)	07 अप्रैल 2005	06 अप्रैल 2007 (मू.) 30 मार्च 2008 (सं.)	मार्च - 2008 31 दिसंबर- 2008 मार्च - 2009 31 दिसंबर- 2009 दिसंबर- 2010 जनवरी - 2011	97%	662.10	भूमि अधिग्रहण और जनसुविधाओं के स्थानांतरण के कारण विलंब ।
64	तमिलनाडु	रारा-67 विस्तार के किमी. 340/800 से 360/600 तक 4 लेन बनाया जाना और सुदृढ़ीकरण	49.70 (मू.)	04 मई 2010	03 मई 2011	03 मई 2011	20%	8.60	कार्य प्रगति पर है ।
65	तमिलनाडु	रारा-136 (पुराना रारा-226ई) के किमी. 19/600, 24/600 और 25/400 पर पुलिया के पुनर्निर्माण सहित किमी 0.000 से 66/000 तक 2 लेन में चौड़ीकरण और पेव्ड शोल्डर का सुदृढ़ीकरण करके सुधार	50.56 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	निविदाएं पुन: निकाली गई ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	उत्तर प्रदेश	रारा-235 के किमी 0/410 से 34/000 तक पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित विद्यमान 2/4 लेन के केरिजवे का सुदृढ़ीकरण	47.56 (मू.)	10 मार्च 2010	09 मार्च 2011	09 मार्च 2011	58%	22.17	दिनांक 05.11.09 को संस्वीकृत । कार्य प्रगति पर है ।
67	उत्तर प्रदेश	कानपुर में रारा-91 के किमी 428/000 पर रेलवे क्रासिंग सं.79डी पर सड़क उपरि पुल का निर्माण	34.41 (मू.)	22 जुलाई 2010	09 मार्च 2011	09 मार्च 2011	10%	3.11	दिनांक 26.11.10 को संस्वीकृत । कार्य प्रगति पर है ।
68	उत्तर प्रदेश	रारा - 232 किमी 150/000 से 180/000 तक सुदृढ़ीकरण	48.30 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	11.12.2009 को संस्वीकृत । कार्य सौंपे जाने के लिए समय विस्तार के लिए मंजूरी दी गई ।
69	उत्तर प्रदेश	रारा-231 के किमी 11/000 से 25/000 तक सुदृढ़ीकरण	25.63 (मू.)	_	_	_	0%	1.00	11.12.2009 को संस्वीकृत । कार्य सौंपे जाने के लिए समय विस्तार हेतु मंजूरी दी गई ।
70	उत्तर प्रदेश	रारा-232 के किमी. 98/000 से 150/000 तक सड़क गुणता सुधार	35.77 (मू.)	14 सितम्बर 2010	13 मार्च 2012	13 मार्च 2012	2%	4.00	कार्य प्रगति पर है ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	उत्तर प्रदेश	रारा-232 ए के किमी 0/000 से 51/800 और 61/800 से 65/800 तक सड़क गुणता सुधार	40.30 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	31.3.2010 को संस्वीकृत । राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा 14.9.2010 को एलओ जारी किया गया परन्तु ठेकेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ ब्रांच) में याचिका दायर करने के कारण करार पर हस्ताक्षर नहीं हो सके । अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।
72	उत्तर प्रदेश	रारा-9 (पुराना रा.रा. सं. 24) के किमी 8/000 से 28/280 तक विद्यमान 4 लेन केरिजवे का 8 लेन केरिजवे में चौड़ीकरण	128.04 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	25.8.2010 को संस्वीकृत । 12 निविदाएं प्राप्त हुई है और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	उत्तराखंड	रारा-72 के (विद्यमान चै. 174.200 से 180.160) लछीवाला और डोईवाला बाइपास पर सड़क उपरि पुल का निर्माण	38.34 (मू.)	22 जनवरी 2009	21 जनवरी 2010	21 जनवरी 2010	70%	25.95	रेलवे द्वारा रेल उपरि पुल कार्य शुरू किए जाने के कारण विलंब ।
74	पश्चिम बंगाल	रारा-31 के किमी. 566/000 से 599/000 तक विद्यमान पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण और किमी.566/000 से 577/500 तक दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण	26.26 (मू.)	15 मार्च 2010	14 मार्च 2012	14 मार्च 2012	85%	21.92	काफी हद तक पूर्ण ।
75	पश्चिम बंगाल	रारा-60 के किमी 160/000 से 173/000 तक विद्यमान इंटरमिडिएट केरिजवे का दो लेन में चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण	21.17 (मू.)	_	_	_	0%	0.08	एल.ओ.ए. जारी ।
76	पश्चिम बंगाल	रारा-117 के किमी 95/000 से 112/500 (नया किमी 113.5) में विद्यमान मध्यम फ्लैक्सीबल पेवमेंट का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	38.99 (मू.)	_	_	_	0%	3.08	प्रारंभिक कार्य प्रगति में ।
77	पश्चिम बंगाल	रारा-117 के किमी 113/500 से 137/684 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	52.67 (मू.)	_	_	_	0%	0.07	एल.ओ.ए. जारी ।
78	पश्चिम बंगाल	रारा-2बी के किमी 27/000 से 51/547 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	41.52 (मू.)	_	_	_	0%	0.07	निविदा प्रक्रिया चल रही है ।
79	पश्चिम बंगाल	रारा-60 के किमी 281/000 से 317/000 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	47.59 (मू.)	_	_	_	0%	0.04	निविदा प्रक्रिया चल रही है ।
80	पश्चिम बंगाल	रारा-60 के किमी. 232/000 से 260/000 तक के खंड के विद्यमान मध्यम लेन कैरिजवे को 2 लेन का कैरिजवे बनाया जाना और सुदृढ़ीकरण	49.80 (मू.)	_	_	_	0%	0.47	निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

अनुलग्नक -क

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रूपए और उससे अधिक राशि की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)	परियोजना प्रारंभ करने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना पूर्ण किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार की गई संचयी भौतिक प्रगति	31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय (करोड़ रूपए)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	पश्चिम बंगाल	रारा-31 के किमी 598/000 से 612/000 और 630/000 से 634/000 तक विद्यमान पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण	23.55 (मू.)	_	_	_	0%	0.00	निविदांए आमंत्रित की गई ।
82	पश्चिम बंगाल	रारा-34 पर सड़क उपरि पुल सहित 5.50 किमी. डलखोला बाइपास का निर्माण	74.78 (मू.)	1 सितम्बर 2006	1 जुलाई 2009	जुलाई - 2009 दिसंबर - 2010 जनवरी, 2011	36%	38.91	कार्य प्रगति पर है ।
83	राजस्थान	रारा- 112 के किमी 235/000 से 236/000 तक चार लेन बनाए जाने के साथ किमी. 193/000 से 217/000, 248/000 से 259/000 और 255/000 से 269/000 तक विद्यमान इंटरमिडिएट लेन को दो लेन कैरिजवे का बनाए जाने हेतु ज्यामितीय सुधार और सुदृढ़ीकरण	34.41 (मू.)	5 सितम्बर 2010	4 दिसम्बर 2011	4 दिसम्बर 2011	ईडब्ल्यू - 7 किमी ओएसबी - 4 किमी डब्ल्यूएमएम - 4 किमी 4 सीडी पूर्ण ।4 सीडी प्रगति में है ।	2.37	कार्य प्रगति पर है ।
84	राजस्थान	रारा-112 के बार-बिलारा-जोधपुर सड़क पर 6.25 किमी लंबे बाइपास का निर्माण	27.38 (मू.)	1 नवम्बर 2010	31 जनवरी 2012	31 जनवरी 2012	ईडब्ल्यू - 1.5 किमी	0.00	कार्य आदेश जारी ।

अनुलग्नक -ख

केन्दीय सड़क निधि के अंतर्गत दिसंबर, 2010 तक संस्वीकृत किए गए प्राक्कलनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*जोड़*	
		संख्या	*लागत (करोड़ रूपए)*
1	आन्ध्र प्रदेश	780	1925.20
2	अरुणाचल प्रदेश	53	307.74
3	असम	87	338.90
4	बिहार	62	273.72
5	छत्तीसगढ़	52	356.61
6	गोवा	16	57.33
7	गुजरात	727	1179.60
8	हरियाणा	100	892.87
9	हिमाचल प्रदेश	49	225.85
10	जम्मू और कश्मीर	87	699.52
11	झारखंड	23	266.73
12	कर्नाटक	1321	1461.11
13	केरल	84	620.15
14	मध्य प्रदेश	281	2135.07
15	महाराष्ट्र	639	2357.69
16	मणिपुर	16	51.41
17	मेघालय	30	110.73
18	मिजोरम	26	62.07
19	नगालैंड	14	49.89
20	ओडिशा	164	558.07
21	पंजाब	137	591.91
22	राजस्थान	716	1688.57
23	सिक्किम	26	30.86
24	तमिलनाडु	736	1177.15
25	त्रिपुरा	9	33.53
26	उत्तराखंड	59	205.94
27	उत्तर प्रदेश	160	1906.44
28	पश्चिम बंगाल	35	616.09
जोड़		**6489**	**20180.75**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	7.58
30	चंडीगढ़	9	17.29
31	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
32	दमन और दीव	0	0.00
33	दिल्ली	79	493.60
34	लक्षद्वीप	0	0.00
35	पुदुचेरी	11	57.58
जोड़		**101**	**576.05**
कुल जोड़		**6590**	**20756.80**

अनुलग्नक -ग

वर्ष 2001-02 से 2010-11 (31.12.2010 तक) आर्थिक महत्व (ईआई) और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क (आईएससी) के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईआई			*आईएससी*		
		सं.	*लागत*	*केन्द्रीय अंश*	*सं.*	*लागत*	*केन्द्रीय अंश*
1	आन्ध्र प्रदेश	10	77.50	38.75	13	100.37	100.37
2	अरुणाचल प्रदेश	2	17.78	8.89	8	149.23	149.23
3	असम	8	17.94	8.97	12	37.07	37.07
4	बिहार	2	27.81	13.91	3	17.43	17.43
5	छत्तीसगढ़	2	17.17	8.59	5	45.70	45.70
6	गोवा	2	6.72	3.36	1	0.33	0.33
7	गुजरात	26	57.91	28.96	23	80.37	80.37
8	हरियाणा	5	45.50	22.75	9	61.41	61.41
9	हिमाचल प्रदेश	1	8.91	4.46	13	75.86	75.86
10	जम्मू और कश्मीर	7	15.98	7.99	1	67.55	67.55
11	झारखंड	2	42.18	21.09	2	19.00	19.00
12	कर्नाटक	13	80.83	40.42	19	136.06	136.06
13	केरल	2	14.60	7.30	6	54.13	54.13
14	मध्य प्रदेश	11	64.46	32.23	29	70.89	70.89
15	महाराष्ट्र	7	21.87	10.93	31	121.13	121.13
16	मणिपुर	1	30.00	15.00	4	35.35	35.35
17	मेघालय	1	7.00	3.50	2	9.00	9.00
18	मिजोरम	7	64.02	32.01	2	29.02	29.02
19	नगालैंड	5	88.82	44.41	6	93.00	93.00
20	ओडिशा	15	119.08	59.54	9	159.62	159.62
21	पंजाब	0	0.00	0.00	7	45.87	45.87
22	राजस्थान	2	29.96	14.98	32	133.13	133.13
23	सिक्किम	8	74.25	37.12	14	186.98	186.98
24	तमिलनाडु	9	88.41	44.20	14	72.86	72.86
25	त्रिपुरा	6	43.40	21.70	0	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	2	20.86	10.43	10	70.19	70.19
27	उत्तर प्रदेश	1	13.44	6.72	10	128.77	128.77
28	पश्चिम बंगाल	1	17.08	8.54	5	121.27	121.27
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	2	3.57	1.78	1	4.98	4.98
31	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	8	25.25	25.25
32	दमन और दीव	0	0.00	0.00	2	8.66	8.66
33	दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
35	पुदुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
जोड़		**160**	**1117.05**	**558.53**	**301**	**2160.48**	**2160.48**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का वर्ष 2011-12 का परिणामी बजट

वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया था । इस राशि में से, 31.12.2010 तक 390.82 करोड़ रुपए का व्यय किया गया । दो लेन मानक वाली कुल 82 किमी सड़कें बनाई गई । पिछले वर्ष तक पूरी गई सड़कों को मिलाकर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण-'क' के अंतर्गत ईपीसी आधार पर अब तक 678 किमी सड़कें पूरी कर ली गई हैं जबकि पूरी किए जाने के लिए 4099 किमी सड़कें अनुमोदित की गई थीं । वर्ष 2010-11 के दौरान जिन महत्वपूर्ण सड़कों/राजमार्गों पर निर्माण कार्य किया गया, उनका विवरण और उनका महत्व नीचे दिया जा रहा है :

राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग 52

वर्ष 2010-11 के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन का बनाए जाने का काम आंशिक रूप से किया गया । यह राजमार्ग, असम के उत्तरी लखीमपुर को और धीमाजी जिला मुख्यालय को जोड़ता है और असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा के समानांतर चलता है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है । अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय, पासीघाट को भी यही राजमार्ग जोड़ता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 53

वर्ष 2010-11 के दौरान सिलचर बाइपास सहित सिलचर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के उत्थापन और इसके दो लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है । उत्थापन और चौड़ीकरण से पहले यह राजमार्ग मानक स्तर से काफी नीचे था और बाढ़ के दौरान पानी में डूब जाया करता था जिसके कारण बराक घाटी, मिजोरम और मणिपुर से यातायात संपर्क टूट जाया करता था । इस राजमार्ग के उत्थापन और चौड़ीकरण से इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत राहत मिली है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 54

वर्ष 2010-11 के दौरान सिलचर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के उत्थापन और इसके दो लेन चौड़ीकरण का कार्य किया गया । उत्थापन और चौड़ीकरण से पहले यह राजमार्ग मानक स्तर से काफी नीचे था और बाढ़ के दौरान पानी में डूब जाया करता था जिसके कारण बराक घाटी और मिजोरम राज्य के बीच यातायात संपर्क बाधित हो जाया करता था । इस राजमार्ग के उत्थापन और चौड़ीकरण से इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत राहत मिली है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 153

राष्ट्रीय राजमार्ग 153, प्रसिद्ध स्टिलवेल रोड का एक हिस्सा है । भारत में स्टिलवेल रोड की कुल लंबाई 57 किमी है । इसमें से, 24 किमी लंबाई असम में है और शेष 33 किमी. लंबाई अरुणाचल प्रदेश में है । असम में पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लेन चौड़ीकरण का कार्य 24 किमी में पूरा कर लिया गया है और अरूणाचल प्रदेश में शेष 33 किमी लंबाई में वर्ष 2010-11 के दौरान कार्य प्रगति में है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 154

यह राजमार्ग बराक घाटी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ता है जिनमें असम का हेलाकांडी जिला मुख्यालय नगर और मिजोरम भी शामिल है । इस राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 147 किमी. है जिसमें से 89 किमी. असम में और शेष 58 किमी. मिजोरम में है । वर्षा ऋतु के दौरान इस राजमार्ग का लगभग 80 किमी लंबा हिस्सा पानी में डूब जाता है जिससे हेलाकांडी जिले के क्षेत्रों के साथ और मिजोरम के काफी बड़े हिस्से के साथ यातायात संपर्क टूट जाता है । वर्ष 2010-11 के दौरान इस राजमार्ग की लगभग 111 किमी लंबाई में कार्य प्रगति पर है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 31ए

लगभग 80 किमी लंबाई का यह राजमार्ग एकमात्र ऐसी सड़क है जो सिक्किम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है । यह सड़क एकल लेन मानक की है जिसमें 77 ऐसे नाजुक स्थल हैं जहां मानसून के दौरान भू-स्खलन की स्थिति बनी रहती है । वर्ष 2010-11 के दौरान इस राजमार्ग पर 71 नाजुक स्थलों के सुधार सहित लगभग 44 किमी. लंबाई में कार्य प्रगति पर है

राष्ट्रीय राजमार्ग 37

लगभग 749 किमी का यह राजमार्ग असम में जोगीगोपा से शुरू होता है और अरूणाचल प्रदेश में रोइंग पर समाप्त होता है जिसमें धोला से रोइंग तक का खंड शामिल है, जिसे लगभग 2 वर्ष पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया था । डिब्रूगढ़ और रूपई के बीच इस राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड रेलवे लाइन के साथ समांतर रूप में गुजरता है जिसके कारण इस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार में रुकावट आई है । तदनुसार, राजमार्ग के इस खंड का पुनर्संरेखण किया गया है । इसके साथ ही, धोला और सादिया घाट को जोड़ने के लिए बीओटी (वार्षिकी) आधार पर ब्रह्मपुत्र पर नए पुल के निर्माण सहित रूपई से रोइंग तक खंड का, पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में सुधार किया जा रहा है । वर्ष 2010-11 के दौरान राजमार्ग के इस खंड की लगभग 158 किमी लंबाई में कार्य प्रगति पर है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 38

लगभग 56 किमी लंबाई का यह राजमार्ग माकुम से शुरू होता है और लेखापानी पर समाप्त होता है । रारा-37 को ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड (रारा-153) से जोड़ने के अलावा यह सड़क असम में डिगबोई, मारगेरिटा और लिडो के तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से होकर गुजरती है । वर्ष 2010-11 के दौरान राजमार्ग के इस खंड की लगभग 19 किमी लंबाई में कार्य प्रगति पर है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग से इतर सड़कें

गंगटोक-नाथुला रोड

वर्ष 2010-11 के दौरान इस सड़क की संपूर्ण 67 किमी लंबाई में कार्य प्रगति पर है । यह सड़क चीन तक जाती है । नाथुला, भारत-चीन सीमा पर व्यापार का एक स्थल है । इस सड़क का सुधार करके इसे दो लेन के मानक के अनुसार बनाया जा रहा है । वियमान सड़क काफी ऊबड़-खाबड़ है और यातायात के लिए बहुत ही असुरक्षित है ।

मारम-पेरेन रोड

मारम से पेरिन तक 116 किमी की लंबाई में इस सड़क पर कार्य प्रगति पर था । मारम, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर मणिपुर का एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल है । पेरिन, नागालैंड का एक जिला मुख्यालय है । यह सड़क इन दो महत्वपूर्ण गंतव्यों के साथ-साथ रास्ते में पड़ने वाले कई स्थानों को जोड़ती है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का सार नीचे दिया गया है :-

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम जिसमें 10141 किमी. सड़क खंडों का निर्माण/सुधार/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, को मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति/मंत्रिमंडल ने समय-समय पर अनुमोदित किया है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब कुल 10141 किमी लंबाई कवर की गई है जिसमें 1503 किमी के कुल 28 सड़क खंड भी शामिल हैं जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'ख' से स्थानांतरित किया गया था / चरण 'क' में जोड़ा गया था जिसे हाल ही में 08.04.2010 को मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । कार्यक्रम को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तीन चरणों में बांटा गया है:-

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-'क' में 4099 किमी. सड़कों का कार्यान्वयन/'सिद्धांत रुप में' अनुमोदन शामिल है **(अनुलग्नक-घ-1);**

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-'ख' में 3723 किमी. सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है **(अनुलग्नक-घ-2);** और

(iii) सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज में 2319 किमी. सड़कों का कार्यान्वयन/'सिद्धांत रूप में ' अनुमोदन शामिल है । **(अनुलग्नक-घ-3)**

1.1 कार्यक्रम का उद्देश्य

- राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 2/4 लेन का बनाया जाना ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के 88 जिला मुख्यालयों को कम से कम 2 लेन सड़क का सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।
- सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना ।
- सीमा क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का सुधार ।
- पड़ोसी देशों के साथ सड़क संपर्क में सुधार ।

1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदनों का ब्यौरा संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है :-

चरण	अनुमोदित लंबाई (किमी.)							
	निष्पादन के लिए अनुमोदित		'सिद्धांत रूप में' अनुमोदित		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदित		कुल अनुमोदित	
	लंबाई (किमी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लंबाई (किमी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लंबाई (किमी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लंबाई (किमी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
चरण- 'क'	3213	12821	886	8948*	-	-	4099	21769
अरुणाचल प्रदेश पैकेज	2319	11703	-	-	-	-	2319	11703
चरण- 'ख'	-	64	-	-	3723	-	3723	64
योग	**5532**	**24588**	**886**	**8948**	**3723**	**0**	**10141**	**33536**

* निर्माण पूर्व कार्यकलापों के लिए केवल 974 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं और निर्माण लागत को अभी मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति द्वारा संस्वीकृति दी जानी है ।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का चरण- 'क '

कार्यक्रम के चरण 'क' जिसे मंत्रिमंडल द्वारा कार्यान्वयन के लिए मूल रूप से 22.09.2005 को अनुमोदित किया गया था, में 1310 किमी की कुल लंबाई की 17 सड़कें शामिल की गई हैं, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के 1110 किमी और राज्यीय सड़कों तथा जनरल स्टाफ सड़कों के 200

किमी लंबाई के खंडों का सुधार शामिल है । बाद में, कार्यक्रम में परिवर्धन/संशोधन किए गए थे और 08.04.2010 को प्रदत्त मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति के अनुमोदन के अनुसार अब कार्यक्रम के चरण 'क' में 4099 किमी लंबाई शामिल है जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2041 किमी है और राज्यीय सड़कों तथा जनरल स्टाफ सड़कों की लंबाई 2058 किमी है । अनुमानित लागत 27,769 करोड़ रूपए है जो प्रारंभिक लागत प्राक्कलनों पर आधारित है । इस चरण के अंतर्गत सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2013 -14 तक का है । अभी तक, मंत्रालय द्वारा कुल 2152 किमी की उप परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और लगभग 678 किमी लंबाई का सुधार पूरा कर लिया गया है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' पर में 2658 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है । कार्यान्वयन एजेन्सियों सहित कार्यक्रम में शामिल सड़कों की सूची **अनुलग्नक-2** पर दी गई है ।

3. सड़कों और राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज

सड़कों और राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज, मंत्रिमंडल द्वारा 09.01.2009 को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था । पैकेज में 2319 किमी लंबाई शामिल है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 1472 किमी है और राज्यीय सड़कों, जनरल स्टाफ सड़कों और सामरिक सड़कों की लंबाई 847 किमी है जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-3** में दिया गया है । अनुमानित लागत 11703 करोड़ रूपए है जो प्रारंभिक लागत प्राक्कलनों पर आधारित है । इस चरण के अंतर्गत सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2014-15 तक का है । अभी तक, मंत्रालय द्वारा कुल 416 किमी की उप परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और ये प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के सड़क और राजमार्गों के अरूणाचल प्रदेश पैकेज पर अभी तक 87 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है ।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का चरण 'ख'

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'ख' में कुल 3723 किमी लंबाई की 35 सड़कें शामिल हैं जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-4** पर दिया गया है । मंत्रिमंडल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुमोदन दे दिया गया है । 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की कमी की वजह से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'ख' का कार्यान्वयन 12वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया जाएगा । अनुमानित लागत 17,294 करोड़ रूपए है जो प्रारंभिक लागत प्राक्कलनों पर आधारित है ।

5. भौतिक और वित्तीय प्रगति

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम कार्यों के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त अंतरमंत्रालयी समिति द्वारा चरण-क के अंतर्गत अभी तक 16599 करोड़ रुपए धनराशि की 3489 किमी. लंबाई की उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है । कार्यक्रम कार्यान्वयन की शुरुआत से लेकर पिछले वर्षों में अनुमोदन तथा कार्य-निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपए)	एचपीसी द्वारा अनुमोदित लंबाई (किमी.)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	पूरी की गई लंबाई (किमी. में)
2006-2007	550	501	1,256	449	प्रारंभिक
2007-2008	700	299	779	651	150
2008-2009	1,000	254	1,194	637	290
2009-2010	1,200	358	1,526	676	156
2010-2011	1500	2077	11844	390.82*	82
जोड़	**4950**	**3489**	**16599**	**2790**	**678**

* **31.12.2010** तक

अनुलग्नक घ-।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कार्य की व्याप्ति	सड़क की श्रेणी	सड़क लंबाई (कि.मी.में)
1	असम	नगांव-डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के मौजूदा 2 लेन को 4 लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	301
2	मेघालय	रा.रा. 40 और रारा-44 को जोड़ने वाले नए शिलौंग बाइपास का निर्माण (2 लेन) (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	50
3	मेघालय	रारा-40 पर जोरबाट से बारापानी तक के मौजूदा 2 लेन खंड को चार लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	62
4	नगालैंड	रारा-39 पर दीमापुर/कोहिमा बाइपास सहित दीमापुर से कोहिमा तक सड़क को चार लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	81
5	असम	सिलचर बाइपास सहित रा.रा. 36, 51, 52, 53, 54, 61, 152, 153 और 154 के मौजूदा एकल लेन के सड़क खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	576
6	मणिपुर/मेघालय/ मिजोरम व असम	मेघालय में जोवाई बाइपास सहित रा.रा. 44, 53, 54 और 154 को 2 लेन का बनाना	रा.रा.	180
7	मेघालय	रारा-40 के विद्यमान दो लेन के बारापानी - शिलौंग खंड तथा शिलौंग शहर में उपरिपुलों का सुधार करना	रा.रा.	54
8	असम और अरुणाचल प्रदेश	डिब्रूगढ़ से रुपई तक रा.रा. 37 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना तथा पुनर्संरेखण और स्टिलवेल सड़क का सुधार और रारा-38 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	161
9	त्रिपुरा	अगरतला से सबरुम तक रारा-44 को दो लेन का बनाना	रा.रा.	130
10	असम और अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर को 4 लेन का सड़क संपर्क उपलब्ध कराना	37ए, 52 और 52ए	150
11	असम	रारा-37 पर 2 लेन का डिब्रुगढ़ बाइपास बनाया जाना (ईपीसी आधार पर)	रारा	14
12	सिक्किम/पश्चिम बंगाल	गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग		242

13	मणिपुर/नगालैंड	मणिपुर राज्य को नगालैंड राज्य के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए मारम से पारेन की राज्यीय सड़क को दो लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	116
14	अरुणाचल प्रदेश	दुदुनघर से होते हुए लुमला से ताशिगोंग तक सड़क का सुधार (भारत-भूटान सड़क)	राज्यीय सड़क	36
15	सिक्किम	गंगटोक से नाथुला तक मौजूदा एकल लेन की सीमा सड़क को दोहरी लेन का बनाना	जी एस सड़क	87
16	अरुणाचल प्रदेश	तालिहा-टाटो और मिगिंग बाइल इंटर बेसिन सडकों को 2 लेन का बनाना/सुधार	राज्यीय सड़क	176
17	मिजोरम	मिजोरम में कलादान बहुमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना को समर्थन देने के लिए लांगतलई से म्यांमार सीमा तक 2 लेन के नये राजमार्ग का निर्माण	राज्यीय सड़क	100
18	सिकिकम/ पश्चिम बंगाल	सिवोक से रानीपुल तक रारा-31ए को दो लेन बनाना	रा.रा.	80
19	मेघालय	नांगस्टोइन-शिलोंग खंड को 2 लेन का बनाया जाना	रारा 44ई	83
20	मिजोरम	किमी 11.500 - किमी 130 तक दो लेन बनाया जाना/पुनर्संरेखण	रारा-44ए	119
21	असम	गोलाघाट-रंगाजन सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	7
22	असम	लुमडिंग - दिफू - मांजा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	56
23	असम	हाफलौंग-जतिंगा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	8
24	असम	धुबरी-गौरीपुर सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	8.5
25	असम	बस्का- बमरा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	25
26	असम	मोरीगांव-जागी सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	23
27	असम	बरपेटा-हावली सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	12
28	असम	गोलपाड़ा-सोलमाड़ी सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	6.5
29	असम	कोकराझार-कारीगांव सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	18
30	असम	उदलगिरि-रावता सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	13
31	मणिपुर	तमेंगलोंग-खोनसांग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	40

32	मणिपुर	पल्लेल-चंदेल सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	18
33	नगालैंड	लोंगलेंग - चांगतोंग्या सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	35
34	नगालैंड	मोन-तामलू-मेरांगकोंग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	100
35	नगालैंड	फेक-फुटसिरो सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	79
36	सिक्किम	तारकु-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	32
37	सिक्किम	ग्यालशिंग - सिंगतम सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	85
38	त्रिपुरा	कैलाशहर- कुमारघाट सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	22
39	मेघालय	नांगस्टोइन-रांगजेंग-तुरा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	201
40	नगालैंड	जुन्हेबोटो-चकबामा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	जीएस सड़क	128
41	मेघालय	नांगस्टोइन-पैंब्रू-वहकाजी-मौथबा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	68
42	मेघालय	नोंगस्टोइन-राम्बरै-मयरसै-चायगांव सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	71
43	मेघालय	मौथबा-वहकाजी-फैंगडिलोइन-रानीकोर सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	47
44	मेघालय	रानीकोर-नोंघलैम-महेशखोला-बाघमारा सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	139
45	सिक्किम	मेली-मनपुर-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	33
46	सिक्किम	लेगशिप-नया बाजार सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	26
		कुल जोड़		**4099**

अनुलग्नक घ-2

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के संशोधित चरण 'ख' के अंतर्गत शामिल सड़कों की सूची

क: चरण - 'क' में अंतरण के बाद शेष सड़कें

क्र सं	सड़क की श्रेणी	सड़क की व्याप्ति / खंड	राज्य	अनंतिम लंबाई (किमी)
I. राष्ट्रीय राजमार्ग				
1	रारा- 62	वाया बाघमारा, असम/ मेघालय सीमा से डालू तक दो लेन बनाया जाना	मेघालय	161
2	रारा- 54	आइजोल-तुईपंग खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	380
3	रारा-54ए	लुंगलेई- थेरीयट खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	9
4	रारा-54बी	जीरो प्वांइट-सेहा खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	27
5	रारा- 61	वोखा (किमी 70) से तुली (किमी 220) तक के खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	150
6	रारा- 150	कोहिमा-नगालैंड/मणिपुर सीमा खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	132
7	रारा- 155	मोकोकचुंग-जेसामी खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	340
8	रारा-44ए	मनु-त्रिपुरा/मिजोरम सीमा खंड को दो लेन बनाया जाना	त्रिपुरा	86
		जोड़ (I)		**1285**
II. राज्यीय सड़कें				
9	राज्यीय सड़क	हरंगजाओ- तुरूक होते हुए बराक घाटी (सिलचर) -गुवाहाटी सड़क के बीच वैकल्पिक मार्ग को दो लेन का बनाया जाना	असम	285
10	राज्यीय सड़क	विलियम नगर से नेंखरा सड़क और अन्य सड़क को दो लेन का बनाया जाना (14 और 8 किमी की संबंधित लंबाई के साथ दोतरफा संपर्क)	मेघालय	22
11	राज्यीय सड़क	दोमियासत एवं नांगस्टोइन के बीच सड़क को दो लेन का बनाया जाना/मरम्मत/उन्नयन	मेघालय	54
12	राज्यीय सड़क	बोको (गुवाहाटी को बाइपास करते हुए) से नांगस्टोइन तक दो लेन	मेघालय	125

		की वैकल्पिक सड़क का निर्माण		
13	राज्यीय सड़क	लुंगलेई-दीमागिरि सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	92
14	राज्यीय सड़क	चंपई--थाउ सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	30
15	राज्यीय सड़क	फुटसिरो-झामई सड़क को दो लेन का बनाया	नगालैंड	18
16	राज्यीय सड़क	अतिबुंग--खेलमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	55
17	राज्यीय सड़क	पेरेन- कोहिमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	96
18	राज्यीय सड़क	कुकीताल से सबरूम तक सड़क का सुधार	त्रिपुरा	310
		जोड़ (II)		**1087**
III. जीएस सड़कें				
19	जीएस सड़क	चंपई-सेलिंग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	150
20	जीएस सड़क	गंगटोक-मंगम सड़क को 2 लेन का बनाया जाना	सिक्किम	68
		जोड़ (III)		**218**
IV. सामरिक सड़कें				
21	भारत-म्यांमार सड़क	विजयनगर-मिआओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	157
22	भारत-म्यांमार सड़क	मिआओ-नमचिक सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	17
23	भारत-म्यांमार सड़क	चांगलांग से खिमियांग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	35
24	भारत-म्यांमार सड़क	खिमियांग से सांगकुहावी सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	33
25	भारत-म्यांमार सड़क	सांगकुहावी-लाजू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	40
26	भारत-म्यांमार सड़क	लाजू-वाक्का सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	75
27	भारत-म्यांमार सड़क	वाक्का-खानू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	21
28	भारत-म्यांमार	खानू-कोणसा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल	30

	सड़क		प्रदेश	
29	भारत-म्यांमार सड़क	कोणसा-पंचाओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	29
30	भारत-म्यांमार सड़क	पंचाओ-नगालैंड सीमा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	25
31	राज्यीय सड़क	यिंगकियांग से बिशिंग (पोरगो वाया गिट्टे-पुगिंग-लिकोर-पालिंग-जीदो) सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	160
32	राज्यीय सड़क	जीदो-सिंघा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	94
33	राज्यीय सड़क	पांगो-जोरगिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया	अरुणाचल प्रदेश	90
34	राज्यीय सड़क	सरकम प्वांइट सिंगा वाया इको--डोम्पिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	125
		जोड़ (IV)		**931**
		जोड़ (क)		**3521**
ख. जोड़ी गई नई सड़क				
क्र.सं.	**सड़क की श्रेणी**	**सड़क की व्याप्ति / खंड**	**राज्य**	**अनंतिम लंबाई (किमी में)**
35	**राज्यीय सड़क**	शंक्षक (रारा-150 पर फिंच कॉर्नर के निकट) से रारा-39 पर तैंगनौपल तक की सड़क को 2 लेन का बनाया जाना	मणिपुर	202
	जोड़ (ख)			**202**
	जोड़ (क+ख)			**3723**

अनुलग्नक घ-3

सड़कों एवं राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज

क. दो लेन बनाए जाने के लिए ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत सड़कें

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई (किमी.)
1	नेचीपू-सेप्पा सड़क रारा-229	99
2	सेप्पा-खोदासो- रारा-229	110
3	खोदासो-खील-होज रारा 229, वाया सगाली	102
4	होज-पोतिन- रारा-229	20
5	पोतिन-याजिल-जिरो रारा-229	71
6	जिरो - दापोरिजो रारा-229	160
7	दापोरिजो-बामे रारा-229	108
8	बामे -आलो रारा-229	42
9	आलो-पांगिन रारा-229	26
10	पांगिन-पासीघाट रारा-229	84
11	पासीघाट से महादेवपुर रारा-52	
	(i) देवांग घाटी का बड़ा पुल, अलुबारीघाट में बड़े पुल सहित दिगरू से चौखाम तक पुनर्संरेखण के विकल्प के साथ संपर्क सड़कें	30
	(ii) उपर्युक्त (i) में शामिल लंबाई को छोड़ने के पश्चात् शेष खंडों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना	140
12	महादेवपुर - बोरदुमसा - नमचिक - जैरमपुर - मम्माओ रारा-52बी	97
13	मम्माओ - चंगलांग	42
14	चंगलांग-खोनसा रारा 52 बी	67
15	खोनसा- तीसा रारा 52 बी	48
16	तिस्सा-लोंगडिंग-कानुबाड़ी रारा 52 बी	80

17	कानुबाड़ी-बिमलापुर 52 बी	16
18	असम में बिमलापुर से रारा-37 के लिंक तक रारा 52 बी	70
	जोड़ (क)	1412
ख. रारा 37 और रारा 52 के मिसिंग लिंक		
क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**
1	रारा 37 पर धोला और सादियाघाट के बीच का मिसिंग पुल और इसके पहुंच मार्ग	28
2	सादिया और शांतिपुर होते हुए, इस्लामपुर तिनाली से रोइंग तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना	32
	जोड़ (ख)	60
ग. अरुणाचल प्रदेश के 5 जिला मुख्यालय शहरों को दो लेन का सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु राज्यीय सड़कों को दो लेन के मानकों के अनुरूप बनाया जाना		
क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**
1	कोलोरियांग-जोरम सड़क	158
2	यिंगकियांग-मारीयुंग-पासीघाट सड़क	140
3	अनिनी-मेका सड़क	235
4	हवाई-हवा कैम्प सड़क	165
5	हौज- यूपिया-पप्पू सड़क	35
6	बामे-लेकाबाली-अकजान सड़क	114
	जोड़ (ग)	847
	कुल जोड़ (क + ख + ग)	2319

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख विकास कार्यों का ब्योरा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शीर्षक के अंतर्गत अध्याय-V। में दिया गया है ।

उपकरण एवं संयंत्र

मशीनरी

विकसित होती अवसंरचना और वाहनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रमों सहित देश में सड़क निर्माण परियोजनाओं को और अधिक गति प्रदान की है । सड़क निर्माण क्षेत्र के बेहतर और तीव्र यंत्रीकरण से डवलपरों को बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन, डिजाइन विनिर्देशों में सुधार करने, गुणता सुनिश्चित करने तथा सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय से पूरा करने में सहायता मिलती है ।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक और परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जाए । यह भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के लिए उचित मशीनों और उपकरणों के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं । मंत्रालय ने निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य में आधुनिक एवं परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनों की तैनाती के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि पुलों का निरीक्षण आवधिक रूप से किया जाए । पुल का समुचित निरीक्षण, संरचना तक पर्याप्त पहुंच पर निर्भर करता है । मोबाईल पुल निरीक्षण इकाई जो कि एक अत्याधुनिक प्लेटफार्म है, अंडर ब्रिज संबंधी सभी कार्यों; निरीक्षण, मरम्मत, सामान्य अनुरक्षण, बैरिंगों के प्रतिस्थापन एवं अनुरक्षण तथा अन्य अनेक कार्यों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है । तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को मंत्रालय द्वारा आबंटित मोबाईल पुल निरीक्षण इकाई का उपयोग पुलों का समुचित अनुरक्षण एवं रखरखाव सुनिश्चित करने और संकटग्रस्त पुलों की मरम्मत में सहायता प्रदान करने में किया जा रहा है । मोबाईल पुल निरीक्षण इकाई की मरम्मत, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए वर्ष 2009-10 में 6.4 लाख रुपए का प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया है ।

(ii) सुरक्षा में सुधार करने और अधिक भार से लदे वाहनों से होने वाली क्षति को रोककर सड़कों के अनुरक्षण में आने वाली लागत को कम करने के लिए मंत्रालय, 13 वे इन मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासीफायर की स्थापना देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलग-अलग खंडों में करने की प्रक्रिया में है ।

(iii) नवीनतम प्रौद्योगिकीय उपकरणों के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए "हॉट मिक्स प्लांट्स के चयन, प्रचालन और अनुरक्षण" के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, मृदा एवं डामरीकृत सड़क कार्यों के लिए कॉम्पेक्शन उपकरण संबंधी

दिशानिर्देशों के दस्तावेज और कंक्रीट बैचिंग तथा मिक्सिंग प्लांट्स के चयन, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं ।

(iv) विश्व बैंक और एशियाई विकास से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन से भी सड़क निर्माण क्षेत्र का यंत्रीकरण हुआ है । इन संस्थाओं ने यह उपबंध किया था कि परियोजनाओं के लिए मशीनरी एवं उपकरणों का आयात, भारत में सड़कों के निर्माण के लिए आयात शुल्क से मुक्त होगा । इसलिए, उपकरण एवं सामग्री के संबंध में सीमा तथा उत्पाद शुल्क से छूट की सुविधा का ठेकेदारों द्वारा लाभ, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़े सड़क निर्माण कार्यों में किया जा रहा है । साथ ही, वित्त मंत्रालय के सहयोग से सड़क निर्माण मशीनरी की 21 मदों के सीमा शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति भी प्रदान की गई है और इनका आयात ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है । इस सुविधा से ठेकेदार नवीनतम एवं परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनरी मंगाने के प्रति आकर्षित हुए हैं ।

(v) "दरों के विश्लेषण के लिए मंत्रालय की मानक आधार सामग्री पुस्तिका (प्रथम संशोधन) के अध्याय 17 में विनिर्दिष्ट संयंत्रों एवं मशीनरों के प्रयोग की दरें, आधार वर्ष 2001-02 के अनुसार हैं । तब से अब तक, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण भारी बदलाव आए हैं । साथ ही, ईंधन, तेल, ल्यूब्रिकेंट की लागत, प्रचालकों एवं मददगारों की मजदूरी आदि में भी काफी संशोधन हुआ है । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की मानक आधार सामग्री पुस्तिका में उल्लिखित संयंत्र एवं मशीनरी के अलावा भी अनेक अत्याधुनिक एवं नवीन उपकरण विकसित किए गए हैं और उनका उपयोग, सड़क परियोजनाओं में किया जा रहा है जैसे कि हॉट/कोल्ड मिक्स प्लांट आदि में रीसाइक्लिंग । इसलिए, इस मंत्रालय ने प्रयोग दर आंकड़ों में संशोधन के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है ।

सड़क परिवहन

2000-10 और 2010-11 के परिणामी बजट में दिए गए लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य निष्पादन

क्र. सं.	योजना का नाम	लक्ष्य 2009-10	वर्ष 2009-10 में कार्य निष्पादन	लक्ष्य 2010-11	वर्ष 2010-11 में कार्य निष्पादन (दिस, 2010 की स्थिति के अनुसार)
1	**सड़क सुरक्षा**				
	असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सहित मानव संसाधन विकास ।	70,000 चालक प्रशिक्षित किए जाने थे। 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे ।	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय "असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण" नामक योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया करता था । वित्त वर्ष 2009-10 में यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य सुस्थापित संगठनों जैसे भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (सियाम) और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) को सौंपा जाए ताकि यह प्रशिक्षण और अधिक प्रभावी एवं संगठित ढंग से सुनिश्चित हो सके । तथापि, सियाम और एआईएमटीसी ने प्रशिक्षण के संचालन के लिए फरवरी, 2010 में अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं । परिणामस्वरूप, भारी मोटर	20 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हैं ।	सीआईआरटी, पुणे में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआरएआई, पुणे में 8 कार्यक्रम और ईएससीआई, हैदराबाद में 2 कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं । कुल धनराशि का 30 प्रतिशत जारी कर दिया गया गया है । लगभग 35,000 चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सियाम, एआईएमटीसी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रक्रमण किया जा रहा है ।

			वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका । सीआईआरटी, पुणे और एआरएआई, पुणे में 5-5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।		आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की योजना अनुमोदित कर दी गई है । छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाने वाले एक ऐसे स्कूल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है । अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा सीआईआरटी, पुणे के साथ परामर्श करके की जा रही है ।
	प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	360 वीडियो झलकियां तथा 1230 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी थीं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने थे ।	3848 वीडियो झलकियां प्रसारित की गईं । 3240 रेडियो झलकियां प्रसारित की गईं ।	400 वीडियो झलकियां तथा 250 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी हैं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने हैं ।	मुद्रण सामग्री के माध्यम से जागरूकता अभियान को मंजूरी प्रदान की गई है जिसके लिए व्यय 10.3 करोड़ रुपए होगा । राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान जागरूकता के लिए दूरदर्शन को 1.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है । अभी तक 2046 वीडियो झलकियां और 1720 रेडियो झलकियां प्रसारित की गई हैं । डीएवीपी के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं । इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित किए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया भी

					पूरी कर ली गई है ।
	सड़क सुरक्षा उपस्कर और प्रदूषण जांच व नियंत्रण	15 इन्टरसेप्टर मंजूर किए जाने थे ।	वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान संपूर्ण इंटरसेप्टर के बजाय गति सूचक रडार और ब्रेथ एनालाइज़र की अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया । गति सूचक रडार और ब्रेथ एनालाइज़र के विनिर्देशों को निश्चित नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप, सड़क सुरक्षा उपकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका । निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कार्य आदेश सौंपने संबंधी प्रस्ताव माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया था । प्रदूषण जांच उपकरणों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश अब जारी कर दिया गया है ।	225 सड़क सुरक्षा उपस्कर और 100 स्मोक मीटर तथा 100 गैस एनालाइज़र संस्वीकृत किए जाने है ।	139 स्मोक मीटरों तथा 139 गैस एनालाइज़रों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश दे दिया गया है । इंटरसेप्टरों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
	राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	30 क्रेन और 73 एम्बुलेंस और 25 लघु/मध्यम आकार की क्रेन प्रदान की जानी थीं ।	वर्ष 2009-10 के दौरान 10 टन वाली 30 क्रेन और मध्यम आकार की 30 रिकवरी क्रेन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई थीं (तथापि, धनराशि, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2010-11 में जारी की जाएगी) । 70 एंबुलेंस के लिए निविदा जारी की गई थी । तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया गया किंतु तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त केवल एक ही	25 क्रेन, छोटी/मध्यम आकार की 35 क्रेन तथा 100 एंबुलेंस प्रदान की जानी हैं ।	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 टन की 40 क्रेनों और 36 छोटी क्रेनों की अधिप्राप्ति के लिए 13.50 करोड़ रुपए की लागत का कार्य आदेश दिया जा रहा है । जहां तक एबुंलेंस का संबंध है, एबुंलेंसों की अधिप्राप्ति के लिए तकनीकी निविदाएं दिनांक 08.12.2010 को खोली गई हैं और

			निविदा के कारण निविदा को निरस्त कर दिया गया और नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जा रही है ।		निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया गया है । वित्तीय निविदाओं को भी खोला गया है और न्यूनतम निविदादाता को निविदा सौंपने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है ।
2.	समस्त इंजीनियरी समाधान सहित राष्ट्रीय डाटा बेस और कंप्यूटर प्रणाली, डाटा संगहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	लागू नहीं । तीन अध्ययन/ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरु की जानी थी ।	सभी 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूट्रीकृत कर दिया गया है । अखिल भारतीय आधार पर 990 कार्यालयों में से 905 परिवहन प्राधिकरण कार्यालय कंप्यूट्रीकृत कर दिए गए हैं । 23 राज्यों में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ दिया गया है । अन्य सभी राज्यों में भी प्रगति अच्छी है । 33 राज्यों में राज्यीय रजिस्टरों की स्थापना कर दी गई है । 734 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से आंकड़े राज्यीय रजिस्टर में आने लगे हैं । राष्ट्रीय रजिस्टर भी स्थापित किया जा चुका है । राज्यीय रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की पहचान कर ली गई है और अपेक्षित सोफ्टवेअर विकसित कर लिए गए हैं ।	ड्राइविंग लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्रों के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टर स्थापित किए जाने हैं । अध्ययन/अनुसंधान एवं विकास की 3 परियोजनाएं शुरू की जानी हैं ।	लगभग 93% क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूट्रीकृत कर दिया गया है । ड्राइविंग लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्रों का राष्ट्रीय/राज्यीय रजिस्टर का सृजन नामक परियोजना कार्यान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी किए जाने के लिए एनआईसी से अनुरोध प्राप्त हुआ है । आईएफडी के परामर्श से इसकी जांच कर ली गई है और एनआईसी को तदनुसार यह सलाह दी गई है कि वह इस परियोजना पर काम करना प्रारंभ कर दें और जब कभी उन्हें धनराशि की वास्तव में आवश्यकता हो, वे

			'अनिवार्य सुरक्षा विनियमों का लागत लाभ विश्लेषण' संबंधी अध्ययन सीआईआरटी, पुणे को सौंपा गया था ।		मंत्रालय से धनराशि की मांग करें ।
3.	निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना	एक अथवा दो केन्द्र संस्वीकृत किए जाने थे ।	योजना आयोग ने योजना के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान कर दिया है । संशोधित ईएफसी नोट तैयार किया जा रहा है ।	सात अथवा आठ केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं।	माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और 10 अभिनिर्धारित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं । छिंदवाड़ा में स्थापित किए जाने वाले एक ऐसे केन्द्र को मंजूरी प्रदान कर दी गई है । 2.55 करोड़ रुपए की धनराशि, सियाम को जारी की गई है । हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।
4.	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू		इस योजना को माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा मार्च, 2010 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था और यह योजना दिनांक		यह योजना दिनांक 15.03.2010 से लागू कर दी गई है । कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान

	करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करना		15.03.2010 से लागू है ।		राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव संस्वीकृत कर दिए गए हैं ।
5.	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन		राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन हेतु संसद में एक विधेयक पेश किए जाने के लिए मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप प्रदान किया गया ।		राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए विधेयक लोक सभा में दिनांक 04.05.2010 को पेश किया गया जिसे विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया गया । समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा के सभापति को दिनांक 21.07.2010 को प्रस्तुत कर दी है । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

अध्याय V

वित्तीय समीक्षा

परिवहन क्षेत्र में केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजना 2011-12 में 27,500.00 करोड़ रु0 के सकल परिव्यय की निम्नानुसार परिकल्पना की गई है :-

(करोड़ रु0 में)

क्षेत्र	**बजटीय सहायता(प्रस्तावित)**	**आईईबीआर(प्रस्तावित)**	**कुल**
1	2	3	4
सड़क	19,600.00	7,500.00	27,100.00
सड़क परिवहन	400.00	-	400.00
कुल	**20,000.00**	**7500.00**	**27,500.00**

2009-10 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय और 2010-11 के दौरान 31.12.2010 तक हुए व्यय को नीचे विवरण में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु0 में)

क्र. सं.	मद	वास्तविक व्यय		2010-11		2011-12
		2009-10	2010-11 (31.12.10 तक)	ब.प्रा.	सं.प्रा.	ब.प्रा.
सड़कें						
1	जीबीएस	13,350.71	10580.08	17,200.00	18214.42	19,500.00
	जीबीएस से भिन्न (ईएपी)	340.00	300.00	500.00	401.00	100.00
	जोड़=	13,690.71	10880.08	17,700.00	18,615.42	19,600.00
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम पूल के लिए प्रावधान - जीबीएस का 10%	981.11	562.68	1,750.00	1,826.00	1990.00

सड़क विकास

इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 70,934 किलोमीटर है । राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की स्कीमों /परियोजनाओं में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण शामिल है । हालांकि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए आवर्धित बजटीय आबंटन उपलब्ध करा रही है और उच्च घनत्व वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त धनराशि आबंटित करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इसी प्रकार की मांगें अन्य क्षेत्रों से भी मिलती रही हैं । निजी क्षेत्र से होने वाले धनराशि के आप्रवाह से संसाधन अंतर कुछ हद तक कम होने की प्रत्याशा है ।

राज्य लोक निर्माण विभागों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य, राज्यों (राज्यों के लोक निर्माण विभाग निष्पादन एजेंसियां हैं), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है । राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन की तुलना में व्यय में समग्र प्रवृति निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु0 में)

मद	2009-10			2010-11			बजट प्राक्कलन 2011-12
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय (अनंतिम)	
योजना							
राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य	3342.55	4342.55	4298.12	3958.10	4656.10	2407.27	4634.33
सीमा सड़क संगठन के अधीन कार्य	600.00	756.00	723.49	700.00	760.00	458.52	700.00
स्थायी पुल शुल्क निधि	90.00	90.00	89.95	120.00	120.00	78.83	150.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	1200.00	1200.00	658.55	1500.00	1500.00	390.82	1600.00
जोड़	**5232.55**	**6388.55**	**5770.11**	**6278.10**	**7036.10**	**3335.44**	**7084.33**
गैर योजना							

राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग	1036.44	1035.10	1030.25	1032.86	1989.46	483.99	983.25
बीआरओ को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग	24.00	24.00	23.73	24.00	65.00	18.10	44.00
जोड़	**1060.44**	**1059.10**	**1053.98**	**1056.86**	**2054.36**	**502.09**	**1027.25**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए किया गया बजट प्रावधान

राष्ट्रीय राजमार्गों का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विकास के लिए धनराशि, पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत पथकर से प्रदान की जाती है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपकर धनराशि की लीवरेज पर बाजार से उधार लेने की अनुमति है । पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर उपकर की वर्तमान दर 2.00 रु0 प्रति लीटर है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजट से भी धनराशि प्रदान की जाती है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 2009-10, 2010-11 में किए गए प्रावधान, दिसंबर, 2010 तक व्यय और 2011-12 में प्रस्तावित किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

मद	2009-10			2010-11			2011-2012
	बजट प्राक्कलन	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	**बजट प्राक्कलन**	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	
निवेश (सीआरएफ से वित्तपोषित)	8578.45	7404.70	7404.70	7848.98	8440.94	5886.25	8250.00
निवेश (स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित)	0.00	0.00	0.00	1623.00	1623.00	969.64	2092.89
जे एंड के पैकेज	0	0	0	0	0	0	320.01
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	340.00	340.00	340.00	400.00	400.00	300.00	0.00
जोड़	**8918.45**	**7744.70**	**7744.70**	**9871.98**	**10463.94**	**7155.89**	**10662.90**
आईईबीआर	5000.00	4000.00	1273.26	7455.00	2341.00	1401.59	7500.00
कुल जोड़	**13918.45**	**11744.70**	**9017.96**	**15703.98**	**12804.94**	**8557.48**	**18162.90**

राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम को दिसंबर, 2000 में अधिनियमित करके इस निधि को सांविधिक दर्जा दिया गया था । यह निधि डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर वसूले जाने वाले उपकर से बनी है । यह मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए धनराशि प्रदान करता है और अन्तरराज्यीय सड़क संपर्क तथा आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराता है । इस निधि से किया गया आबंटन और व्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

मद	**2008-09**			**2009-10**			**2010-11**
	बजट प्राक्कलन	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	**बजट प्राक्कलन**	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	
राज्यीय सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (केन्द्रीय सड़क निधि)	2070.06	1786.56	1344.98	1893.75	*2714.87	1466.97	2247.75
अन्तराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	230.00	198.50	104.35	210.42	223.88	86.15	249.75

* इसमें पिछले वर्ष की शेष धनराशि से आए 700 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

अनुसंधान और विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में मुख्य बल, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सड़क अवसंरचना से तुलनीय दीर्घकालिक सड़क अवसंरचना के निर्माण पर है । 2010-11 में अनुसंधान और विकास के लिए 6.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जिसमें से 0.57 करोड़ रूपए वर्ष 2010-11 के दौरान, 31 दिसंबर, 2010 तक व्यय किए गए ।

मशीनरी एवं उपकरण

यह आवश्यक है कि सड़क निर्माण और अनुरक्षण में उच्च गुणता मानकों के लिए आधुनिक और

उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग किया जाए । मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए 15.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था जिसे वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान संशोधित प्राक्कलन स्तर पर कम करके 5.00 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसमें से 0.01 करोड़ रुपए 31 दिसंबर, 2010 तक व्यय किए गए हैं ।

सड़क परिवहन

वित्तीय कार्य निष्पादन वर्ष 2009-2010 & 2010-2011

(करोड़ रु0 में)

योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम		**बजट प्राक्कलन 2009-10**	**व्यय 2009-10**	**बजट प्राक्कलन 2010-11**	**व्यय 2010-2011 (13.1.2011 की स्थिति के अनुसार)**
1	**सड़क सुरक्षा**				
	i) असंगठित क्षेत्र में चालकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण सहित मानव संसाधन विकास	20.00	5.28	111.00	1.65
	ii) प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	27.50	16.61	30.00	16.85
	iii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	25.00	0	32.00	13.62
	iv) सड़क सुरक्षा उपस्कर तथा प्रदूषण जांच उपस्कर	6.50	0.50	7.00	1.45
2	समस्त इंजीनियरी समाधान सहित राष्ट्रीय डाटा बेस एवं कंप्यूटर प्रणाली, डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	56.00	0	30.00	0.20
3	निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना	10.00	0	54.00	2.55

4	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया संग्रहण जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	35.00	0	35.00	15.15
5	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन	72.00	0	1.00	0
	कुल जोड़	**252.00**	**22.39**	**300.00**	**51.47**

अध्याय-VI

मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

सड़क पक्ष

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचआई) (पहले - राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसायटी है । यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है । देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी ।

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के व्यापक कार्यकलाप इस प्रकार हैं -

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना ।
(ii) वरिष्ठ और मध्य स्तर के राजमार्ग अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।
(iii) वरिष्ठ स्तर के राजमार्ग अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम ।
(iv) राजमार्ग क्षेत्र में नई प्रवृतियां और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण ।
(v) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से लेकर 31 दिसंबर, 2010 तक 868 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों के सड़क विकास के कार्य में लगे 20,313 राजमार्ग एवं पुल अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है । ये प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से आते हैं । विदेशी इंजीनियरों ने भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय, सार्क तथा कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग स्कीम में भाग लिया है । इसने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है ।

वर्ष 2010-11 (31 दिसंबर, 2010 तक) के दौरान संस्थान ने 73 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1725 अभियंताओं ने भाग लिया । इन कार्यक्रमों में अन्य के साथ-

साथ निम्नलिखित प्रायोजित और अंतरर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं भी शामिल थीं:-

(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं पर राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी और राज्यीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ii) सार्क देशों के इंजीनियरों के लिए सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा संपरीक्षा ।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के इंजीनियरों के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(iv) आईएल एंड एफएस के प्रबंधकों के लिए सुरक्षा जोन संबंधी पाठ्यक्रम ।

(v) सड़क निर्माण विभाग, बिहार के इंजीनियरों के लिए पटना में 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(vi) छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त अभियंताओं के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(vii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महा प्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों और प्रबंधकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ।

(viii) कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग स्कीम के अंतर्गत अंतरर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ix) कॉमनवेल्थ बिजनेस स्कूल, यूके के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यशाला ।

(x) मंगोलिया के इंजीनियरों के लिए परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

1.0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा) का गठन इसमें निहित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करने के लिए संसद के एक अधिनियम, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था । इसने फरवरी, 1995 में काम करना प्रारम्भ कर दिया ।

1.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत और सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राराविप) को शुरू किया है जिसके घटक निम्नलिखित हैं:

1.2 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राराविप) - देश में अब तक की शुरू की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को 30,300 करोड़ रुपए की लागत पर 7,498 कि.मी. लंबाई को चार लेन का बनाने हेतु दिसम्बर, 2000 में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को 34,339 करोड़ रुपए की लागत पर 6,644 कि.मी. को चार लेन का बनाने हेतु दिसम्बर, 2003 में अनुमोदन प्रदान किया गया था । इन दो चरणों में स्वर्णिम चतुर्भुज (स्व.च.), उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (उ.द.-पू.प.), पत्तन संपर्क और अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं । स्वर्णिम चतुर्भुज (5,846 कि.मी.) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता जैसे चार महानगरों को जोड़ता है । उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग (7,300 कि.मी.) उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से तथा सलेम से कोच्चि खण्ड सहित पूर्व में सिल्चर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है ।
- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III के अंतर्गत 76,546 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 12,109 कि.मी. के उन्नयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।
- सरकार ने 18 जून, 2008 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVए के अधीन 6,950 करोड़ रुपए की लागत पर बीओटी (पथकर/वार्षिकी) आधार पर 5,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नत/सुदृढ़ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।
- सरकार ने 5 अक्तूबर, 2006 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 41,210 करोड़ रुपए की लागत पर 6,500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन का बनाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें 5,700 कि.मी. स्वर्णिम चतुर्भुज और शेष 800 कि.मी. के अन्य खंड शामिल हैं ।
- सरकार ने 2 नवम्बर, 2006 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत पर नए संरेखणों पर पूर्णत: पहुँच नियंत्रित 1000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।
- सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत पर रिंग रोड़ों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटर्स, फ्लाईओवरों, उत्थापित सड़कों और सुरंगों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है । कुल लागत में से, 6,302 करोड़ रुपए

सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और शेष 10,378 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएंगे । कुल निवेश का एक बड़ा भाग लगभग 10,500 करोड़ रुपए, 700 कि.मी. के रिंग रोडों और बाइपासों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा । शेष 6,180 करोड़ रुपए की राशि, स्टेंड अलोन ग्रेड सेपरेटेड इंरसेक्शनों, सड़क उपरि पुलों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, अंडरपासों तथा सर्विस रोड़ों पर खर्च की जाएगी । स्टेंड अलोन रिंग रोडों और बाइपासों के निर्माण कार्य के ठेके मार्च, 2011 तक सौंप दिए जाने और दिसम्बर, 2014 तक कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

1.3.1 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं की विकास गति को तेज करने हेतु उपाए सुझाने के उद्देश्य से श्री बी के चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी ताकि इस कार्यक्रम की प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने के साथ वित्तपोषण की आवश्यकता पर समग्र रूप से ध्यान दिया जा सके तथा ऐसी वित्तपोषण योजना तैयार की जा सके जिससे सड़क क्षेत्र की आवश्यकताओं और सरकार के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संतुलन कायम हो सके । चतुर्वेदी समिति ने वर्ष 2013-14 तक कार्य योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की वित्तीय योजना (2030-31 तक) तथा आरएफक्यू/आरएफपी से संबंधित अन्य मुद्दों और मॉडल रियायत करार के संबंध में सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

1.3.2 सरकार ने चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और कार्य योजना-। (2009-10 के लिए) सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की वित्तपोषण योजना संबंधी सिफारिशों को इन निर्देशों के साथ अनुमोदित कर दिया कि 2010-11 की वित्तपोषण योजना से आगे की योजनाओं पर, कार्य योजना में आवश्यक परिवर्तनों सहित अगली कार्रवाई पर विचार मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह द्वारा किया जाएगा ।

1.4 मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह ने 7 और 14 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी पहली दो बैठकों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सहमति प्रदान की :-

(i) कार्य योजना-। को अधिकतम सीमा तक क्रियान्वित करने और अगले वर्ष में शेष निर्माण कार्यों को जारी रखने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अनुमति प्रदान की ;

(ii) चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एसएआरडीपी-एनई तथा जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता (एबीएस) उपलब्ध कराई जाए; तथा

(iii) 2010-11 से आगे की कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान करना तथा चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इस शर्त के साथ इनके लिए आवश्यक वित्तीय

सहायता उपलब्ध कराना कि राष्ट्रीय राजमार्ग की विकसित की जाने वाली कुल लम्बाई का कार्य मौटे तौर पर 60 प्रतिशत बीओटी (पथकर) आधार पर, 25 प्रतिशत बीओटी (वार्षिकी) आधार पर और शेष 15 प्रतिशत ईपीसी आधार पर शुरू किया जाएगा । तदनुसार कार्य योजनाओं को संशोधित किया जाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त कर सके; तथा

2.0 पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (बीओटी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र का हिस्सा), गणनीय लक्ष्य/अनुमानित वास्तविक उपलब्धि आदि सहित वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-I (**क और ख) में दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्तपोषण

2.1.0 सरकार के अनुमोदित अधिदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (राराविका) और अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है । भारत सरकार विशेष परियोजनाओं और अनुरक्षण व मरम्मत के लिए बजटीय सहायता के अलावा उपकर निधि, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए धनराशि तथा बाजार से ऋण उपलब्ध कराती है जो संघ के बजट के माध्यम से आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के रूप में होती है और विशेष परियोजनाओं तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए बजट सहायता के अलावा होती है । प्राधिकरण की ऋण संबंधी जरूरतें, अपेक्षित संसाधनों तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप से किया जाता है :-

क) भारत सरकार की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त बजटीय सहायता (एबीएस)

ख) केंद्रीय सड़क निधि (ईंधन पर लगाए गए उपकर में हिस्सा) के अंतर्गत समर्पित उपार्जन

ग) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जेबीआईसी) द्वारा ऋण

घ) पथकर संग्रहण, ऋणात्मक अनुदान, प्रीमियम तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने वाले राजस्व हिस्से सहित पथकर राजस्व को वापस लाना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसकी परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए इतनी ही राशि वापस जारी कर दी जाती है ।

ड.) पीपीपी ढाँचे (फ्रेमवर्क) के अंतर्गत निजी वित्तपोषण

(i) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण - पथकर/डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण - निजी फर्मों द्वारा निवेश तथा प्रयोक्ता शुल्क के उदग्रहण और उसके प्रतिधारण के माध्यम से अदायगी;

(ii) बीओटी (वार्षिकी)-निजी फर्म द्वारा निवेश और निविदा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अर्धवार्षिक पूर्व निर्धारित भुगतानों के जरिए अदायगी ; तथा

(iii) विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अंधधारिता

के साथ ।

च) उपकर के अलावा एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत तथा जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त बजटीय सहायता (एबीएस) से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण; तथा

छ) बाजार से ऋण (आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर मुक्त बांडों के जरिए जुटाई गई धनराशि सहित)

2.1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण । और ।। के क्रियान्वयन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का मुख्य स्रोत ईंधन पर उपकर है (सारणी नीचे दी गई है) । इस समय, पेट्रोल और डीजल दोनों पर उपकर की दर 2 रुपए प्रति लीटर है । उपकर के एक भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित किया जाता है । इस उपकर का उपयोग देशीय बाजार से अतिरिक्त धनराशि उधार लेने के लिए भी किया जाता है ।

2.1.1 इसके अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक (1965 मिलियन अमेरिकी डालर), एशियाई विकास बैंक (भाराराप्रा द्वारा सीधे तौर पर किए गए ऋण सौदे को छोड़कर 1605 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (32,060 मिलियन जापानी येन) से विभिन्न ऋणों के बारे में बातचीत की है । बहुपक्षीय संस्थानों से लिए गए इन ऋणों को सरकार द्वारा आंशिक तौर पर अनुदान और आंशिक तौर पर ऋण के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दे दिया जाता है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले सीधे तौर पर बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त किए हैं (उदाहरण के तौर पर एशियाई विकास बैंक ने सूरत-मनोर राजमार्ग परियोजना के लिए 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण संस्वीकृत किया था) ।

2.1.2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई धनराशि जिसमें बाजार से उधार ली गई राशि भी शामिल है, का उपयोग ऋण सर्विसिंग के साथ-साथ परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है ।

सारणी 2.1.3 : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उपकर निधियां	बाह्य सहायता (अनुदान)	बाह्य सहायता ऋण	ऋण	बजटीय सहायता	निजी क्षेत्र की अनुमानित भागीदारी
1999-2000	1192	492	-			49.72

2000-01	1800	461	12	656.62		225.10
2001-02	2100	887	113	804.44		510.48
2002-03	2000	1202	301	5592.94		846.25
2003-04	1993	1159	290	-		1830.80
2004-05	1848	1239	361	-	50.00	1462.84
2005-06	3269.74	2350	600	1289.00	700.00	649.08
2006-07	6407.45	1582.5	395.5	1500.00	110.00	1578.28
2007-08	6541.06	1776	444	305.18	-	7062.40
2008-09	6972.47	1515.20	378.80	3700.00	-	8184.73
2009-10	8578.45	68.00	272.00	5000.00	-	16657.66
2010-11*	7848.98	80.00	320.00	7455.00	-	21256.00

*वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित आंकड़े बजट प्राक्कलनों के अनुसार हैं ।

सुधार संबंधी उपाय और नीतिगत पहल

3.0 ऐतिहासिक तौर पर, सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में, विशेष रूप से राजमार्गों में निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, प्रतिफल मिलने में बहुत समय लगता है, प्रतिफल अनिश्चितता होती है और इससे जुड़े अन्य बाहरी मुद्दों का प्रभाव रहता है । तेजी से बढ़ती संसाधन आवश्यकताओं और प्रबंधकीय कुशलता के प्रति चिंता महत्व तथा उपभोक्ता प्रतिक्रियाशीलता के कारण हाल ही में निजी क्षेत्र भी इसमें सक्रिय होने लगा है । निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) ने राजमार्ग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं । निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कर में छूट और सड़क निर्माण उपकरण तथा मशीनों का सीमा शुल्क मुक्त आयात जैसे कई प्रोत्साहनों की घोषणा भी की है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) अर्थात बीओटी (पथकर) आधारित परियोजनाओं और बीओटी (वार्षिकी) आधारित परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला परियोजनाओं का विवरण क्रमश: **अनुलग्नक II और III** पर रखा है ।

3.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राराविप) के क्रियान्वयन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 20 कि.मी. प्रतिदिन की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 7,000 कि.मी. और अगले 5 वर्षों में कुल 36,000 कि.मी. का लक्ष्य बन गया है । इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ते हुए, बी. के.

चतुर्वेदी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 20 कि.मी. प्रतिदिन पूरा करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अगले 3 वर्षों में कम से कम 21,000 कि.मी. के ठेके प्रदान करने जरूरी हैं ताकि 7,000 कि.मी. प्रतिवर्ष (20 कि.मी. प्रतिदिन) का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

3.2 बी. के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट में विचार की गई वित्तपोषण योजना से संबंधित और सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों का सारांश निम्नानुसार है :-

(i) 6 लेन बनाने के संपूर्ण कार्यक्रम के लिए अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण की 5% की समग्र सीमा को बढ़ाकर 10% करना तथा चरण-V के 5080 कि.मी. में से 500 कि.मी. की समग्र सीमा के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज के कम यातायात वाले खंडों में अलग-अलग परियोजनाओं जिन्हें अभी सौंपा जाना है, के लिए अर्थ-क्षमता अंतर वित्तपोषण 20% तक किए जाने पर विचार किया जाना ।

(ii) एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत तथा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण, वार्षिक आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकर से ऊपर अतिरिक्त बजट सहायता ।

(iii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए सरकारी सहायता का सैद्धान्तिक अनुमोदन निम्नलिखित के लिए :-

- कर मुक्त बांड जारी किया जाना
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ऋण योजना के लिए गारंटी कवर
- इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड को पहले प्रदान किए गए 30,000 करोड़ रुपए के ऋण अनुमोदन में से राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 10,000 करोड़ रूपये, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसकी ऋण जरूरतों के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाएंगे ।
- यदि आवश्यक हो तो बैक टू बैक सहायता प्रदान करके, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जेबीआईसी आदि से असंप्रभु बहुपक्षीय ऋण वार्ता में मदद करना ।
- कम से कम 2030-31 तक उपकर की उपलब्धता की पुष्टि करते हेतु वित्त मंत्रालय से सांत्वना पत्र प्रदान किया जाना ।

3.3 20 कि.मी. प्रतिदिन की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को पूरा करने के लक्ष्य पर अमल करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :-

क) पहले के 50 प्रतिशत के स्थान पर सरकार के पास 80 प्रतिशत भूमि होने पर ही परियोजना का ठेका दिया जा रहा है ;

ख) 122 समर्पित विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों की स्थापना, धारा 3 ए/डी के अंतर्गत अपेक्षित भूमि को अधिसूचित करने/कब्जा ले लेने के लिए की गई है;

ग) चूककर्ता सिविल संविदाकारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है । 27 ठेके समाप्त कर दिए गए हैं और 2 ठेके समयपूर्व बन्द कर दिए गए हैं । कई संविदाकारों को गैर निष्पादक घोषित किया

गया है और निष्पादन में सुधार किए जाने तक उन पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अगले निर्माण कार्यों के ठेके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

घ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजयुक्त विवेकाधीन अग्रिम मंजूर करने, समान राशि की बैंक गारंटी पर प्रतिधारण धनराशि जारी करने, अग्रिमों की वसूली को स्थगित करने (ब्याज आधार पर) तथा आईपीसी की न्यूनतम राशि में छूट प्रदान करके संविदाकारों की नकदी व्यवस्था संबंधी समस्या में सुधार हेतु उपाए किए गए हैं ।

3.4 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है और उसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :-

(i) नियमित निगरानी और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 12 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना;

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन;

(iii) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों में समन्वय हेतु कार्यपालक निदेशक के छह पदों का सृजन;

(iv) मुख्य महाप्रबंधक के विद्यमान 13 पदों के अलावा मुख्य महाप्रबंधक के 26 अन्य पदों का सृजन ; और

(v) जहाँ कहीं जरूरत हो, बाहरी विशेषज्ञ (जरूरत होने पर आयु में छूट देने सहित) विशेष रूप से वित्तीय विश्लेशक, परिवहन अर्थशास्त्री, संविदा प्रबंधन विशेषज्ञ और विधि विशेषज्ञ के पदों पर अनुभव के अनुसार और सुयोग्य कार्मिकों की उपलब्धता के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारिश्रमिक पर नियुक्त करने हेतु प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करना ।

3.5 सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नत अनुरक्षण हेतु उच्चतर आबंटन के अलावा, प्रचालन, अनुरक्षण और पथकर लगाने (ओएमटी) हेतु मॉडल रियायत करार, दीर्घकालीन अनुरक्षण ठेकों को लागू किया जाएगा । बेहतर अनुरक्षण हेतु किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) सीमित संसाधनों के लाभकारी उपयोग हेतु जीर्ण-शीर्णता (डिस्ट्रेस) के मूल्यांकन की युक्तियुक्त प्रणाली के आधार पर पेवमेंट प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) तथा अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए निर्णय सहायता प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है । पीएमएस के प्रयोजनार्थ सड़क सूचना प्रणाली सहित सामान-सूची कार्यक्रम उपयोग में लाया जा सकता है ।

(ii) अनुरक्षण संबंधी कार्य में सुधार हेतु खराब रास्ते की मरम्मत के लिए मशीन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए ।

(iii) कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुरक्षण संबंधी कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपकर, बाह्य सहायता लेना । प्रचालन, अनुरक्षण और पथकर संविदा संकल्पनाओं को राज्य लोक निर्माण विभागों के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जाए ।

(iv) कॉरीडोर प्रबंधन जिसमें इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग विशेषज्ञों सहित सड़क खंड का व्यापक प्रबंधन शामिल है, को राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड के उचित प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु लागू करना । इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- वांछित मानक अनुसार सड़कों और पुलों का अनुरक्षण
- सुरक्षा संबंधी जोखिमों और यातायात संबंधी रूकावटों से निपटना
- यातायात प्रबंधन
- प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण
- आपतन प्रबंधन
- भूमि प्रबंधन

(v) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और द्रुतगामी यातायात के संचलन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 जो जनवरी, 2005 से लागू किया गया है, के आवश्यक प्रावधान को लागू करने संबंधी उपाए किए जाएंगे । इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु राजमार्ग प्रशासन की स्थापना पहले ही कर दी गई है ।

3.6 उच्चतर कोटि की सेवा सहित पथकर की बेहतर वसूली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी भागीदारी को आकृष्ट करना लाभप्रद होगा । तथापि, निजी भागीदारी का भविष्य, पीपीपी की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए तथा प्रयोक्ताओं और निवेशकों के हितों को संतुलित करने के लिए आवश्यक व्यापक नीति और विनियामक फ्रेमवर्क पर निर्भर करेगा । प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण में निजी पक्षों की रूचि को बनाए रखने हेतु मॉडल रियायत करार (एमसीए) में एक सटीक नीति और विनियामक ढाँचा (फ्रेमवर्क) दिया जा रहा है । इस फ्रेमवर्क में पीपीपी के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण बातों जैसे जोखिमों को समाप्त और न्यूनतम करना, जोखिमों का आबंटन और पुरस्कार, प्रमुख पक्षों के बीच दायित्वों की समानता, लागतों एवं दायित्वों की सुस्पष्टता एवं संभाव्यता, लेन-देन लागतों में कटौती, देवीय आपदा और समापन पर विचार किया गया है ।

3.7 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने तथा प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतग्राहियों के चयन के लिए तकनीकी वित्तीय परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है | ओएमटी के लिए 12 खंडों की पहचान भी कर ली गई है और दो खंडों में वाणिज्यिक प्रचालन अमल में है जबकि अन्य तीन खंडों के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, इसके अलावा एक खंड के लिए एलओए जारी कर दिया गया है । दो खंडों के लिए निविदाएं पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है । चार नए खंडों की हाल ही में पहचान की गई है और परियोजना तैयार कराने के लिए वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है ।संशोधित वित्तपोषण योजना भी इस पूर्वानुमान पर तैयार की गई है कि सभी ईपीसी खंडों को चरणबद्ध रूप में ओएमटी रियायतग्राही को सौंपा जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, बीओटी खंडों को भी, बीओटी रियायत अवधि पूरी होने के बाद, ओएमटी रियायतग्राही को सौंपा जाएगा |

3.8 केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए और धारा 8 के अंतर्गत निजी निवेश की परियोजनाओं पर फीस (पथकर) लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है | सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण नीति की समीक्षा की है और नई पथकर नीति/नियम, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 को दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है । दिनांक 03.12.2010 के सा.का.नि. सं. जी 50 (अ) के तहत इसे संशोधित किया गया है ।

3.9 प्रयोक्ता शुल्क की संग्रहण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया जिसमें सफल निविदादाता, वास्तविक संग्रहण राशि पर ध्यान दिए बगैर निर्धारित उद्धृत राशि का भुगतान करेगा, के माध्यम से फीस संग्रहण करने वाली एजेंसी की नियुक्ति की प्रणाली को अपनाया है ।

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

4.1 2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन

वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में भिन्नता/कमी के कारणों सहित वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन **अनुलग्नक - IV** में दिए गए विवरण के अनुसार हैं ।

4.2 2010-11 (31 दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान कार्य निष्पादन

क) 31 दिसम्बर, 2010 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित 14,889 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे हो चुके हैं जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा अर्थात् 5,811 कि.मी. स्वर्णिम चतुर्भुज पर पड़ते हैं (सारणी नीचे दी गई है) । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को समय से पूरा करने में आई कठिनाइयों में भूमि अधिग्रहण, संरचनाओं को हटाने तथा सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में देरी होना और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या तथा कुछ ठेकेदारों द्वारा अल्प निष्पादन शामिल है ।

सारणी **4.2 :** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की प्रगति **: 31** दिसम्बर, **2010** की स्थिति की स्थिति के अनुसार

	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से इतर सड़कें								
	स्व.च.	उ.द. और पू.प. चरण I व II	रारावि चरण III	रारावि चरण IV	रारावि चरण V	रारावि चरण VI	पत्तन संपर्क	अन्य	रारावि जोड़
कुल लंबाई (कि.मी.)	5,846	7,142	12,109	14799	6,500	700	380	1383	49,247

पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी (कि.मी.)	5,811	5,447	1968	-	443	-	292	928	14,889
कार्यान्वयन के अधीन	35	1,271	5,374	765	1,857	41	88	435	9,978
कार्यान्वयन के अधीन ठेकों की संख्या (संख्या)	8	102	75	5	16	2	5	7	222
ठेका सौंपने हेतु शेष लंबाई (कि.मी.)	-	424	4,767	14034	4,200	659	0	20	24,380

* शेष लंबाई का निष्पादन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाना है

ख) 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का सार **अनुलग्नक - VI** में दर्शाया गया है ।

ग) स्वर्णिम चतुर्भुज का 99.4 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो जाने से अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पहले ही देखने को मिल रहा है । स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरे कर लिए गए खण्डों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V के अधीन छह लेन का बनाने के लिए रियायतग्राही को सौंप दिए जाने की संभावना है ।

घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-।। अर्थात : उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग के काफी हद तक पूरा हो जाने से कुछ खंडों के संबंध में गति और यातायात परिमाण के संदर्भ में अधिकतम परिणाम देने की दृष्टि से प्रचालन लागत को कम से कम रखकर और सड़क सुरक्षा को बढ़ाकर राजमार्गों के प्रबंधन की कॉरीडोर प्रबंधन तकनीक पर बल देने की आवश्यकता महसूस की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूरे कर लिए गए खंडों पर ओ एण्ड एम ठेकों के जरिए कॉरीडोर प्रबंधन की संकल्पना लागू की जाती है । इसके कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सड़क अनुरक्षण, सड़क संपत्ति प्रबंधन, प्रासंगिक प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और इंजीनियरी सुधार शामिल हैं ।

ड.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और प्रचालन-अनुरक्षण-हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतग्राही के चयन हेतु तकनीकी-वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है । ओएमटी के लिए 12 खंडों की पहचान भी कर ली गई है तथा दो खंडों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन प्रगति पर है; तीन खंडों के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं; दो खंडों के लिए निविदाएं पुन: आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है । चार नए खंडों की पहचान हाल ही में की गई है और परियोजना तैयार करने के लिए वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है । बी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट में विचार की गई इस मान्यता पर कि ईपीसी के सभी खंडों को चरणबद्ध रूप में ओएमटी रियायतग्राही को सौंपा जाएगा, संशोधित वित्तपोषण योजना में वित्तीय अनुमान लगाया गया है । इसके अलावा, बीओटी रियायत अवधि पूरी होने के पश्चात् बीओटी खंडों को भी ओएमटी रियायत आधार पर सौंपा जाएगा ।

4.5 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) से ऋण के रूप में क्रमश: 1965 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1770 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 32060 मिलियन येन की विदेशी सहायता से कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है । वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

सारणी 4.5 : 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार बाह्य सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना और राज्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	वित्तपोषण एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	पैकेजों की संख्या
1.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (टीएनएचपी-उ.प्र. बिहार और झारखंड) (ऋण 31.12.2007 को मिला)	477.00	वि. बैंक	516	8
2.	ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना (जीटीआरआईटी-उ.प्र. बिहार और झारखंड) (ऋण 30.6.2008 को मिला)	422.00	वि. बैंक	589	7
3.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना-उत्तर प्रदेश (ऋण 30.6.2009 को मिला)	84.71	वि. बैंक	240	3
4.	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एलएमएनएचपी)- उत्तर प्रदेश, बिहार	511.00	वि. बैंक	620	11
5.	पश्चिमी परिवहन महामार्ग-कर्नाटक (ऋण 30.6.2008 को मिला)	259.00	वि. बैंक	240	5
6.	पूर्व-पश्चिमी महामार्ग योजना-गुजरात	504.60	एडीबी	320	6
7.	रारा-सी (सेक्टर-I) परियोजना-ईडब्ल्यू राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश		एडीबी	400	

8.	रारा-सी (सेक्टर-I) परियोजना ईडब्ल्यू राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूरक)	602		100	12
9.	रारा-सी (सेक्टर-II) परियोजना- मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश	566	एडीबी	400	13

ईएपी परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक V** और **VI** में दिया गया है |

5. वित्तीय समीक्षा

5.0 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 2009-10, 2010-11 में किए गए प्रावधान तथा प्राप्त हुई वास्तविक निधियाँ और 2011-12 में प्रस्तावित निधियाँ निम्नानुसार हैं :-

सारणी 5.0 : निधियों के स्रोतों का विवरण [वर्ष 2009-10, 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक वास्तविक) और बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन] और 2011-12 (बजट प्राक्कलन)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2009-10			2010-11			ब.प्रा. 2011-12
	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक (दिस,10 तक)	
निवेश (उपकर)	8,578.45	7404.70	7404.70	7848.98	7848.98	5886.25	8255.56
बाह्य सहायता	340.00	340.00	340.00	400.00	400.00	300.00	0.00
पथकर राजस्व की वापसी	0.00	0.00	0.00	1623.00	2150.00	1557.64	2922.00
आईईबीआर	5,000.00	4000.00	1153.00	7455.00	2341.00	1401.59	7508.00
उप-जोड़	**13,918.45**	**11744.70**	**8897.70**	**17326.98**	**12739.98**	**9145.48**	**18685.56**
ऋणात्मक अनुदान *	10.00	10.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**13,928.45**	**11754.70**	**8904.91**	**17326.98**	**12739.98**	**9145.48**	**18685.56**

* सरकार के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2010-11 के बाद धनराशि को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और इसके बराबर राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए वापस जारी की जाएगी ।

5.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं और वर्ष *2009*-10*, 2010*-11 के दौरान वार्षिकियों के भुगतान सहित ऋणों की सर्विसिंग तथा ऋण अदायगी पर किया गया व्यय और वर्ष *2011*-12 के लिए अनुमानित व्यय निम्नानुसार है :-

***सारणी* 5.1 : निधियों के स्रोतों का विवरण [वर्ष 2009-10, 2010-11 (दिसंबर, 2010 तक वास्तविक) और बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन] और 2011-12 (बजट प्राक्कलन)**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12
	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक (दिस, 10 तक)	ब.अ.
क) भाराराप्रा द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	4805.65	3708.68	4150.93	2176.70	3984.46	3017.61	2018.23
ख) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं							
एडीबी द्वारा वित्तपोषित	1906.15	1408.15	1705.46	1055.71	973.09	812.58	430.00
डब्ल्यूबी द्वारा वित्तपोषित	1601.07	1295.95	1090.55	861.00	981.18	809.96	284.30
उप जोड़ (ख)	**3507.22**	**2703.25**	**2796.01**	**1916.71**	**1954.27**	**1622.54**	**714.30**
ग) वार्षिकी/बीओटी परियोजनाएं (भाराराप्रा और निजी क्षेत्र के हिस्से को शामिल करके)	21621.72	11114.76	11393.28	30407.60	21319.27	15453.05	47393.44
जोड़ (क+ख+ग)	**29934.59**	**17526.69**	**18340.22**	**34501.01**	**27258.00**	**20093.20**	**50125.97**
जोड़ें : ब्याज और बाजार से लिए गए ऋण की अदायगी	1,523.00	1664.65	1662.96	604.75	521.00	233.45	2122.00
जोड़ें : वार्षिकियों का भुगतान	576.00	1313.10	731.37	1818.30	1817.30	831.26	1817.30
जोड़	**32033.59**	**20504.44**	**20734.55**	**36524.06**	**29596.30**	**21157.91**	**54065.27**
घटाएं : वार्षिकी/ बीओटी परियोजनाओं के मामले में निजी क्षेत्र का हिस्सा	16657.66	8395.63	8572.54	21256.00	16372.00	12673.22	33365.99
भाराराप्रा के बजट में से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं पर कुल व्यय	**15375.93**	**12108.81**	**13162.01**	**15268.06**	**13224.30**	**8484.69**	**20699.28**

उपर्युक्त को देखने से मालूम होता है कि व्यय के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2010-11 के दौरान व्यय की गति धीमी रही है । योजना निधियों के उपयोग में कमी के मुख्य कारणों में से एक कारण है- विगत में आई आर्थिक मंदी के प्रभाव से और निजी क्षेत्र द्वारा संसाधनों की धीमी व्यवस्था के कारण पहले से ही सौंपी जा चुकी परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करने में विलंब । इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत

परियोजनाएं सौंपने में विलंब भी एक मुख्य कारण है । तथापि, यह आशा है कि निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में महत्वपूर्ण रूप से गतिशीलता आएगी ।

उपर्युक्त से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अनुमानित व्यय में काफी वृद्धि आई है । ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अनेक परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वयन के अधीन हैं और कई परियोजनाएं सौंपी जाने वाली हैं ।

5.2 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र, 31.9.2010 तक के संबंध में प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

5.3 अव्ययित शेष राशि की स्थिति

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास अव्ययित शेष राशि 1684 करोड़ रुपए है ।

6.0 वर्ष 2011-12 और आगे का भावी परिदृश्य

सरकार ने सुपुर्दगी की विभिन्न विधियों अर्थात : बीओटी (पथकर), बीओटी (वार्षिकी) और ईपीसी के अंतर्गत आगामी वर्षों में 20 कि.मी. प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II में शामिल, पहले से चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने के अलावा वर्ष 2011-12 और उससे आगे निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा:-

- 12,109 कि.मी. को 4-लेन का बनाना (राराविप चरण-III)
- 394 किमी पर कार्य - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम
- 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना (राराविप चरण-(IV)
- स्वर्णिम चतुर्भुज और कुछ अन्य चुनिंदा खण्डों की 6,500 कि.मी. को 6 लेन का बनाना (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V)
- 1,000 कि.मी. एक्सप्रेस मार्गों का विकास करना (राराविप चरण-V)
- रिंग रोडों, बाईपासों, ग्रेड सेपरेटर्स, सर्विस रोडों आदि का विकास करना (राराविप चरण-VI)
- नीति के रूप में, चतुर्वेदी समिति की सिफारिश के अनुसार 2010-11 और आगे की कार्य योजनाएं और उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता इस शर्त के साथ प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई का मोटे तौर पर 60 प्रतिशत बीओटी (पथकर) आधार पर, 25 प्रतिशत बीओटी (वार्षिकी) आधार पर और शेष 15 प्रतिशत ईपीसी के आधार पर विकसित किया जाएगा; इसे, मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित किया गया है । तदनुसार कार्य योजनाओं को संशोधित किया जाएगा ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इष्टतम दक्षता प्राप्त कर सके ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा) के अनुलग्नकों की सूची

क्रम सं.		अनुलग्नक सं.
1	वित्तीय परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण: 2011-2012 तथा (तिमाही एवं मासिक)	I क
	परिव्यय (गैर-योजना बजट, योजनागत बजट और पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन) को दर्शाने वाला विवरण (परिणामी बजट 2011-12)	I ख
2	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार बीओटी(पथकर) आधारित परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण	II
3	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार बीओटी (वार्षिकी) आधारित परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण	III
4	समेकित वास्तविक एवं वित्तीय परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण : 2009-10	IV
5	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन ठेकों का विवरण	V
6	वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्ण हो चुके/चार लेन बनाए खण्डों का विवरण	VI
7	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार बाह्य सहायता-प्राप्त (इएपी) परियोजनाओं का सारांश दर्शाने वाला विवरण	VII
8	वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण (31.12.2010 की स्थिति के अनुसार)	VIII
9	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर दक्षिण - पूर्व पश्चिम के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन ठेकों का विवरण	IX
10	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर दक्षिण - पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत पूर्ण/चार लेन खण्डों का विवरण	X

11	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार सौंपे जाने के लिए शेष लम्बाई (उत्तर दक्षिण - पूर्व पश्चिम कॉरीडोर) को दर्शाने वाला विवरण	XI
12	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन अन्य ठेकों को दर्शाने वाला विवरण	XII
13	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार पूर्ण हो चुकी अन्य परियोजनाओं में पूरे किये गए/चार लेन के बनाये जा चुके खण्डों को दर्शाने वाला विवरण	XIII
14	31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन पत्तन संपर्क परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण	XIV

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

वित्तीय परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण: 2011-12 (तिमाही और मासिक)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय)- 2011-12 (करोड़ रूपए)													लक्ष्य/ वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही 3			तिमाही 4			जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च							
1	एनएचडीपी चरण- I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	260.99			235.19			200.81			150.54			847.53	4 लेन और उससे अधिक चौडीकरण किए जाने के लिए लक्ष्य					
			65.25	91.35	104.40	94.08	70.56	70.56	70.28	70.28	60.24	45.16	45.16	60.22	847.53						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	पूरा किए जाने के लिए वास्तविक					
2	एनएचडीपी चरण- II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	1195.17			902.38			882.84			725.59			3705.99	4 लेन और उससे अधिक चौडीकरण किए जाने के लिए लक्ष्य					
			298.79	418.31	478.07	360.95	270.71	270.71	308.99	308.99	264.85	217.68	217.68	290.24	3705.98	पूरा किए जाने के लिए वास्तविक					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपे जाने के लिए लक्ष्य					

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय)- 2011-12 (करोड़ रूपए)													लक्ष्य/ वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही 3			तिमाही 4			जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च							
																सौंपे जाने के लिए वास्तविक					
3	**एनएचडीपी चरण- III** (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	**लक्ष्य**	6717.77			6510.91			7069.16			7170.62			27468.46	**4 लेन और उससे अधिक चौडीकरण किए जाने के लिए लक्ष्य**					
			1679.44	2351.22	2687.11	2604.36	1953.27	1953.27	2474.21	2474.21	2120.75	2151.19	2151.19	2868.25	27468.46	**पूरा किए जाने के लिए वास्तविक**					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	**सौंपे जाने के लिए लक्ष्य**					
																सौंपे जाने के लिए वास्तविक					
4	**एनएचडीपी चरण- IV** (पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण)	**लक्ष्य**	1195.50			1489.00			1410.50			1577.00			5672.00	**सौंपे जाने के लिए लक्ष्य**					
			298.88	418.43	478.20	595.60	446.70	446.70	493.68	493.68	423.15	473.10	473.10	630.80	5672.00	**सौंपे जाने के लिए वास्तविक**					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय)- 2011-12 (करोड़ रूपए)													लक्ष्य/ वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही 3			तिमाही 4			जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च							
5	एनएचडीपी चरण- V (स्वर्णिम चतुर्भुज और अन्य के चुनिंदा खंडों को 6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	2095.98			1716.74			2452.73			2831.54			9096.99	6 लेन और उससे अधिक चौडीकरण किए जाने के लिए लक्ष्य					
			524.00	733.59	838.39	686.70	515.02	515.02	858.46	858.46	735.82	849.46	849.46	1132.62	9096.99	पूरा किए जाने के लिए वास्तविक					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपे जाने के लिए लक्ष्य					
																सौंपे जाने के लिए वास्तविक					
6	एनएचडीपी चरण- VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास)	लक्ष्य	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	सौंपे जाने के लिए लक्ष्य					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
																सौंपे जाने के लिए वास्तविक					

7	**एनएचडीपी चरण- VII** (रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर, सर्विस रोड आदि)	**लक्ष्य**	90.48			104.98			120.47			148.07			464.00	**सौंपे जाने के लिए लक्ष्य**					
			22.62	31.67	36.19	41.99	31.49	31.49	42.16	42.16	36.14	44.42	44.42	59.23	464.00						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
																सौंपे जाने के लिए वास्तविक					
8	एसएआरडीपी-एनई	**लक्ष्य**	326.00			438.00			416.00			336.00			1516.00						
			81.50	114.10	130.40	175.20	131.40	131.40	145.60	145.60	124.80	100.80	100.80	134.40	1516.00						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
9	ब्याज के कारण देयताएं और ऋण/उधार का भुगतान तथा वार्षिकियों का भुगतान ।	**लक्ष्य**	984.82			984.82			984.83			984.83			3939.30	**लक्ष्य**					
			246.21	344.69	393.93	393.93	295.45	295.45	344.69	344.69	295.45	295.45	295.45	393.93	3939.30						
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
																वास्तविक					
जोड़		**लक्ष्य**	**12866.71**			**12382.02**			**13537.34**			**13924.19**			**52710.26**	**लक्ष्य (पूरा किए जाने के लिए)**					
		वास्तविक														**वास्तविक**					

अनुलग्नक । ख

परिव्यय (गैर योजना बजट, योजना बजट और पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन) को दर्शाने वाला विवरण (परिणामी बजट 2011-12)

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (प्रस्तावित)			गणनीय लक्ष्य /वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणी/जोखिम कारक
			4						
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट*	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन**				
1	एनएचडीपी चरण- I	स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग, महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क तथा कुछ अन्य परियोजनाओं से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना	300.00 [एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु]	निवेश (उपकर) - 8255.56 करोड़ रू. बाह्य सहायता - 0.00 करोड़ रू. आईईबीआर (54 ईसी बांड़स जारी किया जाना) - 7508.00 करोड़ रू.	0.00				
2	एनएचडीपी चरण- II	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग तथा कुछ अन्य परियोजनाओं से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना			1356.00				
3	एनएचडीपी चरण- III	बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाना			18747.00				
4	एनएचडीपी चरण- IV [अभी अनुमोदित नहीं]	राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना			4660.00				
5	एनएचडीपी चरण- V	डीबीएफओ आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की विद्यमान चार लेन की 6500 कि.मी. लंबाई को 6 लेन का बनाना			7643.00				

6	एनएचडीपी चरण- VI	डीबीएफओ आधार पर एक्सप्रेस मार्गों की 1000 कि.मी. लंबाई का निर्माण			0.00				
7	एनएचडीपी चरण- VII	रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर आदि			290.00				
8	एसएआरडीपी-एनई				670.00				

*विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए प्रस्तावित परिव्यय का उपयोग, एनएचडीपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत परियोजनाओं पर व्यय के लिए और ऋण की सर्विसिंग तथा अदायगी के लिए किया जाना है ।

** बी ओ टी (पथकर/वार्षिकी) परियोजनाओं के लिए अनुमानित व्यय राशि का वहन सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी क्षेत्र (रियायतग्राहियों) द्वारा किया जाना है ।

अनुलग्नक II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

बीओटी पथकर आधारित परियोजनाओं का सारांश

31 दिसंबर, 2010 तक की स्थिति के अनुसार

श्रेणी	सौंपे गए		कुल परियोजना लगत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	पूर्ण	
	ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में			ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में
एनएचडीपी चरण I	**9**	**454.1**	**3598**	**718.99 (19.98 %)**	**9**	**454.1**
स्वर्णिम चतुर्भुज	6	373.4	2679.35	739.79 (27.62%)	6	373.4
अन्य	3	80.7	918.65	-20.80 (-2.26%)	3	80.7
एनएचडीपी चरण II	**19**	**992.66**	**8109.77**	**631.82 (7.790%)**	**14**	**713.83**
उत्तर-दक्षिण - पूर्व-पश्चिम	16	787.44	6849.77	683.916 (9.98 %)	11	508.63
अन्य	3	205.217	1260	-52.1 (-4.13%)	3	205.217
एनएचडीपी चरण III	**77**	**6556.38**	**53634.05**	**9940.38 (18.53%)**	**12**	**666.48**
एनएचडीपी चरण IV	**4**	**589**	**1639.01**	**501.51 (30.60%)**	**-**	**-**
एनएचडीपी चरण V	**19**	**2300.35**	**21390.28**	**242.80 (1.14%)**	**3**	**152.7**
एनएचडीपी चरण VII	**2**	**41**	**2335**	**560.6 (24.00)**	-	-
जोड़	**130**	**10933.49**	**90706.11**	**12596.10 (13.89%)**	**38**	**1987.11**
स.प.रा. मंत्रालय	**3**	**83.4**			**2**	**30**

अनुलग्नक III

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

बीओटी वार्षिकी आधारित परियोजनाओं का सारांश

31 दिसंबर, 2010 तक की स्थिति के अनुसार

श्रेणी	सौंपे गए		कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	वार्षिकी (करोड़ रूपए)	पूर्ण	
	ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में			ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में
एनएचडीपी चरण I	8	475.57	2353.57	288 (12.23 %)	8	476
स्वर्णिम चतुर्भुज	7	382.57	1979	246 (12.43%)	7	383
अन्य	1	93	375	42 (11.2%)	1	93
एनएचडीपी चरण II उत्तर-दक्षिण - पूर्व-पश्चिम	20	1029.65	13912.37	1501.6 (10.668%)	7	436
एनएचडीपी चरण III	11	740.9	4559.88	450.03 (9.869%)	1	36
एनएचडीपी चरण IV	1	176.3	2498.76	290.8 (11.63%)	-	-
एसएआरडीपी-एनई	2	111.80	762.00	97.38 (12.78%)	-	-
जोड़	**42**	**2534.22**	**24086.58**	**2627.81 (10.90%)**	**16**	**948**

अनुलग्नक IV

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

समेकित वास्तविक व वित्तीय परिव्यय और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : 2009-10

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय) - 2009-10 (करोड़ रूपए)					लक्ष्य / वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.)				
				तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
1	एनएचडीपी चरण-I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और संबंधित कार्यक्रम	लक्ष्य	484.35	435.20	310.97	322.80	1553.32	पूरा करने हेतु लक्ष्य	49.37	3.62	53	94.83	200.82
			वास्तविक	193.97	346.47	234.13	324.28	1098.85	पूरा करने हेतु वास्तविक	36.44	8.91	29.28	64.79	139.42
2	एनएचडीपी चरण-II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और संबंधित कार्यक्रम	लक्ष्य	2775.60	2295.30	2492.14	2804.73	10367.77	पूरा करने हेतु लक्ष्य	596.93	299.05	413.06	476.51	1785.55
									पूरा करने हेतु वास्तविक	363.48	490.34	381.3	398.87	1633.99
			वास्तविक	2124.26	1843.76	2233.10	2767.71	8968.83	सौंपने हेतु लक्ष्य	60	0	235	27	322
									सौंपने हेतु वास्तविक	59	95	0	55	209
3	एनएचडीपी चरण-III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)		लक्ष्य	1854.95	1924.16	2622.00	2869.87	9270.98	पूरा करने हेतु लक्ष्य	255.26	152.1	284.96	410.44	1102.76
									पूरा करने हेतु वास्तविक	103.5	91.81	208	389.91	793.22

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	परिव्यय (अनुमानित व्यय) - 2009-10 (करोड़ रूपए)					लक्ष्य / वास्तविक	गणनीय लक्ष्य (कि.मी.)				
				तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
			वास्तविक	1046.17	1311.48	784.11	2613.71	5755.47	सौंपने हेतु लक्ष्य	1030	2941	1510	910	6391
									सौंपने हेतु वास्तविक	264	519	914	1040.66	2737.66
4	एनएचडीपी चरण-IV (पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण)	बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	लक्ष्य	32.51	32.50	32.51	32.50	130.02	सौंपने हेतु लक्ष्य	0	0	0	0	0
			वास्तविक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सौंपने हेतु वास्तविक	0	0	0	0	0
5	एनएचडीपी चरण-V (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा अन्य से संबंधित चुनिंदा खंडों को 6 लेन का बनाना)	बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	लक्ष्य	1068.91	1629.36	2098.26	2214.03	7010.56	सौंपने हेतु लक्ष्य	439	794.99	1121	702	3057.35
			वास्तविक	254.96	176.84	13.86	2071.24	2516.90	सौंपने हेतु वास्तविक	0	0	0	389.86	389.86

6	एनएचडीपी चरण- VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास)	बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	लक्ष्य	75.75	105.76	135.75	85.76	403.02	सौंपने हेतु लक्ष्य	0	0	0	0	0
			वास्तविक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सौंपने हेतु वास्तविक	0	0	0	0	0
7	एनएचडीपी चरण- VII (रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर, सर्विस रोड आदि)	बीओटी (पथकर)/ बीओटी (वार्षिकी)/ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	लक्ष्य	152.00	207.00	443.00	397.00	1199.00	सौंपने हेतु लक्ष्य				30	30
			वास्तविक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सौंपने हेतु वास्तविक				22.12	22.12
8	ब्याज के कारण देयताएं और ऋण/ उधार चुकता करना तथा वार्षिकियों का भुगतान ।		लक्ष्य	144.00	1644.00	144.00	167.00	2099.00	लक्ष्य	लागू नहीं				
			वास्तविक	144.89	1525.47	156.27	567.67	2394.30	वास्तविक					

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन ठेकों का विवरण

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा किए जाने की तारीख	पूरा करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	वित्त पोषण	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
1	हरिहर - चित्रदुर्ग	4	77	अक्टूबर-08	जून-10	मार्च -2011	100.00	41.00	भाराराप्रा	207.56	207.56	71.35	41.1	112.45	गैमन इंडिया लि.
2	हावेरी - हरिहर	4	56	नवंबर-08	जुलाई-10	मार्च -2011	100.00	46.15	भाराराप्रा	196.65	196.65	67.03	35.48	102.51	गैमन इंडिया लि.
3	गंजम - इच्छापुरम (ओआर-VIII)	5	50.8	जुलाई - 2006	नवंबर -2008	अप्रैल -2011	100.00	65.01	भाराराप्रा	263.27	242.76	201.38	30.12	231.5	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. - आरके-एसडी (सं.उ.)
4	सुनाखला - गंजम (ओआर-VII)	5	55.713	अक्टूबर -2009	अक्टूबर -2011	अक्टूबर -2011	56.79	15.36	भाराराप्रा	241.53	231.28	0	35.45	35.45	केएनआर कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि.
5	भुवनेश्वर - खुर्दा (ओआर-I)	5	27.15	जनवरी -2001	जनवरी -2004	जनवरी -2011	100.00	99.26	भाराराप्रा	140.85	118.9	149.17	3.91	153.08	गैमन इंडिया लि. - अटलांटा
6	बालासोर - भद्रक (ओआर-III)	5	62.64	दिसंबर -2008	दिसंबर -2010	मार्च -2011	100.00	52.94	भाराराप्रा	228.7	241.3	0.41	120.65	121.06	बीबीईएल - एमआईपीएल (सं.उ.)
7	आगरा-बादशिकोहा (जीटीआरआईपी/I-ए)	2	50.83	मार्च - 2002	मार्च -2005	मार्च -2011	100.00	99.00	वि.बै.	367.49	328.49	418.88	34.8	453.68	ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा0 लि.-गैमन इंडिया लि. (सं.उ.)
8	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III)	6	1.732	समाप्त					भाराराप्रा	81	67	80.2	0	80.2	भागीरथ इंजी. लि. भारतीय

अनुलग्नक VI

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज के पूर्ण हो चुके/4 लेन बनाए गए खंडों का विवरण

क्र.सं.	खंड	किमी से - तक	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
1	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/II-सी)	किमी 38 - किमी 115	2	77	वि.बैं.	मार्च-2001	सितंबर-2010	उत्तर प्रदेश
2	तुमकुर बाइपास	किमी 75 - किमी 62	4	13	भाराराप्रा	जून - 2009	दिसंबर-2010	कर्नाटक
3	चित्रदुर्ग बाइपास	किमी 207 - किमी 189	4	18	भाराराप्रा	अप्रैल-2007	दिसंबर - 2010	कर्नाटक
4	गोरहर-बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	किमी 320 - किमी 398.75	2	78.75	वि.बैं.	सितंबर-2001	सितंबर-2010	झारखंड
5	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	किमी 317 - 329(0) किमी 0 - किमी 65	2	76	वि.बैं.	मार्च - 2002	सितंबर-2010	उत्तर प्रदेश [55]/बिहार[21]
6	इलाहाबाद बाइपास ठेका -III	किमी 198 किमी - किमी 242.708	2	44.708	वि.बैं.	नवबर - 2004	दिसंबर - 2009	उत्तर प्रदेश
7	इलाहाबाद बाइपास ठेका -II	किमी 158 किमी - किमी 198	2	38.987	वि.बैं.	जून-2004	दिसंबर - 2009	उत्तर प्रदेश

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

ईएपी परियोजनाओं का सारांश

31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार

श्रेणी	सौंपे गए		सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	पूर्ण	
	ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में		ठेकों की संख्या	लंबाई किमी में
विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएं					
एनएचडीपी चरण I	18	983	5538	17	932
स्वर्णिम चतुर्भुज	18	983	5538	17	932
अन्य	-	-	-	-	-
एनएचडीपी चरण II (ईडब्ल्यू कॉरिडोर)	12	482	3208	-	-
उप-जोड़ (क)	**30**	**1465**	**8746**	**17**	**932**
एडीबी द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएं					
एनएचडीपी चरण I	10	615	1866	10	615
स्वर्णिम चतुर्भुज	9	567	1807	9	567
अन्य	1	48	59	1	48
एनएचडीपी चरण II (एनएस और ईडब्ल्यू कॉरिडोर)	31	1636	7565	18	1018
उप -जोड़ (ख)	**41**	**2251**	**9431**	**26**	**1633**
जेबीआईसी द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएं					
एनएचडीपी चरण I	7	150	634	7	150
स्वर्णिम चतुर्भुज	5	111	333	5	111
अन्य	2	39	301	2	39
उप-जोड़ (ग)	**7**	**150**	**634**	**7**	**150**
कुल -जोड़ (क+ख+ग)	**78**	**3866**	**18811**	**52**	**2715**

अनुलग्नक VIII

वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान तिमाही वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य

(परिणामी बजट 2010-11 : दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु.)					अनुमानित परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	वास्तविक लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
1	एनएचडीपी चरण - I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	189.39	163.40	146.17	122.04	621.00	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा संबंधित कार्यक्रम	4 और उससे अधिक लेन में चौड़ीकरण हेतु लक्ष्य *	42.86	6.03	25.03	20.26	94.18
		वास्तविक	380.06	237.63	614.93	0.00	1232.62		पूरा करने हेतु वास्तविक	24.79	8.92	20.74		54.45
2	एनएचडीपी चरण - II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	2112.50	1751.77	1835.23	1841.50	7541.00	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा संबंधित कार्यक्रम	4 और उससे अधिक लेन में चौड़ीकरण हेतु लक्ष्य *	342.24	33.92	268.47	498.11	1142.74
									पूरा करने हेतु वास्तविक	200.15	85.35	184.79		470.29

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु.)					अनुमानित परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	वास्तविक लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
									पूरा करने हेतु वास्तविक					0
		वास्तविक	1637.29	1359.84	4421.84	0.00	1064.71		सौंपने हेतु लक्ष्य	222	0	0		222
									सौंपने हेतु वास्तविक	92	67.76	0		159.76
3	एनएचडीपी चरण - III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन का बनाया जाना)	लक्ष्य	3657.74	3387.20	3688.46	4363.60	15097.00	बी ओ टी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	4 और उससे अधिक लेन में चौड़ीकरण हेतु लक्ष्य	301.81	91.93	128.33	462.61	984.68
									पूरा करने हेतु वास्तविक	197.33	73.09	117.04		387.46
		वास्तविक	1081.92	1484.20	5187.89	0.00	1064.71		सौंपने हेतु लक्ष्य	2222	923	0		3145
									सौंपने हेतु वास्तविक	1436	291	213		1940

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु.)					अनुमानित परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	वास्तविक लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
4	एनएचडीपी चरण-IV (पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण)	लक्ष्य	136.00	254.00	402.00	531.00	1323.00	बी ओ टी (पथकर) और बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	सौंपने हेतु लक्ष्य	841	0	0	1929	2770
		वास्तविक			3.49	0.00	3.49		सौंपने हेतु वास्तविक	176.3	0	588.7	0	765
5	एनएचडीपी चरण-V (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा अन्य से संबंधित चुनिंदा खंडों को 6 लेन का बनाना)	लक्ष्य	1795.80	1795.06	2244.86	2596.28	8432.00	बी ओ टी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	4 और उससे अधिक लेन में चौड़ीकरण हेतु लक्ष्य *	78	50.6	64.8	85.00	278.40
									पूरा करने हेतु वास्तविक	86.66	1.12	140.72	0.00	228.50
		वास्तविक	867.27	339.55	2475.14	0.00	1064.71		सौंपने हेतु लक्ष्य	0	0	1316	1265.00	2581.00

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु.)					अनुमानित परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	वास्तविक लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
									सौंपने हेतु वास्तविक	876	0	0	0.00	876.00
बी ओ टी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	सौंपने हेतु लक्ष्य	लक्ष्य	168.00	233.00	272.00	299.00	972.00			0	0	0		0.00
	सौंपने हेतु वास्तविक	वास्तविक	0.00	2.15	0.00	0.00	2.15			0	0	0		0.00
बी ओ टी - पथकर/बी ओ टी- वार्षिकी/ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	सौंपने हेतु लक्ष्य	लक्ष्य	18.75	24.76	33.51	37.98	115.00			0	0	0		0.00
	सौंपने हेतु वास्तविक	वास्तविक	0.00	0.00	0.00		0.00			0	0	0		0.00
	सौंपने हेतु लक्ष्य	लक्ष्य	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00			0	0	145	137.00	282.00

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु.)					अनुमानित परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	वास्तविक लक्ष्य (कि.मी.)				
			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़			तिमाही1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	जोड़
	सौंपने हेतु वास्तविक	वास्तविक	201.52	381.67	11.61	0.00	594.80			112	0	0	0.00	112.00
9	ब्याज के कारण देयताएं और ऋण/ उधार चुकता करना तथा वार्षिकियों का भुगतान ।	लक्ष्य	605.76	605.76	605.76	605.76	2423.04		लक्ष्य	लागू नहीं				
		वास्तविक	206.09	43.75	814.87	0.00	1064.71		वास्तविक					

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण महामार्ग के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन ठेकों का विवरण

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
पूर्व-पश्चिम, महामार्ग															
1	मैबंग से लुमडिंग (एएस-27)	54	21	अक्तूबर-2006	अप्रैल-2009	दिसंबर-2011	67.82	13.84	भाराराप्रा	200	198.68	61.4	7.41	68.81	गायत्री - ईसीआई (संउ)
2	सिलिगुडी से इसलामपुर (डब्ल्यूबी-7)	31	26	जनवरी-2006	जुलाई-2008	अगस्त-2011	100.00	58.59	भाराराप्रा	225	211.07	155.2	17.72	172.92	इरकॉन इंटरनेशनल लि..
3	गुवाहाटी - नलबारी (एएस4-)	31	28	दिसंबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2012	100.00	25.06	भाराराप्रा	175.96	173.62	54.47	44.92	99.39	पुंज लॉयड लि.
4	गुवाहाटी - नलबारी (एएस-5)	31	28	अक्तूबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2012	100.00	55.58	भाराराप्रा	198.16	192.87	86.08	62.39	148.47	पुंज लॉयड लि.
5	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44	अक्तूबर-2005	अक्तूबर-2008	जून-2011	69.00	66.75	वि.बैं.	227	266.06	218.04	77.12	295.16	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
6	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4)	28	29	नवंबर-2005	नवंबर-2008	मार्च-2011	94.00	96.00	वि.बैं.	205	255.21	264.37	67.52	331.89	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
7	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	28	41.925	नवंबर-2005	नवंबर-2008	मार्च-2011	100.00	99.60	वि.बैं.	212	249.95	292.12	88.46	380.58	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
8	सिलचर-उदरबंद (एएस-1)	54	32	सितंबर-2004	सितंबर-2007	मार्च-2011	100.00	57.15	भाराराप्रा	154.57	115.86	130.8	16.05	146.85	पुंज लॉयड लि.
9	हरंगजो से मैबंग (एएस-21)	54	26	जनवरी-2007	जुलाई-2009	दिसंबर-2013	100.00	2.84	भाराराप्रा	212	253.08	34.11	3.92	38.03	कोंटिनेंटल इंजी. कार्पोरेशन

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
10	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2)	28	47	अक्तूबर-2005	अक्तूबर-2008	मार्च-2011	100.00	99.86	वि.बैं.	217	212.33	287.68	52.01	339.69	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
11	हरंगजो से मैबंग (एएस-23)	54	16	अगस्त-2006	फरवरी-2009	दिसंबर-2011	100.00	43.71	भाराराप्रा	280	317.11	122.68	65.99	188.67	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
12	बिजनी - असम / पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	31 सी	30	नवंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	100.00	33.37	भाराराप्रा	195	199.41	88.52	38.31	126.83	जीपीएल-ईसीआई (संउ)
13	लंका से दबोका (एएस-16)	54	24	दिसंबर-2005	जून-2008	मार्च-2011	100.00	94.52	भाराराप्रा	225	198.65	177.44	34.95	212.39	पुंज लॉयड लि.
14	मैबंग से लुमडिंग (एएस-26)	54	23	मई-2006	नवंबर-2008	दिसंबर-2013	64.58	6.58	भाराराप्रा	167.64	179.25	39.49	1.19	40.68	गैमन इंडिया लि.
15	मैबंग से लुमडिंग (एएस-25)	54	28	#	#	#	#	#	भाराराप्रा	385.13	372.64	28.1	1.41	29.51	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
16	मैबंग से लुमडिंग (एएस-24)	54	15	#	#	#	#	#	भाराराप्रा	280.13	225.33	28.09	1	29.09	एन.के.सी. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
17	लुमडिंग - दबोका (एएस-15)	54	18.5	फरवरी-2008	अगस्त-2010	दिसंबर-2011	100.00	52.09	भाराराप्रा	130	143.97	65.76	36.94	102.7	पटेल - केएनआर (संउ)
18	धर्मतुल - सोनापुर (एएस-19)	37	25	दिसंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	95.28	63.00	भाराराप्रा	200	173.15	131.07	28.21	159.28	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
19	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	37	19	सितंबर-2005	जून-2009	दिसंबर-2011	100.00	44.00	भाराराप्रा	245	166.71	227.18	42.63	269.81	माहेश्वरी ब्रदर्स लि.-टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि.
20	नगांव बाइपास (एएस-18)	37	23	दिसंबर-2005	जून-2008	अप्रैल-2011	100.00	98.36	भाराराप्रा	230	238.72	264.23	35.22	299.45	पटेल - केएनआर (संउ)
21	नगांव से धर्मातुल (एएस-2)	37	25	दिसंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	100.00	63.39	भाराराप्रा	264.72	273.8	166.99	36.18	203.17	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.
22	हरंगजो से मैबंग (एएस-22)	54	24	जनवरी-2007	जुलाई-2009	दिसंबर-2013	100.00	0.10	भाराराप्रा	196	241.53	23.53	4.01	27.54	कॉटिनेंटल इंजी. कार्पोरेशन
23	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-9)	57	37.75	जनवरी-2006	जून-2008	जनवरी-2011	100.00	98.00	भाराराप्रा	291.8	323	376.35	63.51	439.86	बी. सीनैय्या एंड कंपनी (प्रोजेक्ट्स) लि. - सी एंड सी (संउ)
24	गंगा पुल से रामा देवी क्रासिंग (यूपी-6)	25	5.6	दिसंबर-2005	सितंबर-2008	जून-2011	100.00	33.70	भाराराप्रा	201.66	159.06	53.32	17.7	71.02	गैमन इंडिया लि.
25	पूर्णिया -गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर)	31	28	सितंबर-2001	सितंबर-2004	मार्च-2011	100.00	98.00	भाराराप्रा	205.73	176.11	241.1	6.1	247.2	लैंको कंस्ट्रक्शन लि. - रानी (संउ)
26	लखनऊ बाइपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56ए और बी	22.85	मार्च-2009	अगस्त-2010	मार्च-2011	19.10	46.00	भाराराप्रा	111.78	111.78	0.59	44.45	45.04	एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
27	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3)	57	34.87	अप्रैल-2006	सितंबर-2008	जून-2011	80.00	53.10	भाराराप्रा	332.94	356.51	147.14	87.79	234.93	गैमन इंडिया लि.

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
28	कोटवा - देवापुर (एलएमएनएचपी-10)	28	38	नवंबर-2005	नवंबर-2008	मार्च-2011	100.00	60.50	वि.बैं.	240	263.97	166.62	53.09	219.71	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. - एमवीआर (सं.उ.)
29	देवापुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	28	41.085	नवंबर-2005	अक्तूबर-2008	जून-2012	21.00	21.50	वि.बैं.	300	357.14	133.5	2.06	135.56	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.
30	सिमराही - रिंग बंध (मिसिंग लिंक) (बीआर-4)	57	15.15	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	जून-2011	93.00	86.57	भाराराप्रा	100.5	115.56	170.85	22.36	193.21	सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
31	पहुँचमार्ग और गाइडबंध तथा एफलक्स बंध सहित कोसी पुल (बीआर-5)	57	10.63	अप्रैल-2007	अप्रैल-2010	जून-2011	97.57	71.24	वार्षिकी	418.04	31.9	229.24	30.74	259.98	गैमन इंडिया लि. - जीआईपीएल कंर्सोशियम
32	रिंग बंध - झंझारपुर (बीआर-6)	57	38.55	जनवरी-2006	जून-2008	मार्च-2011	100.00	90.40	भाराराप्रा	340	383.42	413.08	91.46	504.54	बीएससीपीएल - सीएंडसी (सं.उ.)
33	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	28	44.86	अक्तूबर-2005	अक्तूबर-2008	फरवरी-2011	93.00	99.80	वि.बैं.	239	262.6	339.95	56.25	396.2	बी. सीनैय्या एंड कंपनी (प्रोजेक्ट्स) लि.
34	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-8)	57	32.05	जनवरी-2006	जून-2008	नवंबर-2011	100.00	98.90	भाराराप्रा	305	335.29	367.15	114.11	481.26	बी. सीनैय्या एंड कंपनी (प्रोजेक्ट्स) लि.-सी एंड सी (सं.उ.)
35	बिजनी - असम / पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	31 सी	30	नवंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	89.36	46.55	भाराराप्रा	230	218.37	98.69	52.06	150.75	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
36	मुजफ्फरपुर -मेहसी (एलएमएनएचपी-12)	28	40	सितंबर-2005	सितंबर-2008	मार्च-2011	100.00	75.00	वि.बैं.	275	311.13	229.19	87.17	316.36	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-एमवीआर (सं.उ.)
37	मेहसी - कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	28	40	सितंबर-2005	सितंबर-2008	मार्च-2011	100.00	65.00	वि.बैं.	239	318.77	195.53	91.54	287.07	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.
38	नलबारी - बिजनी (एएस-6)	31	25	नवंबर-2005	जून-2009	दिसंबर-2011	100.00	54.95	भाराराप्रा	225	182.48	117.45	36.9	154.35	दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल-इन्फ्राकॉन प्रा0 लि. - बनवारी लाल अग्रवाल प्रा0 लि. - ब्रह्मपुत्र कंसोर्शियम लि.
39	नलबारी - बिजनी (एएस-7)	31	27.3	अक्तूबर-2005	अप्रैल-2008	दिसंबर-2011	100.00	46.78	भाराराप्रा	208	207.17	116.31	57.24	173.55	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.
40	नलबारी - बिजनी (एएस-8)	31	30	दिसंबर-2005	जून-2008	मार्च-2011	100.00	82.30	भाराराप्रा	200	187.07	167.08	32.32	199.4	पुंज लॉयड लि.
41	नलबारी - बिजनी (एएस-9)	31	21.5	दिसंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	100.00	80.73	भाराराप्रा	142	131.22	124.79	29.58	154.37	पुंज लॉयड लि.
42	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28)	31	5	अक्तूबर-2006	अप्रैल-2010	मार्च-2012	75.00	32.46	भाराराप्रा	217.61	238.34	63.87	13.71	77.58	गैमन इंडिया लि.
43	बिजनी - असम / पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10)	31 सी	33	नवंबर-2005	जून-2008	दिसंबर-2011	100.00	39.46	भाराराप्रा	237.8	248.69	98.64	36.33	134.97	जीपीएल-ईसीआई (संउ)
44	धर्मतुल - सोनापुर (एएस-20)	37	22	नवंबर-2005	मई-2008	दिसंबर-2011	79.97	38.90	भाराराप्रा	160	137.75	54.05	36.53	90.58	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
45	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7)	57	37.59	अप्रैल-2006	सितंबर-2008	दिसंबर-2011	100.00	57.72	भाराराप्रा	340	388.23	254.18	112.88	367.06	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.
46	उरई से झांसी (यूपी-4)	25	68.2	अक्तूबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2011	100.00	90.05	एडीबी	451.97	414.88	436.32	89.86	526.18	सनवे कंस्ट्रक्शन लि.
47	दबोका -नगांव (एएस-17)	36	30.5	दिसंबर-2005	जून-2008	अक्तूबर-2011	100.00	80.80	भाराराप्रा	225	202.18	170.65	52.31	222.96	मेयतास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
48	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	28	36	अक्तूबर-2005	अक्तूबर-2008	मार्च-2011	100.00	96.61	वि.बैं.	193	198.06	262.59	44.59	307.18	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
49	बारा से उरई	2, 25	62.8	अक्तूबर-2006	अप्रैल-2009	मार्च-2011	100.00	91.80	वार्षिकी	465	44.82	30.89	576.93	607.82	एनसीसी - केएमसी कंसोर्शियम
50	लखनऊ - कानपुर (ईडब्ल्यू/3बी)	25	16	फरवरी-2010	अगस्त-2011	अगस्त-2011	#	27.00	भाराराप्रा	54		0.93	10.41	11.34	नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लि.
51	चम्बल पुल (आरजे-5)	76	1.4	नवंबर-2006	फरवरी-2010	मार्च-2012	78.06	59.26	भाराराप्रा	281.31	213.59	176.71	1.27	177.98	हुदंई इंजी. कंस्ट्र. कं.लि. - मै0 गैमन इंडिया लि.
52	उरई से झांसी (यूपी-5)	25	50	सितंबर-2005	मार्च-2008	मार्च-2011	100.00	75.27	एडीबी	340.68	302.97	236.56	76.95	313.51	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
53	झांसी बाइपास (यूपी-3)	25	15	नवंबर-2005	मई-2008	मार्च-2011	100.00	97.00	एडीबी	158.06	115.24	148.72	14.64	163.36	ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा0 लि.

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तारीख	करार के अनुसार पूरा करने की तारीख	पूर्ण करने की अनुमानित तारीख	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	किस द्वारा वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए)	सौंपी गई लागत (करोड़ रूपए)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार का नाम
54	गगोधर - गारामोड (पैकेज-IV)	15, 8ए	90.3	फरवरी-2005	नवंबर-2007	मार्च-2011	100.00	93.50	एडीबी	479.54	339.02	423.5	1.56	425.06	डेलिम इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि. - नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि. (सं.उ.)
55	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.115	दिसंबर-2005	दिसंबर-2008	जून-2011	100.00	81.70	वि.बैं.	227	259.77	269.08	59.14	328.22	सिंप्लेक्स
56	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40	दिसंबर-2005	दिसंबर-2008	मई-2011	100.00	80.30	वि.बैं.	242	253.12	297.41	41.2	338.61	एनसीसी - वीईई (संउ)
57	गोरखपुर बाइपास	28	32.6	अप्रैल-2007	अक्तूबर-2009	जून-2011	100.00	66.50	वार्षिकी	600.24	48.6	437.37	142.48	579.85	गैमन इंडिया लि. जीआईपीएल - एटीएसएल कंर्सोशियम
58	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकट्टा (डब्ल्यूबी-1)	31 सी	32	जून-2006	नवंबर-2008	अगस्त-2011	100.00	61.30	भाराराप्रा	221.82	228.43	167.23	27.9	195.13	इटेलियन थाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कं.लि.
59	कोटा बाइपास (आरजे-4)	76	26.42	मई-2006	नवंबर-2008	फरवरी-2011	100.00	96.00	भाराराप्रा	250.39	205.51	207.07	58.83	265.9	आईटीडी सीमा इंडिया (सं.उ.)

उत्तर दक्षिण महामार्ग

61	पठानकोट- जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जे एंड के)	1ए	19.65	नवंबर-2005	मई-2008	जून-2011	100.00	56.55	भाराराप्रा	97.73	90.11	153.64	37.09	190.73	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग
62	ललितपुर- सागर (एडीबी-II/सी-4)	26	55	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	मार्च-2011	100.00	85.07	एडीबी	225	171.463	178.02	41.3	219.32	आईजेएम कार्पोरेशन
63	हरियाणा /दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक को 8 लेन बनाया जाना (एनएस-18/डीएल)	1	12.9	जून-2009	सितंबर-2010	मार्च-2011	100.00	75.00	भाराराप्रा	87.89	84.33	4.22	42.8	47.02	कुंदु-एमजी (सं.उ.)
64	सागर बाइपास (एडीबी-II/सी-5)	26	26	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	नवंबर-2011	100.00	84.86	एडीबी	151.3	116.073	103.95	37.03	140.98	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
65	जम्मू -कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जे एंड के	1ए	15	नवंबर-2005	मई-2008	मार्च-2011	100.00	77.93	भाराराप्रा	85.34	74.87	67.35	18.1	85.45	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग
66	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	25, 26	49.7	मार्च-2007	सितंबर-2009	मार्च-2011	100.00	81.27	वार्षिकी	355.06	29.95	242.4	51.71	294.11	गायत्री - आईडीएफसी कंर्सोशियम
67	लखनदोन-एमपी/एमएच सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	7	49.35	मार्च-2007	सितंबर-2009	अक्तूबर-2012	100.00	81.27	वार्षिकी	263.17	22.42	232.35	0.06	232.41	नवभारत-फेरो अलॉयज लि. (मालक्ष्मी हाइवेज प्रा.लि.)
68	विजयपुर - पठानकोट (एनएस-35/जे एंड के)	1ए	30	सितंबर-2005	फरवरी-2008	जून-2011	100.00	72.72	भाराराप्रा	193.1	158.08	83.56	37.34	120.9	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.
69	ललितपुर सागर(एडीबी-।।/सी-3)	26	38	मई-2006	नवंबर-2008	मार्च-2011	100.00	71.00	एडीबी	198	140.387	110.92	41.25	152.17	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि.

70	पठानकोट- भोगपुर (एनएस-37/पीबी)	1ए	40	नवंबर-2005	मई-2008	जून-2011	100.00	62.31	भाराराप्रा	284	286.7	290.99	21.76	312.75	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.
71	पठानकोट- भोगपुर (एनएस-38/पीबी)	1ए	44	फरवरी-2010	अगस्त-2012	अगस्त-2012	23.98	13.56	भाराराप्रा	359		8.72	55.09	63.81	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
72	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	26	49.3	मार्च-2007	सितंबर-2009	मार्च-2011	100.00	84.00	वार्षिकी	276.09	23.95	184.58	110	294.58	गायत्री - आईडीएफसी कंर्सोशियम
73	बोरखेडी-जाम (एनएस-22/एमएच)	7	27.4	जून-2005	दिसंबर-2007	मार्च-2011	100.00	97.12	भाराराप्रा	110	89.39	106.18	4.02	110.2	जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि. - केतन कंस्ट्रक्शन लि.
74	गुंडला पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)	7	23.1	दिसंबर-2005	दिसंबर-2006	जनवरी-2011	100.00	90.00	भाराराप्रा	71.57	60.35	112.7	5.39	118.09	एम.बी.पटेल कंस्ट्रक्शन लि.
75	केलापुर -पिम्पलखट्टी (एनएस-62)	7	22	समाप्त					भाराराप्रा	117.4	92.59	36.31	0.26	36.57	देवी एंटरप्राइजेज लि.
76	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/एमएच)	7	29	समाप्त					भाराराप्रा	145	105.27	29.04	0	29.04	एचएससीएल - एसआईपीएल (सं.उ.)
77	विजयपुर - पठानकोट (एनएस-34/जे एंड के)	1ए	33.65	सितंबर-2005	फरवरी-2008	जून-2011	100.00	75.00	भाराराप्रा	166.3	151.36	111.57	42.09	153.66	आईटीडी सीमेंटेशन (आई) लि.
78	बूटीबोरी आरओबी (एनएस-29/एमएच)	7	1.8	जून-2005	दिसंबर-2006	फरवरी-2011	100.00	89.97	भाराराप्रा	26	24.268	27.13	3.5	30.63	जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि.
79	चेनानी से नसरी	1ए	12	जून-2010	जून-2015	जुलाई-2015	#	#	वार्षिकी	2159	317.52	0	0	0	आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि.

80	राजमार्ग चौराहा - लखनादोन (एडीबी-II/सी-9)	26	54.7	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	जून-2011	100.00	60.26	एडीबी	229.91	203.504	150.25	0	150.25	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
81	वडक्कनचेरी - त्रिशुर खंड को 6 लेन का बनाना	47	30	फरवरी-2010	अगस्त-2012	अगस्त-2012	#	#	बीओटी	617	243.99	0	0	0	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. सीआर18जी कंर्सोशियम
82	अरमूर-कडलूर येल्लारेड्डी (एनएस-2/एपी-1) (अनुमोदित लांबाई 60.25)	7	59	#	फरवरी-2012	फरवरी-2012	#	#	बीओटी	390.56	112.6	16.05	193.62	209.67	नवयुग केपीसीएल कंर्सोशियम
83	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जे एंड के)	1ए	17.2	जनवरी-2002	दिसंबर-2004	मार्च-2011	100.00	99.00	भाराराप्रा	110	83.88	142.22	5.89	148.11	सीमा सड़क संगठन
84	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-10)	7	40.35	मार्च-2007	अगस्त-2009	जनवरी-2011	100.00	96.71	एडीबी	194.8	167.39	159.3	20.42	179.72	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)
85	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11)	7	42.4	मार्च-2007	अगस्त-2009	जनवरी-2011	100.00	97.69	एडीबी	208.46	174.81	176.72	21.12	197.84	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)
86	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-12)	7	42.6	मार्च-2007	सितंबर-2009	जनवरी-2011	100.00	96.00	एडीबी	239.19	213.45	206.16	18.63	224.79	कोंटिनेंटल इंजी. कार्पोरेशन
87	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1ए	1.23	जून-2006	दिसंबर-2008	जुलाई-2011	100.00	70.00	भाराराप्रा	62.96	62.96	0	17.98	17.98	वलेचा इंजीनियरिंग लि.
88	त्रिशुर से अंगमाली (केएल-I)	47	40	सितंबर-2006	मार्च-2009	जनवरी-2011	100.00	83.50	बीओटी	312.5	-84.4	477.03	98.14	575.17	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. - एसआरईआई (संउ) [गुरुवायुर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि.]
89	श्रीनगर से बनीहाल	1ए	67.76	#	#	#	#	#	वार्षिकी	1100.7	134.82	0	0	0	रैमकी इन्फ्रा एंड जेपीटीईजी
90	जाम-वाडनेर (एनएस-59/एमएच)	7	30	अक्तूबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2011	100.00	83.89	भाराराप्रा	145	117	77.62	19.09	96.71	आइडियल रोड बिल्डर्स प्रा0 लि.

91	नए आगरा बाइपास को चार लेन का बनाना (एनएस-1/यूपी-1)	2,3	32.8	अक्तूबर-2007	अक्तूबर-2010	जून-2013	50.82	3.31	भाराराप्रा	348.16	326.7	107.79	1.59	109.38	जेएमसी प्रोजेक्ट्स - सदभाव (सं.उ.)
92	ग्वालियर-झांसी	75	80	जून-2007	दिसंबर-2009	जून-2011	99.94	67.65	वार्षिकी	604	52.29	252.52	143.09	395.61	डीएससी-अपोलो कंर्सोशियम
93	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	75, 3	42	अप्रैल-2007	अक्तूबर-2009	मार्च-2011	100.00	89.08	वार्षिकी	300.93	26.53	231.89	53.63	285.52	रैमकी - इरा - श्रीराम कंर्सोशियम
94	सागर- राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	26	44	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसंबर-2011	100.00	67.29	एडीबी	203.43	163.87	108.1	51.4	159.5	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
95	राजमार्ग चौराहा - लखनादोन (एडीबी-II/सी-8)	26	54	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	जून-2011	100.00	60.70	एडीबी	251.03	219.01	205.56	0	205.56	शांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि.
96	लखनादोन-एमपी/एमएच सीमा (एनएस-1/ बीओटी/एमपी-3)	7	56.475	दिसंबर-2007	जून-2010	अक्तूबर-2012	100.00	49.10	वार्षिकी	407.6	35.4	181.38	0.9	182.28	सदभाव - एसआरईआई (सं.उ.)
97	धोलपुर - मुरेना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/आरजे-एमपी/1	3	10	सितंबर-2007	सितंबर-2010	दिसंबर-2011	100.00	28.22	भाराराप्रा	232.45	230.28	102.18	38.04	140.22	पीएनसी-टीआरजी (सं.उ.)
98	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन)	7	39.23	सितंबर-2005	अप्रैल-2008	मार्च-2011	100.00	94.50	भाराराप्रा	323.36	173.5	189.9	0	189.9	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लि.
99	कन्याकुमारी-पानागुडी (एनएस-32)	7	31.7	अप्रैल-2008	अप्रैल-2010	अप्रैल-2011	100.00	92.00	भाराराप्रा	120	205.99	153.92	90.49	244.41	पटेल - केएनआर (संउ)
100	चैंगापल्ली से कोयम्बतूर बाइपास और कोयम्बतूर बाइपास के छोर से तमिलनाडु /केरल सीमा तक	47	54.83	#	#	#	#	#	बीओटी	852	36	0	0	0	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लि
101	काजीगुंड-बनीहाल	1ए	15.25	जुलाई-2010	जुलाई-2015	जुलाई-2015	#	#	वार्षिकी	1987	245	0	0	0	नवयुग इंजीनियरिंग कं.लि.

102	जम्मू- उधमपुर	1ए	65	जुलाई-2010	जुलाई-2013	जुलाई-2013	#	#	वार्षिकी	1813.76	201.9	0	0	0	शपूरजी एंड पलोंजी कं. लि.
103	कांपटी कानून और नागपुर बाईपास सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक 4 लेन बनाया जाना	7	95	अप्रैल-2010	जून-2012	अक्तूबर-2012	26.00	34.00	बीओटी	1170.52	455.21	4.41	0	4.41	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लि.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर-दक्षिण - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत पूर्ण/4 लेन खंडों का विवरण

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	के द्वारा	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
एनएचडीपी चरण I								
1	पालनपुर- डीसा (ईडब्ल्यू -11/जीजे)	14	22.7	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अगस्त-2001	फरवरी-2003	गुजरात
2	जालंधर बाइपास (एनएस/ 1)	1	14.4	भाराराप्रा	भाराराप्रा	नवंबर-1999	जून-2004	पंजाब
3	करूर आरओबी का निर्माण	7	0.84	भाराराप्रा	भाराराप्रा	जुलाई-1999	सितंबर-2002	तमिलनाडु
4	अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास को 4 लेन का बनाया जाना	7	9.36	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अगस्त-1999	सितंबर-2002	तमिलनाडु
5	गुवाहाटी बाइपास (ईडब्ल्यू /7)	37	8	भाराराप्रा	भाराराप्रा	जून-2000	दिसंबर-2003	असम
6	डलकोला-इस्लामपुर उप खंड 2(ईडब्ल्यू /6)	31	23.85	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अप्रैल-2000	नवंबर-2005	पश्चिम बंगाल
7	पूर्णिया - गयाकोटा (ईडब्ल्यू /4)	31	15.15	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	मई-2008	बिहार
8	पालनपुर के निकट आबू रोड डीसा खंड (ईडब्ल्यू /1)	14	10	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	अप्रैल-2001	गुजरात
9	लखनऊ-कानपुर खंड (ईडब्ल्यू -8/यूपी)	25	22.2	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	फरवरी-2006	उत्तर प्रदेश
10	अवथी गांव से नंदी हिल क्रांसिंग और देवनहल्ली से मीनू कुंते (एनएस-10)	7	7	भाराराप्रा	भाराराप्रा	जनवरी-2000	जुलाई-2001	कर्नाटक
11	रिबदा-गोंडल खंड (ईडब्ल्यू-10/जीजे)	8बी	17	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	अक्तूबर-2002	गुजरात
12	डलकोला-इस्लामपुर (ईडब्ल्यू /5)	31	23	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	मार्च-2004	पश्चिम बंगाल
13	गुवाहाटी बाइपास (ईडब्ल्यू-14/एएस)	37	10.5	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	जून-2004	असम
14	जालंधर-अंबाला	1	160.7	वि.बैं.	स.प.रा.मं.	#	#	पंजाब
15	अंबाला-पानीपत	1	116	वि.बैं.	स.प.रा.मं.	#	#	हरियाणा
16	त्रिशूर-कोची खंड	47	17	स.प.रा.मं.	स.प.रा.मं.	#	#	केरल
17	राजकोट-रिबदा	8बी	15	स.प.रा.मं.	स.प.रा.मं.	#	#	गुजरात

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	के द्वारा	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
18	मुकरबा चौक से माल रोड तक 8 लेन का बनाया जाना (दिल्ली)(एनएस3/डीएल)	1	8.5	भाराराप्रा	भाराराप्रा	नवंबर-2001	जनवरी-2007	दिल्ली
19	बामनबोर-राजकोट	8बी	31	स.प.रा.मं.	स.प.रा.मं.	#	#	गुजरात
20	भोगपुर - जालंधर (एनएस-16/पीबी)	1ए	21.77	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अगस्त-2001	अक्तूबर-2004	पंजाब
21	लखनऊ-कानपुर खंड (ईडब्ल्यू -9/यूपी)	25	15.5	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	मार्च-2005	उत्तर प्रदेश
22	नंदी हिल क्रास से देवनहल्ली और मीनू कुंते से हब्बल को 6 लेन का बनाया जाना (एनएस-24/केएन)	7	25	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	अगस्त-2008	कर्नाटक
23	पंछी गुजरान से कामसपुर (सोनीपत) को 6 लेन का बनाया जाना (एनएस-17/एचआर)	1	21.7	भाराराप्रा	भाराराप्रा	जनवरी-2006	दिसंबर-2010	हरियाणा
24	राजस्थानj/यूपी सीमा - मनिया (एनएस-19/यूपी/आरजे)	3	17	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अगस्त-2001	जनवरी-2005	उत्तर प्रदेश [7]/राजस्थान [10]
25	लखनऊ-कानपुर खंड (ईडब्ल्यू /2)	25	10.42	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अप्रैल-2000	अगस्त-2002	उत्तर प्रदेश
26	मुरैना-रायरू (ग्वालियर बाइपास का प्रारंभ) (एनएस-21/एमपी)	3	18	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अगस्त-2001	दिसंबर-2005	मध्य प्रदेश
27	सलेम बाइपास (एनएस/ 12)	7	8.4	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	जनवरी-2003	तमिलनाडु
28	थुम्पीपाड़ी से सलेम (एनएस-26/टीएन)	7	19.2	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	मार्च-2010	तमिलनाडु
29	बंगलौर-सलेम-मदुरै (एनएस-27/टीएन)	7	8.4	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	अप्रैल-2004	तमिलनाडु
30	अंगामाली - अलुवा (एनएस-28/केएल)	47	16.6	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	जून-2004	केरल
31	बोवनपल्ली (हैदराबाद शहर) - शिवरामपल्ली	7	9.2	स.प.रा.मं.	स.प.रा.मं.	#	अप्रैल-1998	आंध्र प्रदेश
32	नागपुर-चिंचभुवन	7	9.2	स.प.रा.मं.	स.प.रा.मं.	#	अप्रैल-1998	महाराष्ट्र
33	मनिया-धौलपुर (एनएस/ 5)	3	10	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	मार्च-2001	राजस्थान
34	थोपुरघाट खंड (एनएस/ 14)	7	7.4	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	अप्रैल-2002	तमिलनाडु
35	सराय चोला - मुरैना (एनएस-20/एमपी)	3	15	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2001	अगस्त-2004	मध्य प्रदेश

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	के द्वारा	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
36	थोंडापल्ली से फरुखनगर (एनएस/ 9)	7	12.5	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	जनवरी-2003	आंध्र प्रदेश
37	आगरा-राजस्थान/यूपी सीमा (एनएस-4)	3	16	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	नवंबर-2001	उत्तर प्रदेश
38	एमपी/आरजे सीमा-सराय चोला (एनएस/ 6)	3	9	भाराराप्रा	भाराराप्रा	जुलाई-2000	जनवरी-2003	मध्य प्रदेश
39	चिंचभुवन -भुटीबोरी-बोरखेड़ी (एनएस-7)	7	25.6	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-1999	मार्च-2002	महाराष्ट्र
40	कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-8)	7	17	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	अप्रैल-2002	आंध्र प्रदेश
41	कामसपुर- हरियाणा / दिल्ली सीमा को 6 लेन का बनाना (एनएस/2)	1	15	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-1999	नवंबर-2001	हरियाणा
एनएचडीपी चरण II								
42	पूर्णिया -फारबिसगंज (बीआर-1)	57	42.5	भाराराप्रा	भाराराप्रा	नवंबर-2005	अप्रैल-2010	बिहार
43	फरुखनगर-कोटाकाता (एनएस-2/एपी -4)	7	55.74	बीओटी	भाराराप्रा	अगस्त-2006	मार्च-2009	आंध्र प्रदेश
44	पूर्णिया -फारबिसगंज (बीआर-2)	57	36.7	भाराराप्रा	भाराराप्रा	नवंबर-2005	जुलाई-2010	बिहार
45	कडलूर येलारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/एपी-2)	7	85.74	वार्षिकी	भाराराप्रा	सितंबर-2006	मार्च-2009	आंध्र प्रदेश
46	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14)	7	42	एडीबी	भाराराप्रा	मार्च-2007	नवंबर-2010	आंध्र प्रदेश
47	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-13)	7	40	एडीबी	भाराराप्रा	मार्च-2007	दिसंबर-2010	आंध्र प्रदेश
48	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	1	10	बीओटी	भाराराप्रा	जनवरी-2006	जून-2008	हरियाणा
49	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5)	7	74.65	वार्षिकी	भाराराप्रा	सितंबर-2006	नवंबर-2009	आंध्र प्रदेश
50	हैदराबाद-बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-15) (अनुमोदित लंबाई 45.6)	7	45.05	एडीबी	भाराराप्रा	मार्च-2007	नवंबर-2010	आंध्र प्रदेश
51	इस्लाम नगर से कडतल (एनएस-2/बीओटी /एपी-7)	7	53.01	वार्षिकी	भाराराप्रा	मार्च-2007	अगस्त-2010	आंध्र प्रदेश
52	सिलीगुड़ी - इस्लामपुर (डब्ल्यू बी-6)	31	25	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	के द्वारा	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
53	फरुखनगर-कोटाकाता (एनएस-2/एपी-3)	7	46.162	बीओटी	भाराराप्रा	अगस्त-2006	फरवरी-2009	आंध्र प्रदेश
54	थोपुरघाट- थुंपीपाड़ी (एनएस-25/टीएन)	7	16.6	भाराराप्रा	भाराराप्रा	मई-2005	जनवरी-2010	तमिलनाडु
55	स्वरुपगंज-बकारिया (आरजे-1)	76, 14	43	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-2005	मई-2009	राजस्थान
56	पानीपत-पंछी गुजरान (6 लेन बनाने का कार्य) (एनएस-89/एचआर)	1	20	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अक्तूबर-2006	दिसंबर-2010	हरियाणा
57	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-7)	26	43.162	एडीबी	भाराराप्रा	अप्रैल-2006	दिसंबर-2010	मध्य प्रदेश
58	शिवपुरी बाइपास व एमपी/आरजे सीमा तक (ईडब्ल्यू-II - एमपी-I)	25, 76	53	एडीबी	भाराराप्रा	अगस्त-2005	अक्तूबर-2008	मध्य प्रदेश
59	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन)	7	38.86	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2005	सितंबर-2009	तमिलनाडु
60	सलेम - केरल सीमा खंड (टीएन-6)	47	53.525	बीओटी	भाराराप्रा	जुलाई-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु
61	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-42/टीएन)	7	42.7	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2005	अगस्त-2010	तमिलनाडु
62	मदुरै तिरुनवेली खंड के कि.मी. 120 से पानागुड़ी (कि.मी. 203) (एनएस-43)	7	43	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	अगस्त-2009	तमिलनाडु
63	सलेम - केरल सीमा खंड (टीएन -7)	47	48.51	बीओटी	भाराराप्रा	जुलाई-2006	अगस्त-2009	तमिलनाडु
64	रारा-1 पर फगवाड़ा जंक्शन	1	1	भाराराप्रा	भाराराप्रा	दिसंबर-2005	जनवरी-2008	पंजाब
65	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आरजे-6)	76	40	एडीबी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	दिसंबर-2008	राजस्थान
66	झांसी-शिवपुरी (ईडब्ल्यू -II - एमपी-2)	25	35	एडीबी	भाराराप्रा	अगस्त-2005	नवंबर-2008	मध्य प्रदेश
67	करूर-मदुरै (टीएन-4)	7	68.125	बीओटी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2006	नवंबर-2009	तमिलनाडु
68	राजकोट बाइपास व गोंडल-जैतपुर (पैकेज-VII)	8बी	36	बीओटी	भाराराप्रा	सितंबर-2005	मार्च-2008	गुजरात

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	के द्वारा	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
69	भिलाडी-पोरबंदर (पैकेज-I)	8बी	50.5	एडीबी	भाराराप्रा	फरवरी-2005	मई-2007	गुजरात
70	जैतपुर-भिलाड़ी (पैकेज-II)	8बी	64.5	एडीबी	भाराराप्रा	फरवरी-2005	जनवरी-2009	गुजरात
71	गारामोर - बामनबोर (पैकेज-III)	8ए	71.4	एडीबी	भाराराप्रा	फरवरी-2005	जुलाई-2009	गुजरात
72	राधनपुर- गागोधर (पैकेज-V)	15	106.2	एडीबी	भाराराप्रा	फरवरी-2005	मई-2008	गुजरात
73	डीसा-राधनपुर (पैकेज-VI)	14	85.4	एडीबी	भाराराप्रा	फरवरी-2005	सितंबर-2008	गुजरात
74	झांसी-शिवपुरी(यूपी/एमपी-1) (यूपी-11 कि.मी. व एमपी - 30 कि.मी.)	25	41	एडीबी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	मई-2009	उत्तर प्रदेश [11]/मध्य प्रदेश [30]
75	बकारिया-गोगुंडा (आरजे-2)	76	44	भाराराप्रा	भाराराप्रा	नवंबर-2005	मार्च-2009	राजस्थान
76	एपी/कर्नाटक सीमा- नंदी हिल क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनू कुंते गांव	7	61.38	वार्षिकी	भाराराप्रा	मार्च-2007	दिसंबर-2009	कर्नाटक
77	आरजे/एमपी सीमा - कोटा(आरजे-10)	76	59.85	एडीबी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	जून-2009	राजस्थान
78	आरजे/एमपी सीमा - कोटा(आरजे-9)	76	43.15	एडीबी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	जून-2009	राजस्थान
79	आरजे/एमपी सीमा - कोटा(आरजे-11)	76	70	एडीबी	भाराराप्रा	सितंबर-2005	अक्तूबर-2008	राजस्थान
80	एमएच/एपी सीमा - इस्लाम नगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	7	54.6	वार्षिकी	भाराराप्रा	मई-2007	अगस्त-2010	आंध्र प्रदेश
81	काडल से आरमूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	7	31	वार्षिकी	भाराराप्रा	मई-2007	नवंबर-2009	आंध्र प्रदेश
82	मदुरै बाइपास (एनएस-39) सहित मदुरै से मदुरै-तिरुनवेली खंड के किमी. 120 तक	7	42	भाराराप्रा	भाराराप्रा	सितंबर-2005	सितंबर-2009	तमिलनाडु
83	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरजे-7)	76	63	एडीबी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	दिसंबर-2008	राजस्थान
84	करूर-मदुरै(टीएन-5)	7	53.025	बीओटी	भाराराप्रा	जुलाई-2006	सितंबर-2009	तमिलनाडु

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	के द्वारा	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
85	देवधारी-केलापुर (एनएस-61/एमएच)	7	30	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	अक्तूबर-2010	महाराष्ट्र
86	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान -42 किमी और गुजरात -34 किमी)	14	76	वार्षिकी	भाराराप्रा	सितंबर-2006	मई-2009	राजस्थान [42]/गुजरात [34]
87	गोगुंडा-उदयपुर (आरजे-3)	76	31	भाराराप्रा	भाराराप्रा	जनवरी-2006	दिसंबर-2009	राजस्थान
88	कृष्णागिरि - थोपुरघाट(एनएस-2/टीएन1)	7	62.5	बीओटी	भाराराप्रा	जुलाई-2006	जनवरी-2009	तमिलनाडु
89	सलेम-करूर (एनएस-2/टीएन-2)	7	41.55	बीओटी	भाराराप्रा	अगस्त-2006	अगस्त-2009	तमिलनाडु
90	सलेम-करूर(एनएस-2/टीएन-3)	7	33.48	बीओटी	भाराराप्रा	जुलाई-2006	अगस्त-2009	तमिलनाडु
91	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड)(एनएस-30)	1ए	17.8	भाराराप्रा	भाराराप्रा	अक्तूबर-2003	नवंबर-2010	जम्मू और कश्मीर
92	कोटा- चित्तौड़गढ़ (आरजे-8)	76	65	एडीबी	भाराराप्रा	अक्तूबर-2005	दिसंबर-2008	राजस्थान

अनुलग्नक XI

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार सौंपे जाने के लिए शेष लम्बाई (उत्तर दक्षिण - पूर्व पश्चिम कॉरीडोर) को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	राज्य का नाम

1	सलेम -कोयम्बटूर-केरल सीमा खंड पर सलेम से किमी 100 तक	47	27.37	तमिलनाडु
2	वालयार-वडक्कनचेरी खंड को 4 लेन का बनाया जाना	47	58	केरल
3	उधमपुर-रामबन	1ए	43	जम्मू और कश्मीर
4	घोषुकुर (रारा-31 का किमी 351) से सलसलाबाड़ी (रारा-31 सी का किमी 226) वाया फुलबाड़ी-मैनागरी-धुम्पगिरि-फालकाटा (3 पैकेज)	31, 31सी	201	पश्चिम बंगाल
5	उदरबंध से हरंगजो (एएस-14)	54	31	असम
6	रामबन से बनिहाल	1ए	36	जम्मू और कश्मीर

अनुलग्नक XII

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन अन्य ठेकों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तिथि	करार के अनुसार पूरा करने की तिथि	पूरा करने की अनुमानित तिथि	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	सौंपी गई लागत (करोड़ रू.)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार
1	मुलतई-छिंदवाडा-शिवनी खंड और नरसिंहपुर-अमरवाडा-उमरानाला-सोनेर खंड (पेव्ड शोल्डरों सहित 2 लेन का बनाया जाना)	69ए और 26बी	418	#	#	#	#	#	भाराराप्रा	1565	1411.4	0	0	0	सदभाव इंजीनियरिंग लि.
2	आईसीटीटी वल्लारपदम को रारा संपर्क	47सी	17.2	अगस्त-2007	फरवरी-2010	मई-2012	100.00	99.25	भाराराप्रा	557	329.46	504.78	421.28	926.06	सनकॉन - सोमा (संउ)
3	कांगयम से कोयम्बतूर (केसी-2)	67, केसी2	55.2	अगस्त-2006	अगस्त-2008	मार्च-2011	100.00	98.85	स.प.रा.मं.	0	79.52	119.78	11.05	130.83	एसआरसी प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लि.
4	4 ग्रेड सेपरेटरों के निर्माण सहित चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुँचमार्गों का सुधार	205 , 4 & 45	4	अप्रैल-2005	अप्रैल-2007	जनवरी-2011	100.00	96.65	स.प.रा.मं.	210	196	622.23	39.84	662.07	सोमदत्त बिल्डर्स - सिम्पलेक्स (सं.उ.)
5	गढ़मुक्तेश्वर - मुरादाबाद	24	56.25	मार्च-2005	सितंबर-2007	मार्च-2011	98.00	97.77	भाराराप्रा	275	221.42	277.35	9.41	286.76	पीएनसी कंसोर्शियम कं. - बीईएल (संउ)
6	हापुड़ - गढ़मुक्तेश्वर	24	35	मार्च-2005	सितंबर-2007	जून-2011	100.00	67.00	भाराराप्रा	220	195.51	133.59	49.89	183.48	यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि. (यूपीएसबीसी)
7	चेन्नै बाइपास चरण II	45, 4 और 5	32.22	मई-2005	नवंबर-2007	जनवरी-2011	100.00	98.80	भाराराप्रा	480	404.98	782.86	63.33	846.19	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं.लि.

अनुलग्नक XIII

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान पूर्ण हो चुकी अन्य परियोजनाओं में पूरे किये गए/चार लेन के बनाये जा चुके खण्डों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	किमी से तक	रारा सं.	लंबाई	वित्त-पोषित	प्रारंभ की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
1	डिंडिवनम- उलुंदरूपेट (पैकेज -VI-ए)	किमी 121 - किमी 192.25	45	72.9	बीओटी	अक्तूबर-2006	जुलाई-2009	तमिलनाडु
2	उलुंदरूपेट - पडलुर (पैकेज- VI-बी)	किमी 192.25 - किमी 285.00	45	93.89	बीओटी	दिसंबर-2006	सितंबर-2009	तमिलनाडु
3	चित्तौड़गढ़ बाइपास	किमी 159 से किमी 213	79, 76	30	भाराराप्रा	अगस्त-2005	अक्तूबर-2009	राजस्थान
4	तोवरमकुर्ची से मदुरै (पैकेज -VII बी)	किमी 60.95 से किमी 124.84	45बी	63.89	भाराराप्रा	फरवरी-2006	दिसंबर-2009	तमिलनाडु
5	पडलुर - त्रिची (पैकेज - VI-सी)	किमी 285.00 - किमी 325.00	45	38.427	बीओटी	नवंबर-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु
6	त्रिची बाइपास के छोर से तोवरमकुर्ची (पैकेज -VII ए)	किमी 0 से किमी 60.95	45बी	60.95	भाराराप्रा	फरवरी-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु
7	करूर से कांगयम (केसी-1)	किमी 218.200 से किमी 277.400	67, केसी1	59.2	स.प.रा.मं.	अगस्त-2006	अप्रैल-2010	तमिलनाडु

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन पत्तन संपर्क परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी में)	प्रारंभ की तिथि	करार के अनुसार पूरा करने की तिथि	पूरा करने की अनुमानित तिथि	वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	वास्तविक प्रगति (%)	वित्त-पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रू.)	सौंपी गई लागत (करोड़ रू.)	3/2010 तक व्यय	चालू वित्त वर्ष में व्यय	संचयी व्यय	ठेकेदार
1	चेन्ने-एन्नौर पत्तन संपर्क के लिए पर्याप्त सड़क संपर्क का विकास	एसआर	30.2	#	#	#	#	#	एसपीवी	600	253.47	0	26.21	26.21	कोस्टल - एसपीएल (सं.उ.)
2	कोचीन पत्तन	47	10	नवंबर-2008	अप्रैल-2010	जनवरी-2011	100.00	98.78	एसपीवी	193	114	127.92	13.79	141.71	आरडीएस-सीवीसीसी (सं.उ.)
3	तुतीकोरीन पत्तन	7ए	47.2	अप्रैल-2010	अप्रैल-2012	अप्रैल-2012	16.45	15.00	एसपीवी	182.25		0	0	0	ट्रांसस्ट्रोय - ओजेएससी (सं.उ.)
4	नव मंगलूर पत्तन	13, 17 और 48	37	जून-2005	दिसंबर-2007	मार्च-2011	100.00	79.94	एसपीवी	196.5	168.22	132.44	79.18	211.62	इरकॉन इंटरनेशनल लि0
5	हल्दिया पत्तन	41	53	सितंबर-2008	सितंबर-2010	जून-2011	95.00	57.87	एसपीवी	522	295.8	282.08	65.71	347.79	दिनेश चन्द्र आर.अग्रवाल-इन्फ्राकॉन प्रा0 लि0